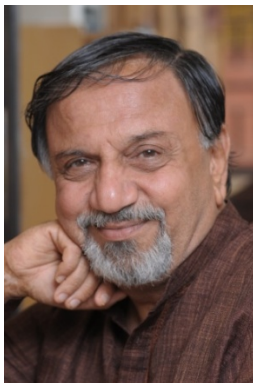


आरटीआई अधिनियम – की प्रामाणिक व्याख्या

शैलेश गांधी
पूर्व केंद्रीय सूचना आयुक्त

डॉ. नीरज कुमार
‘ए’ ग्रेड सर्टिफाइड ट्रेनर
डीओपीटी भारत सरकार
लखनऊ – 226018

शैलेश गांधी एक ऐसा व्यक्ति जो खुद को आरटीआई द्वारा सशक्त नागरिक कहना पसंद करता है, आरटीआई के लिए देश की अग्रणी आवाजों में से एक है। शैलेश गांधी (7 जुलाई, 1947 को



जन्म) पहली पीढ़ी के उद्यमी और आईआईटी बॉम्बे के प्रतिष्ठित पूर्व छात्र हैं। श्री शैलेश गांधी ने अपना बी.टेक पूरा किया। 1969 में IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में। 1980 में, उन्होंने क्लियर प्लास्टिक लिमिटेड की स्थापना की, जो 500 लोगों को रोजगार देने वाले एक महत्वपूर्ण आकार तक बढ़ गया और केवल स्वदेशी मशीनरी का इस्तेमाल किया। हालाँकि, 2003 में, उन्होंने व्यवसाय को बेच दिया और सूचना के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। तब से, उन्होंने और जोश के साथ इसका प्रचार किया है। शैलेश राष्ट्रीय आरटीआई आंदोलन का हिस्सा थे जो राष्ट्रीय अधिनियम का मसौदा तैयार करने में शामिल था। वह लोगों के सूचना के अधिकार के लिए राष्ट्रीय अभियान (एनसीपीआरआई) के संयोजक थे। उन्होंने आरटीआई का इस्तेमाल किया और इसका इस्तेमाल करने के लिए

1000 से अधिक कार्यशालाओं में कई नागरिकों और सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया। केंद्रीय सूचना आयुक्त के रूप में चुने जाने वाले एकमात्र आरटीआई कार्यकर्ता, (कार्यकाल: 18-10-2009 से 06-07-2012)। उन्होंने 3 साल और 9 महीनों में 20,000 से अधिक मामलों का रिकॉर्ड निपटाया और यह सुनिश्चित किया कि अधिकांश मामलों का निर्णय 90 दिनों से कम समय में हो। उन्होंने आयोग में पहला डिजिटल पेपर-रहित कार्यालय आयोजित करने के अलावा, आरटीआई पर कई ऐतिहासिक निर्णय दिए। 2010 में, IIT कानपुर ने उन्हें सांप्रदायिक सद्भाव फैलाने और सूचना के अधिकार अभियान का नेतृत्व करने में उनके अनुकरणीय समर्पण के लिए सबसे प्रतिष्ठित सत्येंद्र के. दुबे मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया।

वह अब आरटीआई को और गहरा करने के लिए मुंबई में अपने घर पर हैं। वह एक समयबद्ध न्याय वितरण प्रणाली के लिए तरीके विकसित करने और शासन प्रणाली में सुधार करने के लिए जुनून से आगे बढ़ रहे हैं। कई पुरस्कारों के बीच, उन्हें नानी पालकीवाला सिविल लिबर्टीज पुरस्कार और एम आर पाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की है: RTI Act - Authentic Interpretation of the Statute और आरटीआई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की आलोचना करने वाला एक पेपर। अरुणा रॉय के अलावा उन्होंने स्वर्गीय प्रकाश कर्दले से बहुत प्रेरणा ली, जो महाराष्ट्र में आरटीआई आंदोलन के प्रमुख थे।

श्री शैलेश गांधी ने अपना बी.टेक पूरा किया। 1969 में IIT बॉम्बे से सिविल इंजीनियरिंग में। 1980 में, उन्होंने क्लियर प्लास्टिक लिमिटेड की स्थापना की, जो 500 लोगों को रोजगार देने वाले एक महत्वपूर्ण आकार तक बढ़ गया और केवल स्वदेशी मशीनरी का इस्तेमाल किया।



हालाँकि, 2003 में, उन्होंने व्यवसाय को बेच दिया और सूचना के अधिकार पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। तब से, उन्होंने जोश और जोश के साथ इसका प्रचार किया है। वह सूचना का अधिकार अधिनियम की स्थापना के पीछे प्रमुख प्रेरकों में से एक हैं।

श्री शैलेश गांधी दृढ़ता से मानते हैं कि "लोकतंत्र का सार एक अवधारणा है जहां प्रत्येक नागरिक अपने आप में एक संप्रभु है, जो राज्य को अपनी संप्रभुता का हिस्सा देता है, जिसके बदले में उसे कानून का शासन मिलता है।"

पीएच.एच.एफ. डॉ. नीरज कुमार एम.कॉम (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब एम.बी.ए.), एलएल.बी., पीएच.डी. (बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन), बी. आई.ए.एम. (कोल।), एमडी (एएम) संयुक्त राष्ट्र शांति

विश्वविद्यालय, कोस्टा रिका, मध्य अमेरिका, ए.एम.एस.पी.आई., एफ.एम.एस.पी.आई., एफ.आई.एम.सी, स्वर्ण पदक विजेता, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, पॉल हैरिस फेलो है।

आरटीआई और ई-गवर्नेंस के लिए सरकार भारत की डीओपीटी द्वारा आधिकारिक तौर पर प्रमाणित 'ए' ग्रेड, प्रशिक्षक है।

डॉ. नीरज कुमार (बी. 1952) पूर्व निदेशक और प्रमुख, व्यवसाय प्रशासन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ हैं। वह कोलंबिया होलिस्टिक यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया, यूएसए, प्राइस वाटरहाउस कूपर, यूएसए. इंटरएक्टिव मीडिया इंटरनेशनल, लुइसियाना, यूएसए., बेस्ट मॉडल टैलेंट, लास वेगास, यूएसए., मैनेजमेंट स्टडीज प्रमोशन इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, एन.एन.डब्ल्यू के समाचार एजेंसी, दिल्ली, ज्यूचे अध्ययन के लिए एशियाई क्षेत्रीय संस्थान, मुख्यालय। टोक्यो, विजाडर्स बिजनेस मशीन्स (पी) लिमिटेड यूएसए, नेशनल इंटीग्रेशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, लखनऊ, नेशनल करियर इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, एमिगो ट्रेडिंग एंड सप्लाइज कंपनी लिमिटेड हांगकांग, बेस्ट हाउस, बैंकॉक, थाईलैंड, निदेशक, रोटरी क्लब (लखनऊ) पश्चिम। इंटरएक्टिव मीडिया इंटरनेशनल, यूएसए., इमेजउवकमसजंसमदजण्वउ, लास वेगास, यूएसए. यू.पी. अंतर्राष्ट्रीय प्रत्यायन संगठन (आईएओ), ह्यूस्टन, यूएसए. सलाहकार/परामर्शदाता/निदेशक हैं। उन्होंने कानून और चिकित्सा की डिग्री रखने के अलावा व्यवसाय प्रशासन में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उन्हें रोटरी इंटरनेशनल, यूएसए के पॉल हैरिस फेलो-1996 से सम्मानित किया गया है। डॉ नीरज कुमार को कोलंबिया होलिस्टिक यूनिवर्सिटी, यूएसए एक्सीलेंट सर्विसेज अवार्ड - 1977 द्वारा सीनियर सिटीजन मेडिकेयर एंड रिहैबिलिटेशन फंडरेशन, नई दिल्ली द्वारा सुपर ब्रेन अवार्ड - 1988, अखिल भारतीय प्रबंधन परिषद, नई दिल्ली द्वारा सुपर इंटेलेक्चुअल अवार्ड - 1977 से भी सम्मानित किया गया है। बेस्ट सिटीजन ऑफ इंडिया - 1998 ग्लोबल पब्लिशर्स, इंटरनेशनल पब्लिशिंग हाउस, आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया -1998 मैनेजमेंट स्टडीज प्रमोशन इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली, जेम ऑफ इंडिया - 1998 ऑल इंडिया मैनेजमेंट काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा, रोटरी फाउंडेशन डिस्ट्रिक्ट सर्विस अवार्ड - 1997 रोटरी इंटरनेशनल, यूएसए, एल सर्वेश्वर दयाल सक्सेना एप्रिसिएशन अवार्ड - 1984 अखिल भारतीय अगीत परिषद, लखनऊ, LUATW द्वारा कर्मचारी संघ स्वर्ण पदक - 1974, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एसोसिएशन मेरिट प्लाक - 1973 और कई और पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।

उन्होंने प्रशासन में कदाचार को उजागर करने के लिए आरटीआई को एक टोल के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने इसका उपयोग करने के लिए 500 से अधिक कार्यशालाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में कई नागरिकों और सरकारी अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। वह लखनऊ में स्थित एक अखिल भारतीय प्रतिष्ठित आरटीआई कार्यकर्ता हैं।

उनकी पुस्तक, "Treatise on Right to Information Act, 2005" को संयुक्त राष्ट्र, द ग्लोबल ओपन यूनिवर्सिटी नागालैंड से संबद्ध शब्द शांति (AEWP) के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एजुकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड के "सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन का पुरस्कार" पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। विश्व प्रबंधन कांग्रेस समिति, उच्च शिक्षा और विकास (HEAD) शिखर सम्मेलन और भारतीय विश्वविद्यालयों का परिसंघ। सूचना प्रसार और जागरूकता के क्षेत्र में, 29 से 31 दिसंबर 2011 को इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित विश्व प्रबंधन कांग्रेस 2011 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।



प्रति

अरुणा रॉय

जिसने निभाई महत्वपूर्ण भूमिका
आरटीआई अधिनियम के अधिनियमन में,
हमारा मार्गदर्शन करन और सलाह देने के लिए
आरटीआई के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के लिए

कॉपीराइट के संबंध में
कृपया कॉपी करें
हम सभी को संपूर्ण या आंशिक रूप से कॉपी, कोट, अनुवाद या प्रिंट करने के
लिए प्रोत्साहित करते हैं।

प्रस्तावना

सूचना का अधिकार अधिनियम निश्चित रूप से नागरिकों के लिए एक शक्तिशाली सशक्तिकरण कानून रहा है। इसने देश में लोगों की कल्पना को पकड़ लिया है और मोटे अनुमानों से पता चलता है कि 2015 में लगभग छह से आठ मिलियन आवेदन दायर किए जा सकते हैं। कई उपयोगकर्ता, लोक सूचना अधिकारी (पीआईओ), प्रथम अपीलीय प्राधिकरण और सूचना आयुक्त कानून पर अलग-अलग दृष्टिकोण रखते हैं। पारदर्शिता कानून में मेरी अंतर्दृष्टि से पता चलता है कि सत्ता में बैठे अधिकांश लोग पारदर्शिता के प्रति नापसंदगी विकसित करते हैं। उनमें से अधिकांश का मानना है कि पारदर्शिता आवश्यक है – अपने लिए नहीं – बल्कि दूसरों के लिए। नतीजतन, कई व्याख्याएं स्वीकार की जा रही हैं जो संसद द्वारा पारित कानून के अनुरूप नहीं हैं। एक दिलचस्प पहलू यह है कि भारतीय कानून को इसके प्रावधानों के अनुसार दुनिया में तीसरा सबसे अच्छा दर्जा दिया गया है, लेकिन कार्यान्वयन और वास्तविक पारदर्शिता के लिए रेटिंग भारत को 66 वें स्थान पर रखती है। यह विचलन बड़े पैमाने पर ध्यान न देने के कारण है। प्रावधान और कानून के शब्द।

मेरा दृढ़ विश्वास है कि संसद या राज्य विधायिका द्वारा निर्धारित कानून वह कानून है जिसका पालन किया जाना है। आदेश या निर्णय जिन्हें कानून की भाषा द्वारा उचित नहीं ठहराया जा सकता है, वे कानून का आधार नहीं बन सकते हैं, जिनका पालन मिसाल के तौर पर किया जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 141 कहता है, “सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों पर बाध्यकारी होगा।” भारत आम कानून प्रणाली का पालन करता है जहां मिसालों को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पर्याप्त फैसले हैं जो यह निर्दिष्ट करते हैं कि अनुपात के निर्धारण का पालन तभी किया जाना चाहिए जब कानून के शब्दों और पूर्ववर्ती निर्णयों के आधार पर तर्क दिया जाए। अनुपात निर्णायक “वह सिद्धांत है जो मामला स्थापित करता है।” यदि कोई न्यायिक या अर्ध-न्यायिक निर्णय कानून की उचित और सावधानीपूर्वक व्याख्या द्वारा नहीं किया जाता है, तो यह ‘प्रति अपराध’ है और एक बाध्यकारी मिसाल नहीं बन जाता है। इसलिए इसका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। अदालतों और अन्य निर्णायकों को कानून की व्याख्या उसके शब्दों के आधार पर करनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट यह फैसला दे सकता है कि कोई कानून या प्रावधान अल्ट्रा वायर्स है। लेकिन अगर यह संसद द्वारा पारित कानून के शब्दों पर विचार किए बिना फैसला सुनाती है, तो यह एक ऐसा फैसला होगा जो अल्ट्रा वायर्स होगा। कानून बनाने में संसद द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने वाले ‘हम लोगों’ की प्रधानता का सम्मान किया जाना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों के आधार पर किसी भी कानून की अलग-अलग व्याख्या करना संभव है। यह पुस्तक प्रस्तावना को ध्यान में रखते हुए

कानून के शब्दों से अर्थ निकालने का प्रयास है। इसलिए सूचना आयोगों या न्यायालयों के निर्णयों को आरटीआई अधिनियम के इस स्पष्टीकरण में उद्धृत नहीं किया गया है। जहां तक सूचना देने का संबंध है, सूचना का अधिकार अधिनियम पहले के सभी कृत्यों या नियमों की अवहेलना करता है। एकमात्र अपवाद तब होगा जब संविधान में कुछ सूचनाओं को जारी करना प्रतिबंधित हो।

कानून में शब्दों की कुछ गलत व्याख्याओं को विकसित किया गया है और आगे बढ़ाया गया है। आशा है कि यह पुस्तक सभी हितधारकों को कानून को करीब से देखने और उसका पालन करने में मदद करेगी। यह नागरिकों को हमारे लोकतंत्र में अधिक सार्थक रूप से भाग लेने के लिए सशक्त करेगा। आशा है कि यह पुस्तक आरटीआई अधिनियम के सही अर्थ पर एक 'संवाद' (संवाद) शुरू करेगी। देश में ऐसे कई प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो आरटीआई को खारिज करते हैं और कहते हैं कि इसकी कुछ सीमा होनी चाहिए। यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग अक्सर लोगों को गाली देने या बदनाम करने के लिए किया जाता है। ब्लैकमेल का सहारा लेने के लिए छोटे-छोटे कागज भी इसका इस्तेमाल करते हैं। पेड न्यूज की अवधारणा को बहुत अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया है। इन सबके बावजूद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित करने की मांग कभी नहीं की गई। लेकिन आरटीआई अधिनियम की गलत व्याख्या करने की शक्ति रखने वालों की प्रवृत्ति लगभग उस बिंदु तक बढ़ रही है जहां यह वास्तव में कानून का प्रतिनिधित्व नहीं करता है। इस विचार की व्यापक स्वीकृति है कि साहित्य और कला के कथन, पुस्तकें और कार्य संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के अंतर्गत आते हैं, और इसे रोकने के किसी भी प्रयास का बहुत कड़ा विरोध होता है। हालांकि, कोई बड़बड़ाहट नहीं है जब आरटीआई के उपयोगकर्ताओं को बहिष्कृत रूप से लेबल किया जा रहा है, हालांकि यह संविधान के एक ही लेख द्वारा कवर किया गया है। सत्ता के साथ हर कोई कहता प्रतीत होता है: "मैं आपके विचार व्यक्त करने के अधिकार के लिए अपनी जान जोखिम में डालूंगा, लेकिन लानत है अगर आप आरटीआई का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं जो मुझे मंजूर नहीं है।"

इस अधिनियम के प्रति मेरे जुनून ने मुझे यह समझने के लिए इस पुस्तक को लिखने के बारे में सोचने के लिए प्रेरित किया कि कानून की भाषा क्या कहती है। लिखते समय, मैंने किसी निर्णय या निर्णय का कोई संदर्भ नहीं देने के संदर्भ में कुछ सीमाएँ निर्धारित कीं; कानून में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है और इस अभ्यास में अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं या कानूनों का भी कोई संदर्भ नहीं है।

पारदर्शिता और जवाबदेही में मेरे दृढ़ विश्वास ने आत्म-संदेह को जन्म दिया कि क्या मैं कानून के शब्दों की गलत व्याख्या कर रहा था। इसलिए मैंने श्री प्रल्हाद कचरे, (पूर्व प्रमुख, यशदा के आरटीआई प्रकोष्ठ) को मेरे काम की आलोचनात्मक जांच करने और जहां कहीं भी उनकी मजबूत असहमति थी, टिप्पणी

देने के लिए आमंत्रित किया। श्री कचरे मेरी व्याख्या से सहमत थे और उन्होंने बहुमूल्य सुझाव दिए। इसलिए हमने इस काम का सह-लेखन किया है।

मैंने दृढ़ता से महसूस किया कि आरटीआई में प्रमुख व्यक्तियों की विविध राय इस प्रयास में मूल्य जोड़ देगी। इसलिए मैंने श्री टोबी मेंडल (कार्यकारी निदेशक, कानून और लोकतंत्र केंद्र) और श्री सत्यानंद मिश्रा (पूर्व मुख्य सूचना आयुक्त) से उनके बहुमूल्य इनपुट साझा करने के लिए संपर्क किया। दोनों ने कुछ व्याख्याओं के बारे में तीखी आलोचना के साथ-साथ अपनी टिप्पणियों की पेशकश की। मैंने उनके अधिकांश सुझावों को स्वीकार कर लिया है और कुछ मामलों में उनकी टिप्पणियों को फुटनोट के रूप में भी उद्धृत किया है, जो कभी-कभी कानून की भाषा की मेरी समझ से भिन्न हो सकता है। यह नोट करना संतोषजनक है कि अधिकांश प्रावधानों के अर्थ पर व्यापक सहमति है।

मैं सक्रिय रूप से आरटीआई अधिनियम पर चर्चा और बहस करने के लिए एक राष्ट्रीय बोलचाल की वकालत करता रहा हूं। भारत के लिए आरटीआई अधिनियम की व्याख्या पर एक प्रवचन महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से, संसद द्वारा पारित कानून के शब्दों की व्याख्या पर अपर्याप्त ध्यान दिया जाता है। ऐसे उदाहरण हैं जहां आरटीआई अधिनियम को उन निर्णयों द्वारा पूरी तरह से सीमित कर दिया गया है जिनमें कानून का एक पूरा खंड पूरी तरह से उद्धृत भी नहीं किया गया है। नागरिकों के मौलिक अधिकार को सीमित करने वाले इन निर्णयों का बड़े उत्साह के साथ पालन किया जाता है, जबकि पारदर्शिता का समर्थन करने वाले नहीं होते हैं। यह प्रयास इस उम्मीद में है कि विभिन्न हितधारक आरटीआई अधिनियम के शब्दों और भावना के अनुसार चर्चा और बहस करेंगे। यह 'स्वराज' की ओर ले जा सकता है जिसकी हम सभी को आशा है। यह पुस्तक संसद द्वारा अधिनियमित आरटीआई अधिनियम की शायद सबसे प्रामाणिक व्याख्या है।

मैं पाठकों से इस पुस्तक पर अपनी टिप्पणी साझा करने का अनुरोध करता हूं। यदि किसी पाठक को लगता है कि शब्दों की व्याख्या उनके वास्तविक अर्थ के विपरीत है, तो कृपया मुझे तजपचतर्मी/हउंपस.बवउ पर बताएं। मैं इनके साथ एक संशोधित पुस्तक लाना चाहता हूं।

शैलेश गांधी

डॉ. नीरज कुमार

विषयसूची

अध्याय 1

प्रारंभिक खंड

प्रस्तावना

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ।
2. परिभाषाएँ।

द्वितीय II

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों के दायित्व

3. सूचना का अधिकार।
4. सार्वजनिक अधिकारियों के दायित्व।
5. जन सूचना अधिकारियों का पदनाम।
6. जानकारी प्राप्त करने के लिए अनुरोध।
7. अनुरोध का निपटान।
8. सूचना के प्रकटीकरण से छूट।
9. कुछ मामलों में प्रवेश की अस्वीकृति के लिए आधार।
10. पृथक्करणीयता।
11. तीसरे पक्ष की जानकारी।

अध्याय III

केंद्रीय सूचना आयोग

12. केंद्रीय सूचना आयोग का गठन।
13. कार्यालय की शर्तें और सेवा की शर्तें।
14. मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाया जाना।

अध्याय IV

राज्य सूचना आयोग

15. राज्य सूचना आयोग का गठन।
16. कार्यालय की शर्तें और सेवा की शर्तें।
17. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना।

अध्याय V

सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य,

अपील और दंड

18. सूचना आयोगों की शक्तियां और कार्य।
19. अपील।
20. दंड।

अध्याय VI

विविध

21. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।
22. अधिनियम का अधिभावी प्रभाव होना।

23. न्यायालयों की अधिकारिता का निषेध।
24. कुछ संगठनों में अधिनियम का लागू न होना।
25. निगरानी और रिपोर्टिंग।
26. कार्यक्रम तैयार करने के लिए उपयुक्त सरकार।
27. समुचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति।
28. सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति।
29. नियमों का निर्धारण।
30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति।
31. निरसन

आरटीआई संशोधित अधिनियम
 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
 अधिनियम संख्या 2005 का 22 (15 जून, 2005)
 (जैसा कि आज तक संशोधित किया गया है)
 सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 सं। 24 2019 (1 अगस्त, 2019)

प्रस्तावना (Preamble)

प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में सूचना तक पहुंच को सुरक्षित करने के लिए नागरिकों के लिए सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन को स्थापित करने के लिए एक अधिनियम, एक केंद्रीय सूचना आयोग का गठन और राज्य सूचना आयोग और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए।

जबकि भारत के संविधान ने लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की है;

और जबकि लोकतंत्र को एक सूचित नागरिक और सूचना की पारदर्शिता की आवश्यकता होती है जो इसके कामकाज के लिए महत्वपूर्ण है और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए और सरकारों को शासित करने के लिए उनके उपकरण हैं;

और जबकि वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटीकरण से सरकारों के कुशल संचालन, सीमित वित्तीय संसाधनों का इष्टतम उपयोग और संवेदनशील जानकारी की गोपनीयता के संरक्षण सहित अन्य सार्वजनिक हितों के साथ संघर्ष होने की संभावना है;

और लोकतांत्रिक आदर्श की सर्वोपरिता को बनाए रखते हुए इन परस्पर विरोधी हितों में सामंजस्य स्थापित करना आवश्यक है;

इसलिए, अब यह समीचीन है कि उन नागरिकों को कतिपय जानकारी प्रदान की जाए जो इसे प्राप्त करना चाहते हैं।

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

टिप्पणी: प्रस्तावना अधिनियम की कसौटी है क्योंकि यह व्याख्यात्मक मार्गदर्शन प्रदान करती है। जिस प्रकार संविधान की मूल विशेषताएं कानूनों की व्याख्या का आधार बनाती हैं, उसी प्रकार प्रस्तावना की समझ अधिनियम के उद्देश्यों तक पहुंचने में सहायता करती है।

सुप्रीम कोर्ट के कई ऐतिहासिक फैसले (यूपी राज्य बनाम राज नारायण, एआईआर 1975 एससी 865; एस.पी.गुप्ता बनाम भारत के राष्ट्रपति, एआईआर 1982 एससी 149) ने अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों के हिस्से के रूप में सूचना के अधिकार को मान्यता दी है। अनुच्छेद 19 की समझ आरटीआई अधिनियम की प्रस्तावना को समझने के लिए एक शर्त है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कहा गया है:

"अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण"

(1) सभी नागरिकों को अधिकार होगा

(a) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए;

(b) शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के इकट्ठा होना;

(c) संघों या संघों या सहकारी समितियों का गठन करना;

(d) भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए;

(e) भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहने और बसने के लिए;

तथा

(f) छोड़ा गया

(g) किसी पेशे का अभ्यास करने के लिए, या कोई व्यवसाय, व्यापार या व्यवसाय करने के लिए

(2) खंड (1) के उप खंड (a) में कुछ भी किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा, जहां तक कि ऐसा कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाता है भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उक्त उप खंड है।

भारत के संविधान का यह विवेकपूर्ण शब्दों वाला लेख अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के सच्चे लोकतांत्रिक आदर्श को स्वीकार करता है। लोकतंत्र में नागरिकों की आवाज स्वतंत्र और निर्बाध होनी चाहिए। विश्व स्तर पर यह स्वीकार किया गया है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में सूचना का अधिकार शामिल है। सूचना के अधिकार के बिना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को पूरी तरह से महसूस नहीं किया जा सकता है। एक बेख़बर नागरिक लोकतांत्रिक शासन में सार्थक रूप से व्यक्त या भाग नहीं ले सकता है। इसलिए सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का एक आंतरिक हिस्सा है जिसका विशेष रूप से अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। यह नागरिकों को दिया गया कोई नया अधिकार नहीं है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की विधायी मंशा स्पष्ट है जब यह एक सूचित नागरिक की आवश्यकता को स्वीकार करता है, "भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने और सरकारों और उनके उपकरणों को शासितों के प्रति जवाबदेह ठहराने के

लिए।” इस प्रकार इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और सरकार के सभी साधनों को जवाबदेह ठहराने में सक्षम बनाना है।

हर स्तर पर एक लोकतांत्रिक सरकार ‘लोगों की, लोगों द्वारा और लोगों के लिए’ सरकार होती है। यह हमें सूचना की व्यावहारिक वास्तविकता की ओर ले जाता है जो शक्ति का साधन है, जिसे नागरिकों के साथ साझा करने की आवश्यकता है। शासन की प्रक्रिया में पारदर्शिता मनमानी और भ्रष्टाचार पर अंकुश का काम करती है। लंबे समय तक, भारत में नागरिक जवाबदेही की कमी के कारण अपनी सरकार की निगरानी करने में असमर्थ थे। यह पहली बार था कि सूचना के अधिकार के माध्यम से नागरिक अधिकार के रूप में सरकार से जानकारी प्राप्त कर सके। इसने व्यक्तिगत नागरिक को सशक्त बनाकर सत्ता के प्रतिमान को बदल दिया। सहभागी सतर्कता की यह प्रक्रिया समावेशी सुशासन की दिशा में मार्ग प्रशस्त करेगी जिससे प्रस्तावना के जवाबदेही सिद्धांतों की पूर्ति होगी। कानून बनाते समय इन पहलुओं पर सांसदों ने समझदारी से विचार किया है। लोकतंत्र का सार यह है कि प्रत्येक नागरिक अपने आप में एक संप्रभु है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम को राज्य के साथ प्रत्येक संप्रभु व्यक्ति द्वारा संवाद के एक उपकरण के रूप में समझने की आवश्यकता है। भारतीय संविधान को स्वराज—भागीदारी शासन के निहित वादे के साथ डिजाइन किया गया था। यदि ‘हम लोगों’ को सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी नहीं है तो सार्थक भागीदारी नहीं हो सकती है।

अंतिम पैराग्राफ में यह स्वीकार किया गया है कि अन्य सार्वजनिक हितों के साथ कुछ संघर्ष हो सकता है और हमारे संविधान के अनुसार इन विभिन्न आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता है। प्रस्तावना स्वीकार करती है कि कुछ व्यावहारिक कठिनाइयाँ हो सकती हैं जैसे कि अधिक संसाधनों की आवश्यकता, अतिरिक्त व्यय और सरकार के कुशल कामकाज को सुनिश्चित करना। इन्हें ध्यान में रखते हुए संसद ने कानून बनाते समय इनका सामंजस्य स्थापित किया है, ताकि हमारे संविधान में निहित लोकतांत्रिक आदर्श को प्राप्त किया जा सके। इसलिए इस अधिकार को साकार करने और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए इसे संहिताबद्ध करने की आवश्यकता है। नागरिकों के इस मौलिक अधिकार पर उचित सीमाओं को संविधान के अनुच्छेद 19(2) का पालन करना होगा। प्रस्तावना का यह भाग अधिकार पर प्रतिबंधों से संबंधित है जिन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 में प्रदान की गई छूट के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। ये अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप हैं जो ‘उचित प्रतिबंध’ के रूप में एक अंतर्निहित और अंतर्निहित सुरक्षा प्रदान करता है।

अंग्रेजों ने अपने ‘राज’ को स्थापित करने और उसे कायम रखने के लिए गोपनीयता की संस्कृति पैदा की। सत्ता में बैठे लोगों ने शासन में इसे बड़े पैमाने पर जारी रखा है। इन प्रतिबंधों पर आधारित छूटों को कानून के अनुसार संकीर्ण

रूप से परिभाषित करने और अनुच्छेद 19(2) के अनुसार कड़ाई से परीक्षण करने की आवश्यकता है।

टिप्पणी: अधिनियम 12 मई 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था, 15 जून को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 12 अक्टूबर 2005 से पूरी तरह से लागू हो गया।

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 कहा जा सकता है।

(2) यह पूरे भारत में फैला हुआ है।***। (शब्द “जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर” 2019 के अधिनियम 34, धारा 95 और पांचवीं अनुसूची (31-10-2019 से प्रभावी) द्वारा छोड़े गए। (अनुच्छेद 370 राजपत्र संख्या 453 का निरसन) नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2019/श्रवण 15, 1941 भाग 2—खंड 3—उप-खंड (i), कानून और न्याय मंत्रालय (विधान विभाग) अधिसूचना नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2019 जीएसआर .551 (ई)।— निम्नलिखित राष्ट्रपति द्वारा दिया गया आदेश सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:— संविधान (जम्मू और कश्मीर के लिए आवेदन) आदेश, 2019 CO 272)

*** (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है। (सम्मिलित, प्रतिस्थापित, संशोधित; और गजट अधिसूचना संख्या 43, नई दिल्ली, गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 / श्रावण 10, 1941 (शक), सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 सं द्वारा संशोधित। 24 ऑफ 2019 (1 अगस्त, 2019)।

टिप्पणी: जम्मू और कश्मीर में 2009 से प्रभावी एक अलग राज्य आरटीआई कानून था। संसद द्वारा पारित सभी कानून संविधान के अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू और कश्मीर को कवर नहीं करते थे।

*****लेकिन उक्त संशोधन के बाद अब यह जम्मू और कश्मीर राज्य पर भी लागू है।**

(3) धारा 4 की उप-धारा (1), धारा 5 की उप-धारा (1) और (2), धारा 12, 13, 15, 16, 24, 27 और 28 के प्रावधान एक साथ लागू होंगे, और इस अधिनियम के शेष प्रावधान इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन पर लागू होंगे।

टिप्पणी: अधिनियम 12 मई 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था, 15 जून को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त हुई और 12 अक्टूबर 2005 से पूरी तरह से लागू हो गया। इसका विस्तार सम्पूर्ण भारत पर है।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(a) “उपयुक्त सरकार” का अर्थ एक सार्वजनिक प्राधिकरण के संबंध में है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रदान की गई निधियों द्वारा स्थापित, गठित, स्वामित्व, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित है

(i) केंद्र सरकार या केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन, केंद्र सरकार द्वारा;

(ii) राज्य सरकार, राज्य सरकार द्वारा;

टिप्पणी: वित्त पोषण के आधार पर उपयुक्त सरकार राज्य या केंद्र सरकार होगी। उपयुक्त सरकार के पास है:

- सूचना आयोग के गठन की शक्ति और धारा 12 और 15 के अंतर्गत सूचना आयुक्तों की नियुक्ति।

- लोक प्राधिकरण राज्य या केंद्रीय सूचना आयोग के अधिकार क्षेत्र में होगा या नहीं, यह तय करने के लिए उपयुक्त सरकार का क्षेत्राधिकार महत्वपूर्ण कारक है। इसे धारा 2(h), 12 और 15 के साथ पढ़ना होगा।

- सूचना आयोग द्वारा धारा 25(1) के अंतर्गत अग्रेषित प्रत्येक वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट का अवलोकन करें और अपने अधिकार क्षेत्र में सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी सुनिश्चित करें।

- उपयुक्त सरकार को नागरिकों और सार्वजनिक प्राधिकरणों के बीच सूचना के अधिकार के प्रति जागरूकता और प्रचार के लिए धारा 26 के अंतर्गत कार्यक्रम, सार्वजनिक दिशानिर्देश, डिजाइन और प्रसार रणनीति तैयार करनी चाहिए।

- धारा 2(g), 27 और 29 के अंतर्गत नियम बनाना।

2(b) "केंद्रीय सूचना आयोग" का अर्थ धारा 12 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित केंद्रीय सूचना आयोग है;

2(c) "केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी" का अर्थ उप-धारा (1) के अंतर्गत नामित केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी है और इसमें धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नामित एक केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी शामिल है;

2(d) "मुख्य सूचना आयुक्त" और "सूचना आयुक्त" का अर्थ मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त धारा 12 की उप-धारा (3) के अंतर्गत नियुक्त किया गया है;

2(e) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है—

(i) लोक सभा या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के मामले में अध्यक्ष और राज्य की परिषद या किसी राज्य की विधान परिषद के मामले में अध्यक्ष;

(ii) सर्वोच्च न्यायालय के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश;

(iii) उच्च न्यायालय के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश;

(iv) राष्ट्रपति या राज्यपाल, जैसा भी मामला हो, संविधान द्वारा या उसके अंतर्गत स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों के मामले में;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अंतर्गत नियुक्त प्रशासक;

टिप्पणी: इसे धारा 2(g) और धारा 28 के माध्यम से देखे जाने की जरूरत है जो यह सुझाव देती है कि प्रत्येक सक्षम प्राधिकारी को नियम बनाने की शक्तियाँ निहित हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियम केवल संबंधित सक्षम प्राधिकारी के नियंत्रण में काम कर रहे सार्वजनिक प्राधिकरणों पर लागू होते हैं। सभी सक्षम प्राधिकारियों की यह नियम बनाने की शक्ति धारा 29 के प्रावधानों के अधीन नहीं है। यह स्पष्ट रूप से, 2(e)(iv) में उल्लिखित के अलावा अन्य सक्षम अधिकारियों द्वारा प्राप्त स्वायत्तता का सम्मान करने के लिए है।

नियम संबंधित सदनों के अध्यक्षों, संबंधित न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों, संबंधित राज्यों के राज्यपालों और राष्ट्रपति द्वारा बनाए जा सकते हैं। धारा 28 में चर्चा की गई 'सक्षम प्राधिकारी' का एकमात्र विशिष्ट कार्य मुख्य रूप से शुल्क और अपील के प्रारूप के लिए नियम बनाने का अधिकार है। केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक नियम बना सकता है। ये नियम किसी ऐसी चीज को निरूपित नहीं कर सकते जो कानून के अनुरूप नहीं है। किसी भी प्रकार की विसंगति की स्थिति में कानून मान्य होगा।

2(f) "सूचना" का अर्थ किसी भी रूप में किसी भी सामग्री से है, जिसमें रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ई-मेल, राय, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, अनुबंध, रिपोर्ट, कागजात, नमूने, मॉडल, डेटा सामग्री शामिल हैं। किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रूप में और किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी जिसे किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किसी अन्य कानून के अंतर्गत किसी भी समय लागू किया जा सकता है;

टिप्पणी: इसलिए, सूचना का अर्थ कुछ भी होगा जो किसी भी रूप में, किसी भी रूप में सार्वजनिक प्राधिकरण के पास मौजूद है। विशिष्ट उदाहरण – रिकॉर्ड, दस्तावेज, मेमो, ईमेल, राय, सलाह, रिपोर्ट, नमूने, मॉडल – केवल व्यापक दायरे को दर्शाने के लिए हैं। स्पष्ट रूप से, फाइल-टिप्पणी राय है और इसलिए अधिनियम के दायरे में आती है। सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त कानूनी या अन्य राय, या उनके द्वारा प्राप्त विभिन्न रिपोर्ट सभी शामिल हैं।

यहां, यह निजी निकायों के संबंध में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत का सुझाव देता है। किसी भी निजी निकाय से संबंधित जानकारी, जो 'सार्वजनिक प्राधिकरण' (धारा 2 h में दी गई) की परिभाषा में शामिल नहीं हो सकती है, एक सार्वजनिक प्राधिकरण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है यदि कानून सार्वजनिक प्राधिकरण को इसे एक्सेस करने की अनुमति देता है। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है। इस प्रकार, यदि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी निजी संगठन से कानून के अंतर्गत कोई जानकारी मांगने का अधिकार है, तो नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी मांग सकता है। नागरिकों द्वारा इस परंतुक का प्रयोग कैसे किया जा सकता है, इसके कुछ उदाहरणात्मक उदाहरण:

- एक निजी बैंक के बारे में जानकारी नियामक – आरबीआई – से प्राप्त की जा सकती है यदि कानून में जानकारी दर्ज करने की आवश्यकता होती है।

- एक निजी गैर सहायता प्राप्त स्कूल के बारे में जानकारी – शिक्षा विभाग से।

- पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में जानकारी – कंपनी रजिस्ट्रार या सेबी से अगर कानून उन्हें इसके लिए पूछने का अधिकार देता है।

- सहकारी समिति के बारे में जानकारी – सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से।

- ट्रस्टों के बारे में जानकारी – चैरिटी कमिशनर से।

- भारतीय रिजर्व बैंक से निजी बैंकों सहित विभिन्न बैंकों के बारे में जानकारी।

‘एक्सेस’ शब्द पर कुछ अस्पष्टता है। इसका मतलब ऐसी कोई भी जानकारी हो सकता है जिसे प्राधिकरण विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत मांग सकता है, या वह जानकारी जिसे प्राधिकरण आमतौर पर कानून के अंतर्गत हासिल करता है। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

टोबी मेंडल, (व्यक्तिगत संचार, मई 13, 2016) का तर्क है कि यह किसी भी जानकारी तक विस्तारित नहीं हो सकता है जो एक जांच प्राधिकारी (जैसे पुलिस) एक जांच के अनुसरण में मांग सकता है। और फिर भी इसे सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा पहले से रखी गई (या आयोजित की जाने वाली) जानकारी से आगे बढ़ना चाहिए। इसमें ऐसी जानकारी शामिल होती है जो एक प्राधिकरण किसी भी समय (अर्थात् जांच के दायरे में आने वाले विशेष मामलों में ही नहीं) किसी निजी निकाय से मांग सकता है। उदा. एक ब्रॉडकास्ट रेगुलेटर के पास ब्रॉडकास्टर से उसकी स्वामित्व संरचना के लिए पूछने की शक्ति हो सकती है, इसलिए नहीं कि वह जांच कर रहा है बल्कि सिर्फ जांच करने के लिए है।

एक उदाहरण के रूप में: श्रम कार्यालय को निश्चित अंतराल पर कुछ जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है – यह अधिनियम द्वारा परिभाषित ‘सूचना’ है, और इसलिए इसे एक्सेस किया जा सकता है। हालांकि, एक निरीक्षण या जांच के दौरान श्रम कार्यालय किसी संगठन के लगभग सभी रिकॉर्ड तक पहुंच सकता है जो अन्यथा नहीं किया जाएगा।

कुछ आरटीआई कार्यकर्ताओं का तर्क है कि यह प्रावधान सार्वजनिक प्राधिकरण की विशेष जांच शक्तियों को लागू करके किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के माध्यम से किसी निजी संगठन की किसी भी जानकारी तक पहुंच की अनुमति देता है। इस तरह की व्यापक व्याख्या का वास्तव में मतलब यह होगा कि सभी निजी संगठनों को अपने साथ सारी जानकारी का खुलासा करने के लिए

मजबूर किया जा सकता है। यह बहुत व्यापक व्याख्या होगी। केवल 'सामान्य रूप से' और सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से एक्सेस की जाने वाली जानकारी ही आरटीआई के दायरे में आती है।

हालाँकि, सार्वजनिक प्राधिकरण के पास सभी जानकारी निश्चित रूप से सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा कवर की गई जानकारी है। लोक प्राधिकरण नागरिकों की ओर से जानकारी रखता है। इस प्रकार, एक बार जब कोई सूचना सार्वजनिक प्राधिकरण के पास होती है, तो वह सूचना का अधिकार अधिनियम (अधिनियम की धारा 8 की छूट के अधीन) के अंतर्गत किसी भी नागरिक के लिए 'सूचना' उपलब्ध होती है। बार-बार, अधिनियम परोक्ष रूप से मानता है कि सरकार नागरिक की ओर से सभी जानकारी रखती है।

अक्सर, कुछ सूचना का अधिकार अधिनियम के उपयोगकर्ता स्पष्टीकरण या उत्तर की अपेक्षा करते हैं, भले ही रिकॉर्ड में कुछ भी उपलब्ध न हो। यह मान्य नहीं हो सकता। आरटीआई पूछताछ का अधिकार नहीं है। जानकारी को भौतिक रूप में मौजूद होना चाहिए। जब सूचना के अधिकार के अनुरोध को प्रश्न के रूप में तैयार किया जाता है तो अक्सर अधिकारी सूचना देने से इनकार कर देते हैं। इस स्थिति का कानून में कोई आधार नहीं है।

उदाहरण के तौर पर, यदि कोई आवेदक पूछता है: "विभाग के प्रमुख का नाम क्या है?" या "संगठन द्वारा 2014 में चिकित्सा व्यय पर कितना व्यय किया गया है?"

यह जानकारी रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। हालाँकि, अगर कोई आवेदक पूछता है: "नगर निगम ने सभी सड़कों की मरम्मत और रखरखाव क्यों नहीं किया?" या "एक निश्चित नियम का अर्थ क्या है?" या "निर्णय मेरे पक्ष में क्यों नहीं दिया गया" आदि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या ऐसी जानकारी रिकॉर्ड में मौजूद है। यदि यह रिकॉर्ड पर मौजूद है तो इसे प्रदान किया जाना चाहिए और यदि नहीं, तो प्रदान किया गया उत्तर "इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है" होना चाहिए।

2(g) "निर्धारित" का अर्थ उपयुक्त सरकार या सक्षम प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;

टिप्पणी: नियम शुल्क, आवेदनों के प्रारूप, अपील आदि पर लागू होते हैं। ये केवल धारा 2(e) में उल्लिखित उपयुक्त सरकार और सक्षम अधिकारियों द्वारा ही किए जा सकते हैं। अन्य लोक प्राधिकरणों या विभागों को कोई नियम बनाने का अधिकार नहीं है। आम तौर पर यह स्वीकार किया जाता है कि विनियम भी अधिकृत से आगे नहीं जा सकते हैं उदाहरण के लिए, नियम किसी भी जानकारी को छूट देने के लिए निर्दिष्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि आरटीआई अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत छूट प्राप्त है। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

टोबी मेंडल, (व्यक्तिगत संचार, मई 13, 2016) का सुझाव है कि यह आम तौर पर स्वीकार किया जाता है कि नियम प्राथमिक कानून द्वारा स्पष्ट या परोक्ष रूप से अधिकृत से आगे नहीं जा सकते हैं। कोई व्यक्ति, विनियमन के माध्यम से, ऐसे मामलों में नहीं पड़ सकता जो कानून के दायरे में नहीं हैं।

2(h) "सार्वजनिक प्राधिकरण" का अर्थ है किसी भी प्राधिकरण या निकाय या स्व-सरकार की संस्था की स्थापना या गठित—

(ए) संविधान द्वारा या उसके अंतर्गत;

(बी) संसद द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा;

(सी) राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी अन्य कानून द्वारा;

(डी) उपयुक्त सरकार द्वारा जारी अधिसूचना या आदेश द्वारा, और इसमें कोई भी शामिल है—

(i) स्वामित्व वाली, नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय;

(ii) गैर-सरकारी संगठन उपयुक्त सरकार द्वारा प्रदान की गई निधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित;

टिप्पणी: वास्तव में यह किसी भी प्राधिकरण या निकाय का सुझाव देता है जिसे हम आम बोलचाल में सरकार मानते हैं— सभी मंत्रालय और उनके विभाग, नगर निकाय, पंचायत आदि। इसमें कोर्ट, यूपीएससी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम जैसे राष्ट्रीयकृत बैंक, एलआईसी और यूटीआई भी शामिल हैं। गौरतलब है कि संसद, विधायिका, न्यायपालिका, राष्ट्रपति और राज्यपालों के प्रतिष्ठानों को भी नागरिकों की निगरानी में लाया गया है।

उपखंड (d)½ उन संगठनों को संदर्भित करता है जो एक विशिष्ट अधिसूचना द्वारा बनाए जाते हैं जैसे। डीम्ड विश्वविद्यालय जो एक विशिष्ट अधिसूचना द्वारा बनाए गए हैं।

उप खंड (d)(i) और (ii) का अर्थ है कि कोई भी गैर-सरकारी संगठन और निजी संस्थाएं जो सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्याप्त स्वामित्व, नियंत्रित या वित्तपोषित हैं, RTI के दायरे में हैं। इस प्रकार सहायता प्राप्त स्कूल और कॉलेज सार्वजनिक प्राधिकरण हैं। जब कंपनियों, या ट्रस्टों या गैर सरकारी संगठनों के बोर्ड में महत्वपूर्ण सरकारी नामित होते हैं तो यह सरकार द्वारा नियंत्रित होता है। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

टोबी मेंडल, (व्यक्तिगत संचार, मई 13, 2016) का तर्क है कि अपने संगठनों के लक्ष्यों को पूरा करने के अलावा बोर्ड के सदस्य भी सरकार के निर्देश के अधीन हैं और यह सूचना के अधिकार कानून के अंतर्गत लाने के लिए पर्याप्त है।

कई बार जब सरकार के उम्मीदवारों के पास बहुमत नहीं होता है, तो यह दावा किया जाता है कि सरकार का नियंत्रण नहीं है। यह दलील कि यदि सरकारी नामित व्यक्ति पूर्ण नियंत्रण में नहीं हैं तो संगठन एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि विशेषण 'पूर्ण' या 'व्यापक' नियंत्रण का उल्लेख नहीं किया गया है।

जहां सरकार के पास या तो पर्याप्त हिस्सेदारी है, या उस पर नियंत्रण है, या उसने पर्याप्त वित्त दिया है, ये सार्वजनिक प्राधिकरण हैं, जो सीधे सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। पर्याप्त वित्त कर-प्रोत्साहन, सब्सिडी और भूमि जैसी अन्य रियायतों को भी ध्यान में रख सकता है।

'स्वामित्व' और 'पर्याप्त वित्त' शब्दों के बारे में कुछ अस्पष्टता है। वित्त या तो निवेश के रूप में या खर्चों के लिए, या दोनों के रूप में हो सकता है। जिस तरह से शब्दों को रखा गया है, वह दर्शाता है कि

(i) निवेश से संबंधित है और

(ii) चल रहे खर्चों, परियोजनाओं और वितरण गतिविधियों से संबंधित है।

कंपनी अधिनियम की धारा 2(45) सरकारी कंपनी को इस प्रकार परिभाषित करती है:

"इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सरकारी कंपनी, का अर्थ है ऐसी कोई भी कंपनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत केंद्र सरकार, या किसी राज्य सरकार या सरकारों, या आंशिक रूप से केंद्र सरकार के पास है। और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा, और इसमें एक कंपनी शामिल है जो इस प्रकार परिभाषित सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।"

किसी भी नियम के अनुसार, जब भी किसी निकाय में 51 प्रतिशत से अधिक निवेश किसी संस्था के पास होता है, तो उसे उस संस्था के स्वामित्व में कहा जाता है और कंपनी कानून भी इसकी पुष्टि करता है। आरटीआई अधिनियम में अलग-अलग 'स्वामित्व वाले' 'नियंत्रित' और 'काफी वित्तपोषित' का उल्लेख है, इसलिए इन शब्दों को कुछ अर्थ सौंपा जाना चाहिए जो स्वामित्व द्वारा कवर नहीं किया गया है। यह स्पष्ट है कि संसद का इरादा अन्य संगठनों के अधिकार के दायरे का विस्तार करना है, जो सरकार के स्वामित्व में नहीं हैं, लेकिन सरकारी धन से वित्तपोषित हैं या उपयुक्त सरकार द्वारा नियंत्रित हैं।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी अधिनियम में किसी भी शब्द को अनावश्यक नहीं माना जा सकता है, जब तक कि विरोधाभास ऐसा न हो कि एक महत्वपूर्ण भाग को अर्थहीन बना दिया जाए, या यह प्रस्तावना का उल्लंघन न करे। इसलिए ऐसी स्थिति पर विचार करना आवश्यक हो जाता है जहां एक इकाई

को स्वामित्व या पर्याप्त वित्त के बिना सरकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है जैसे कि वे ट्रस्ट के बोर्ड को नियंत्रित करते हैं।

जब कोई चैरिटी कमिशनर या रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज किसी ट्रस्ट या सोसाइटी के मामलों को चलाने के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करता है, या उसके पास ऐसे नामित व्यक्ति होते हैं जो पहले बताए गए सरकारी कर्मचारी होते हैं; नामांकित व्यक्ति के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करने के अलावा, नियंत्रण का प्रयोग करने के लिए सरकार के निर्देश के अधीन भी हैं। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

टोबी मेंडल, (व्यक्तिगत संचार, मई 13, 2016) का मानना है कि सरकारी बोर्ड के सदस्यों को निकाय के हितों में काम करना चाहिए। लेकिन वे सरकारी लोग बने रहते हैं और उन्हें सरकार की नीति का भी पालन करना पड़ता है, इसलिए नियंत्रण।

मेंडल, टोबी (व्यक्तिगत संचार, मई 13, 2016) का सुझाव है कि स्वामित्व और धन के बीच यहाँ भ्रम है और वे नियंत्रण की स्थिति से पूरी तरह से अलग हैं।

इसलिए यह स्पष्ट है कि धारा 2(h)(i) के अनुसार 'पर्याप्त रूप से वित्तपोषित निकाय' एक ऐसा निकाय होगा जहाँ न तो स्वामित्व और न ही नियंत्रण सरकार के पास हो सकता है। इसलिए 'काफी वित्तपोषित' शब्द का अर्थ 51 प्रतिशत से कम होल्डिंग पर देना होगा। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है। कंपनी कानून उन लोगों को महत्वपूर्ण अधिकार देता है जिनके पास कंपनी में 26 प्रतिशत शेयर हैं। कोई विशेष प्रस्ताव तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि 75 प्रतिशत शेयरधारक सहमत न हों। इस प्रकार, 26% होल्डिंग नियंत्रण का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरी ओर, कंपनी कानून की धारा 2(6) किसी अन्य कंपनी के संबंध में "सहयोगी कंपनी" को परिभाषित करती है:

(6) "सहयोगी कंपनी", किसी अन्य कंपनी के संबंध में, एक ऐसी कंपनी का अर्थ है जिसमें उस अन्य कंपनी ने एक महत्वपूर्ण प्रभाव, लेकिन जो इस तरह के प्रभाव वाली कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और इसमें एक संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "महत्वपूर्ण प्रभाव" का अर्थ है

कुल शेयर पूंजी, या व्यावसायिक निर्णयों के कम से कम बीस प्रतिशत का नियंत्रण एक समझौते के अंतर्गत है।

सूचना का अधिकार अधिनियम का स्पष्ट प्रमुख दृष्टिकोण यह है कि नागरिकों का पैसा शामिल है और इसलिए, चूंकि राज्य नागरिकों की ओर से कार्य करता है, जहाँ भी राज्य पर्याप्त धन देता है, नागरिक को जानने का अधिकार है। अधिनियम में 'पर्याप्त वित्त' वाक्यांश को परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि,

यह तय करने के उद्देश्य से कि 'पर्याप्त वित्त' क्या है, प्रत्येक मामले को मनमाने ढंग से तय करने के बजाय एक दिशानिर्देश तैयार करना उपयोगी हो सकता है। सामान्य व्यापार की भाषा में 'महत्वपूर्ण वित्त' का अर्थ कुल शेयर पूंजी के छब्बीस प्रतिशत से अधिक का नियंत्रण हो सकता है, जो कुछ महत्वपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों पर नियंत्रण प्रदान करेगा। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

टोबी मेंडल, (व्यक्तिगत संचार, मई 13, 2016) यहां निष्कर्ष से सहमत हैं यानी 20-25% लेकिन इस कारण से नहीं। उनका सुझाव है कि यह एक व्यावसायिक स्थिति नहीं है। यह सार्वजनिक वित्त पोषण की सीमा को पूरा करने के बारे में है जो तब दायित्वों को आकर्षित करता है।

मेंडल, टोबी (व्यक्तिगत संचार, जुलाई 31, 2016) का विचार है कि , यहाँ तक कि कनाडा के मानकों के अनुसार भी लगभग 2 मिलियन रुपये की राशि निश्चित रूप से पर्याप्त है।

इसलिए यह उचित प्रतीत होता है कि एक सीमा 26 प्रतिशत इक्विटी का प्रतिनिधित्व करती है। शायद चल रहे खर्च का 20 प्रतिशत 'पर्याप्त वित्त' के रूप में माना जा सकता है। सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकताओं को पूरा करने में बहुत छोटे संगठनों को जिस समस्या का सामना करना पड़ सकता है, उसे दूर करने के लिए, यह स्वीकार करना भी उचित हो सकता है कि यदि कोई एनजीओ राशि प्राप्त करता है – मान लीजिए कि 2 मिलियन से कम – इसे पर्याप्त वित्त नहीं माना जाएगा . इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है। यह कानून में परिभाषित नहीं है, और हमने यह निर्धारित करने के लिए कि क्या कोई संगठन एक सार्वजनिक प्राधिकरण है, दृष्टिकोण की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनी व्याख्या देने की मांग की है। वित्त प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सरकार द्वारा प्रदान किया जा सकता है। इसका मतलब है कि या तो फंड सीधे सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है, या कोई भी संगठन जो सरकार के स्वामित्व में है, उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या बैंक। यह अप्रत्यक्ष वित्त होगा।

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि कानून उन संस्थाओं को कवर नहीं करता है जो सार्वजनिक कार्य करते हैं जब तक कि वे सरकार द्वारा नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित नहीं होते हैं। एक निजी संस्था जिसे सरकार द्वारा वित्तपोषित या नियंत्रित नहीं किया जाता है, वह इस अधिनियम द्वारा परिभाषित 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं है। सार्वजनिक उपयोगिताएँ जैसे बिजली वितरण कंपनियाँ, या जो सड़कें प्रदान करती हैं और उनका रखरखाव करती हैं, कानून द्वारा परिभाषित 'सार्वजनिक प्राधिकरण' नहीं हैं, जब तक कि यह नहीं दिखाया जा सकता है कि वे सरकार द्वारा नियंत्रित या पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के कई उपयोगकर्ता महसूस करते हैं कि नियामक नियंत्रण को नियंत्रण के रूप में माना जाना चाहिए। यह दृष्टिकोण आम तौर पर स्वीकार

नहीं किया जाता है, क्योंकि लगभग सभी निकाय कुछ नियमों के अधीन हैं, और यह कानून की व्याख्या बहुत व्यापक होगी।

2(i) "रिकॉर्ड" में शामिल हैं—

- (a) कोई दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल;
- (b) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और प्रतिकृति प्रति;
- (c) ऐसे माइक्रोफिल्म में सन्निहित छवि या छवियों का कोई पुनरुत्पादन (चाहे बड़े हुए हों या नहीं); तथा
- (d) कंप्यूटर या किसी अन्य उपकरण द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

टिप्पणी: प्रभावी रूप से, किसी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध किसी भी रूप में कोई भी रिकॉर्ड।

2(j) "सूचना का अधिकार" का अर्थ है इस अधिनियम के अंतर्गत सुलभ सूचना का अधिकार जो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा या उसके नियंत्रण में है और इसमें निम्नलिखित का अधिकार शामिल है—

- (i) कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;
- (ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के नोट्स, उद्धरण या प्रमाणित प्रतियां लेना;
- (iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;
- (iv) डिस्कट, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक मोड में या प्रिंटआउट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करना जहां ऐसी जानकारी कंप्यूटर या किसी अन्य डिवाइस में संग्रहीत है;

टिप्पणी: सूचना का अधिकार आवेदक को कार्य या दस्तावेजों और अभिलेखों के निरीक्षण का अधिकार देता है। यह एक आवेदक को नोट्स लेने, या उद्धरण मांगने, या किसी भी रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां लेने का भी अधिकार देता है। चूंकि उद्धरण शब्द का उल्लेख किया गया है, इसका अर्थ यह होगा कि आवेदक अपने द्वारा मांगे गए अभिलेखों का उद्धरण प्राप्त करने का हकदार है। हालांकि यह धारा 7(9) में प्रावधान के अधीन होगा। यदि सूचना डिजिटल रूप में है तो सूचना मांगी जा सकती है और उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रदान की जा सकती है।

कभी-कभी, रिकॉर्ड की एक विस्तृत श्रृंखला में थोड़ी मात्रा में डेटा खोजने की आवश्यकता हो सकती है। ऐसे परिदृश्य में, सभी की फोटोकॉपी देना महंगा और बेकार हो सकता है और इसलिए फाइलों के निरीक्षण के अनुरोध के माध्यम से व्यक्ति को इसे खोजने की अनुमति देना अधिक कुशल हो सकता है। आवेदक निरीक्षण के लिए सूचना के अधिकार आवेदन में उल्लेख कर सकता है कि वह

निरीक्षण के समय कुछ दस्तावेजों की प्रतियां भी ले जाएंगी। निरीक्षण के लिए अभिलेखों की पेशकश करने वाले अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आवेदक को फाइल नंबरों के बारे में सूचित किया गया है। फाइलों को धारा 4(1)(a) की आवश्यकता के अनुसार अनुक्रमित और क्रमांकित किया जाना चाहिए। व्यावहारिक उपाय के रूप में पीआईओ एक आवेदक को निरीक्षण के लिए तीन तारीखें भी दे सकता है।

2(k) "राज्य सूचना आयोग" का अर्थ है धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत गठित राज्य सूचना आयोग;

2(l) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" का अर्थ है राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त जो धारा 15 की उपधारा (3) के अंतर्गत नियुक्त हैं;

2(m) "राज्य लोक सूचना अधिकारी" का अर्थ है उप-धारा (1) के अंतर्गत नामित राज्य लोक सूचना अधिकारी और इसमें धारा 5 की उप-धारा (2) के अंतर्गत नामित एक राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी शामिल है;

2(n) "तृतीय पक्ष" का अर्थ है सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक के अलावा अन्य व्यक्ति और इसमें एक सार्वजनिक प्राधिकरण शामिल है।

टिप्पणी: तीसरे पक्ष को आवेदक और सार्वजनिक प्राधिकरण के अलावा कोई और होना चाहिए जिससे सूचना मांगी गई है। हालांकि, एक अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को भी तीसरे पक्ष के रूप में माना जाएगा।

द्वितीय अध्याय

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों के दायित्व

3. सूचना का अधिकार—इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा।

टिप्पणी: यह अधिनियम का सबसे छोटा खंड है लेकिन इसका बहुत महत्व है। यह बताता है कि इस कानून के प्रावधानों के अधीन सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार, किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने पर एकमात्र प्रतिबंध इस कानून द्वारा प्रदान किया गया है। जानकारी प्रदान करने पर प्रतिबंध केवल धारा 8 और 9 में प्रदान किए गए हैं।

4. लोक प्राधिकारियों के दायित्व—(1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण—

(a) अपने सभी अभिलेखों को विधिवत सूचीबद्ध और अनुक्रमित तरीके से और इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना के अधिकार की सुविधा प्रदान करता है और यह सुनिश्चित करता है कि कम्प्यूटरीकृत होने के लिए उपयुक्त सभी रिकॉर्ड उचित समय के भीतर और संसाधनों की उपलब्धता के अधीन हैं, कम्प्यूटरीकृत और पूरे देश में विभिन्न प्रणालियों पर एक नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा हुआ है ताकि इस तरह के रिकॉर्ड तक पहुंच की सुविधा हो;

टिप्पणी: सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(a) सुशासन को सूचना और रिकॉर्ड प्रबंधन, सभी फाइलों को अनुक्रमित करने और उन्हें आसानी से सुलभ बनाने के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश देती है। यह कार्यालय प्रक्रियाओं के नियमावली के अनुसार हमेशा एक आवश्यकता रही है, और अब एक वैधानिक आवश्यकता है। यह सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को भी अनिवार्य करता है जिसके लिए प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने सभी अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत करने और इसे अपलोड करने की आवश्यकता होती है ताकि इसे जहां कहीं भी आवश्यकता हो वहां पहुंचा जा सके। यह सच्चे ई-गवर्नेंस के लिए एक जनादेश है। अभिलेखों के रख-रखाव में विफलता के परिणामस्वरूप सरकार की कार्यकुशलता कम हो रही है। अभिलेखों की अनुपलब्धता भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती है क्योंकि इससे मनमाने निर्णय लेने के अलावा नागरिकों को सेवा और सूचना प्रदान करने में कठिनाई होती है। यह खंड सरकार में दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए पूरे देश में कंप्यूटरों की नेटवर्किंग को अनिवार्य करता है।

4(b) इस अधिनियम के अधिनियमित होने से एक सौ बीस दिनों के भीतर प्रकाशित करें, —

टिप्पणी: आरटीआई की धारा 4(1)(b) में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को सक्रिय आधार पर सार्वजनिक डोमेन में जानकारी अपलोड करने की आवश्यकता के द्वारा एक सूचित नागरिकता के निर्माण के विधायी इरादे को पूरा करने की

रणनीति की परिकल्पना की गई है। इससे सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता आएगी और व्यक्तिगत आवेदनों की फाइलिंग भी कम होगी। इस प्रावधान की भावना सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिकों के बीच एक संवाद शुरू करना है। यह आगे की भागीदारी सुनिश्चित करेगा जिससे सूचित नागरिकता प्राप्त होगी जो एक सहभागी लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है।

4(i) इसके संगठन, कार्यों और कर्तव्यों का विवरण;

4(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

टिप्पणी: धारा 4(1)(b)(i) और (ii) का सुझाव है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज और जिम्मेदारियों को उसके कर्मचारियों की शक्तियों और कार्यों के साथ समझा जाना चाहिए। स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए इसमें शामिल लोगों के कार्यों और कर्तव्यों के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जाना चाहिए। अक्सर, इन्हें विभागों के भीतर भी स्पष्ट रूप से परिभाषित और समझा नहीं जाता है और अस्पष्टता होती है।

4(iii) पर्यवेक्षण और जवाबदेही के चैनलों सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

4(iv) अपने कार्यों के निर्वहन के लिए इसके द्वारा निर्धारित मानदंड;

टिप्पणी: इस खंड का अधिदेश यह है कि प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को उन मानकों का सक्रिय रूप से खुलासा करना चाहिए जिनके द्वारा उसके प्रदर्शन को आंका जाना चाहिए। मानदंडों में उस समय का उल्लेख होना चाहिए जिसके भीतर अधिकारियों को काम करना चाहिए और नागरिकों को सेवाएं प्रदान करनी चाहिए।

लोक सेवा गारंटी अधिनियमों के अंतर्गत तैयार किए गए नागरिक चार्टर या प्रतिबद्धताएं प्रमुख कार्यों के लिए प्रदर्शन के मानदंडों और उन मानकों के खिलाफ उपलब्धियों की निगरानी के लिए अच्छे उदाहरण हैं।

जहां कहीं भी किसी क़ानून या सरकारी आदेश द्वारा इसके कार्यों के निर्वहन के लिए मानदंड निर्दिष्ट किए गए हैं, उन्हें सक्रिय रूप से प्रकट किया जाना चाहिए, विशेष रूप से उन्हें पहले के विवरण के अनुसार निर्णय लेने की प्रक्रियाओं से जोड़ना। सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को निम्नलिखित का सक्रिय रूप से खुलासा करना चाहिए:

संदर्भ के लिए कोई व्यक्ति सितंबर 2010 में कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा जारी कार्यालय प्रक्रिया नियमावली का संदर्भ ले सकता है जहां पैरा 16 में यह अनिवार्य है:

“प्राप्त पत्रों की त्वरित प्रतिक्रिया—

(1) संसद सदस्य, जनता के सदस्य, मान्यता प्राप्त संघ या किसी सार्वजनिक निकाय से प्राप्त प्रत्येक संचार को 15 दिनों के भीतर स्वीकार किया जाना चाहिए, इसके बाद पावती भेजे जाने के अगले 15 दिनों के भीतर जवाब दिया जाना चाहिए।

(2) जहां (i) अंतिम उत्तर भेजने में देरी की आशंका है, या (ii) किसी अन्य मंत्रालय या किसी अन्य कार्यालय से जानकारी प्राप्त करनी है, एक महीने के भीतर एक अंतरिम उत्तर भेजा जाएगा (प्राप्त होने की तारीख से) यह दर्शाता है कि संभावित तिथि जब तक अंतिम उत्तर दिया जा सकता है।”

a) सेवाओं और वस्तुओं को परिभाषित करें जो विशेष सार्वजनिक प्राधिकरण/कार्यालय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी अन्य एजेंसी/ठेकेदार के माध्यम से प्रदान करता है।

b) उन प्रक्रियाओं का विवरण और वर्णन करना जिनके द्वारा जनता उन वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच और/या प्राप्त कर सकती है, जिनके वे हकदार हैं, सार्वजनिक प्राधिकरण/कार्यालय से फॉर्म के साथ, यदि कोई निर्धारित है, आवेदक और दोनों द्वारा उपयोग के लिए सेवा प्रदान करने वाली एजेंसी। ऐसे प्रपत्रों (ऑनलाइन) के लिंक, जहां भी उपलब्ध हों, दिए जाने चाहिए।

c) उन शर्तों, मानदंडों और प्राथमिकताओं का वर्णन करना जिनके अंतर्गत एक व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं के लिए पात्र हो जाता है, और इसके परिणामस्वरूप, उन लोगों की श्रेणियां जो सामान और सेवाओं को प्राप्त करने के हकदार हैं।

d) मात्रात्मक और मूर्त मापदंडों, (वजन, आकार, आवृत्ति आदि) और समय-सीमा को परिभाषित करना, जो जनता के लिए सुलभ वस्तुओं और सेवाओं पर लागू होते हैं।

e) गुणात्मक और मात्रात्मक परिणामों को परिभाषित करना जिसे प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण/कार्यालय उन वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से प्राप्त करने की योजना बना रहा है जो इसे प्रदान करने के लिए बाध्य थे।

f) वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी निर्धारित करना (जो वितरण/कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है और पर्यवेक्षण के लिए कौन जिम्मेदार है)।

इसी तरह, महाराष्ट्र में 2006 का अधिनियम 21 कहता है कि प्रत्येक फाइल पर 45 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना चाहिए। यदि इन मानदंडों को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभागों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो नागरिकों और अधिकारियों को पता होगा और समझेंगे कि एक अनिवार्य समय सीमा है जिसका पालन किया जाना चाहिए।

4(v) नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और रिकॉर्ड, जो उसके पास या उसके नियंत्रण में हो या उसके कर्मचारियों द्वारा अपने कार्यों के निर्वहन के लिए उपयोग किया जाता हो;

टिप्पणी: नागरिकों में कानूनी साक्षरता की कमी के कारण अनियमितताएं और कदाचार निर्विवाद हैं। यह खंड विभिन्न स्तरों पर प्रकटीकरण को अनिवार्य करता है अर्थात् सभी अधिनियम, नियम, विनियम, निर्देश, नियमावली और अभिलेख जिसके द्वारा लोक प्राधिकरण का कार्य किया जाता है। इस प्रकार का खुलासा निश्चित रूप से नागरिकों को सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज का आकलन और निगरानी करने के लिए सशक्त करेगा। यह उन नागरिकों के बीच नियमों, विनियमों, प्रक्रियाओं और प्रक्रियाओं की साक्षरता को बढ़ावा देगा जो हितधारक हैं। इससे नागरिकों द्वारा कानूनों और नियमों का बेहतर अनुपालन भी हो सकता है।

4(vi) दस्तावेजों की श्रेणियों का एक विवरण जो उसके पास या उसके नियंत्रण में है;

टिप्पणी: खंड (vi) में प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को अपने कार्यों के निर्वहन के लिए अपने कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले अभिलेखों और फाइलों की सूची के साथ या उसके नियंत्रण में रखे गए दस्तावेजों की श्रेणियों के विवरण का खुलासा करने की आवश्यकता है। यदि ऐसी सूचियां उपलब्ध हैं, तो नागरिक यह चुन सकते हैं कि किस रिकॉर्ड या फाइल से सही जानकारी की आवश्यकता है और इसलिए, सटीक सूचना के अधिकार अनुरोधों को सुगम बनाया जा सकता है। लोक प्राधिकरण के भीतर भी कार्य अधिक कुशल होगा।

4(vii) अपनी नीति के निर्माण या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों के साथ परामर्श या प्रतिनिधित्व के लिए मौजूद किसी भी व्यवस्था का विवरण;

टिप्पणी: यह खंड इस बात पर प्रकाश डालता है कि लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य हैं। परामर्श उन्हें सार्वजनिक प्राधिकरण की नीतियों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार आकार देने में सक्रिय रूप से भाग लेने के अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार, यह न केवल लक्ष्य के रूप में, बल्कि एक एजेंट के रूप में भी नागरिक को नीति निर्धारण के केंद्र में रखता है और रखता है। इसका उद्देश्य नीतियों और डिजाइन सेवाओं को विकसित करना है जो नागरिकों की जरूरतों का जवाब देते हैं। प्रत्येक लोक प्राधिकरण को यह बताना आवश्यक है कि संपर्क, जनसंपर्क, अभ्यावेदन प्रस्तुत करने, परामर्श के लिए और भागीदारी के लिए क्या व्यवस्था उपलब्ध है। यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि सरकार और नागरिकों के बीच असहमति कम हो। अक्सर, नागरिकों के साथ पर्याप्त जानकारी साझा किए बिना बड़ी परियोजनाएं शुरू की जाती हैं। इससे अविश्वास और आंदोलन होते हैं और कभी-कभी प्रासंगिक परियोजनाओं में देरी और लागत में वृद्धि होती है। सरकार के लिए पारदर्शी होना कहीं बेहतर है, ताकि विभिन्न हितधारक मिलकर आगे बढ़ें।

4(viii) बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का एक विवरण जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति शामिल हैं, जो इसके हिस्से के रूप में या इसकी सलाह के उद्देश्य से गठित हैं, और क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें खुली हैं जनता के लिए, या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए सुलभ हैं;

टिप्पणी: (vii) और (viii) दोनों का अर्थ यह है कि सभी विभागों को जनता के लोगों के साथ चर्चा करनी चाहिए और अपने प्रदर्शन में सुधार करने और नीतियां बनाने के लिए उनके सुझावों को लागू करना चाहिए। साथ ही, इनमें से अधिकांश जनता के लिए सुलभ होनी चाहिए। पारदर्शी होने के इच्छुक होने से भागीदारी होगी और इसलिए बेहतर शासन होगा।

विभिन्न बोर्डों, समितियों और परिषदों का अस्तित्व सरकारी प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ऐसे बोर्डों, समितियों और परिषदों के उद्देश्यों, उनके गठन, सदस्यों की नियुक्ति के तरीके को जानकर नागरिक मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। इन समितियों के सदस्यों को उनकी पृष्ठभूमि और किसी विशेष क्षेत्र में रुचि के आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए और उनसे सभी बोर्ड बैठकों में भाग लेने की उम्मीद की जानी चाहिए। ऐसे बोर्डों के सदस्यों के कर्तव्य और शक्तियां, बैठकों की आवृत्ति, और क्या ऐसी बैठकें या बैठकों के कार्यवृत्त जनता के लिए खुले हैं, घोषित किया जाना चाहिए। यदि ऐसे बोर्ड, परिषदें और समितियाँ कोई पर्यवेक्षी, वित्तीय या निगरानी कार्य करते हैं, तो इसका विस्तार से खुलासा किया जाना चाहिए। यह वांछनीय है कि ऐसे निकायों की बैठकों के कार्यवृत्त प्रदर्शित किए जाएं।

4(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की एक निर्देशिका;

4(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, इसके नियमों में प्रदान की गई मुआवजे की प्रणाली सहित;

टिप्पणी: अधिकारियों के नाम उनके पदनाम, ईमेल आईडी और टेलीफोन नंबर के साथ प्रदर्शित किए जाने चाहिए ताकि नागरिक उनसे संपर्क कर सकें। नागरिकों को लोक सेवकों के वास्तविक मुआवजे को जानने का अधिकार है, क्योंकि वे पैसे का भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कुछ सरकारी कर्मचारी अपने वेतन से बहुत दूर रह रहे हैं, तो यह लोगों के लिए स्पष्ट होगा और इसलिए जांच के दायरे में होगा।

4(xi) अपनी प्रत्येक एजेंसी को आवंटित बजट, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किए गए संवितरण पर रिपोर्ट का विवरण होता है;

टिप्पणी: इससे बजट और व्यय पारदर्शी हो जाएगा। नागरिकों द्वारा सामाजिक अंकक्षण किया जा सकता है और वे भाग लेने और सुझाव देने में सक्षम

होंगे कि वे अपने पैसे को कैसे खर्च करना चाहते हैं। सार्वजनिक प्राधिकरणों को अपने बजट का खुलासा करते समय निम्नलिखित कार्य करने चाहिए:

(ए) सरकारी बजट की तकनीकी प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक है कि सार्वजनिक प्राधिकरण अपने बजट के सरलीकृत संस्करण तैयार करें जिन्हें आम जनता आसानी से समझ सके और इन्हें सार्वजनिक डोमेन में रखा जा सके। बजट और उनकी आवधिक निगरानी रिपोर्ट को ग्राफ और टेबल आदि के माध्यम से अधिक उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से प्रस्तुत किया जा सकता है।

(बी) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा तैयार किए गए परिणाम बजट को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए और बजट अवधि के दौरान नियोजित भौतिक लक्ष्यों और उन लक्ष्यों की वास्तविक उपलब्धि की पहचान करने के लिए आधार के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। रिपोर्टिंग की मासिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कैलेंडर पद्धति एक उपयोगी मॉडल होगी।

(सी) विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों, उनके स्वायत्त संगठनों/सांविधिक संगठनों/संबद्ध कार्यालयों/सोसाइटियों/गैर सरकारी संगठनों आदि को जारी की गई धनराशि को तिमाही आधार पर वेबसाइट पर डाला जाना चाहिए और ऐसे प्राधिकरणों के बजट को वेबसाइट से लिंक के माध्यम से सुलभ बनाया जा सकता है। मूल मंत्रालय/विभाग की। यदि किसी अनुषंगी या अधीनस्थ कार्यालय की कोई वेबसाइट नहीं है तो ऐसे अनुषंगी प्राधिकारी के बजट एवं व्यय प्रतिवेदन को प्रधान लोक प्राधिकरण की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना चाहिए।

(डी) जहां कहीं कानून या कार्यकारी निर्देश द्वारा आवश्यक हो, प्रत्येक विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण (जहां संभव हो) के क्षेत्र विशिष्ट आवंटन और उपलब्धियों को हाइलाइट किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए, बजट आवंटन और लिंग, बच्चों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर ध्यान केंद्रित करने वाले लक्ष्य पर विशेष रूप से प्रकाश डाला जाना चाहिए। इन लक्ष्यों और वास्तविक परिणामों का क्षेत्रवार विवरण सरलीकृत रूप में दिया जाना चाहिए ताकि सभी नागरिक सार्वजनिक प्राधिकरणों के बजट को बेहतर ढंग से समझ सकें।

4(xii) सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का तरीका, जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का विवरण शामिल है;

4(xiii) इसके द्वारा दी गई रियायतों, परमिटों या प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण; (•पअ) इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध या उसके पास रखी गई जानकारी के संबंध में विवरण;

टिप्पणी: यदि रियायतों, परमिटों और प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं के विवरण प्रदर्शित किए जाते हैं तो यह भूत लाभार्थियों और अप्रत्यक्ष रूप से भ्रष्टाचार को कम कर सकता है। लोक प्राधिकरण को उनके द्वारा कार्यान्वित की जा रही

गतिविधियों/कार्यक्रमों/योजनाओं का वर्णन करना चाहिए जिसके लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। सब्सिडी की प्रकृति, सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्रता मानदंड और विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के अंतर्गत सब्सिडी प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी के पद की जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए। कार्यक्रम का नाम, आवेदन प्रक्रिया, स्वीकृति प्रक्रिया, संवितरण प्रक्रिया का भी समय-सीमा के साथ खुलासा किया जाना चाहिए। लाभार्थियों का विवरण सक्रिय रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भूत लाभार्थियों और भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कुछ हद तक यह हासिल किया गया है। रियायतों, परमिटों और प्राधिकरणों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। नागरिक इनकी निगरानी करेंगे और धोखाधड़ी को रोकेंगे।

4(xiv) जानकारी प्राप्त करने के लिए नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं का विवरण, जिसमें पुस्तकालय या वाचनालय के काम के घंटे शामिल हैं, यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए बनाए रखा जाता है; (•अप) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;

टिप्पणी: यह खंड दो उद्देश्यों की पूर्ति करता है, पहला यह सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4(1)(a) के अंतर्गत सूचना के कम्प्यूटरीकरण में हुई प्रगति को समय-समय पर सक्रिय रूप से प्रकट करने के साधन के रूप में कार्य करता है। दूसरे, यह लोगों को उनके लिए उपलब्ध इलेक्ट्रॉनिक सूचनाओं के प्रकार के बारे में स्पष्टता प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अलग-अलग उचित मूल्य की दुकानों के पास उपलब्ध राशन का स्टॉक जिला नागरिक आपूर्ति कार्यालय के पास नहीं हो सकता है, लेकिन अधीनस्थ कार्यालय में उपलब्ध हो सकता है।

सार्वजनिक प्राधिकरण के पास इलेक्ट्रॉनिक/डिजिटल रूप में उपलब्ध सभी सूचनाओं को डिजिटल मीडिया के माध्यम से सक्रिय प्रकटीकरण के लिए डिफॉल्ट रूप से माना जाना चाहिए। सक्रिय प्रकटीकरण के लिए स्वचालित प्रक्रियाएं निश्चित रूप से ऐसा करने की लागत को कम करेंगी और डेटा को अधिक विश्वसनीय और अद्यतन बनाएंगी।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और अक्सर होने वाली समस्याओं को लोक प्राधिकरण की वेबसाइट पर सूचीबद्ध किया जाना चाहिए। अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों की शब्दावली प्रदर्शित की जा सकती है। अधिकांश जानकारी और डेटा गतिशील है। ऐसी जानकारी को वास्तविक समय के आधार पर अद्यतन किया जा सकता है, अधिमानतः एक स्वचालित प्रक्रिया के रूप में। यदि किसी कारण से वास्तविक समय में ऐसा करना संभव नहीं है, तो ऐसी जानकारी को मासिक आधार पर, या अधिक से अधिक, त्रैमासिक आधार पर अद्यतन किया जाना चाहिए। इस तरह के नियमित अद्यतन के लिए उचित मानकों और रिकॉर्ड को भी

बनाए रखा जा सकता है, और संबंधित सार्वजनिक सूचना प्रकटीकरण में इसका उल्लेख किया जा सकता है।

4(xv) ऐसी अन्य जानकारी जो विहित की जाए; और उसके बाद हर साल इन प्रकाशनों को अद्यतन करें;

टिप्पणी: सार्वजनिक प्राधिकरणों से यह खुलासा करने की अपेक्षा की जाती है कि नागरिकों को सूचना तक पहुंच और पुस्तकालय, वाचनालय, यदि कोई हो, तक पहुंच की सुविधा के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं। काम के घंटे, छुट्टी के विवरण आदि का भी खुलासा किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: सार्वजनिक प्राधिकरणों से यह खुलासा करने की अपेक्षा की जाती है कि नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने और पुस्तकालय, वाचनालय, यदि कोई हो, तक पहुंच की सुविधा के लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं। काम के घंटे, छुट्टी के विवरण आदि का भी खुलासा किया जाना चाहिए।

4(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विवरण;

4(xvii) ऐसी अन्य जानकारी जो निर्धारित की जा सकती है; और उसके बाद इन्हें हर साल प्रकाशन; अपडेट करें

सत्यानंद मिश्रा, (व्यक्तिगत संचार, 18 मई, 2016) बताते हैं कि इस उप-खंड में अनिवार्य सक्रिय खुलासे के पीछे का उद्देश्य निस्संदेह सराहनीय है क्योंकि इस तरह से बहुत सारी उपयोगी जानकारी सार्वजनिक नोटिस में लाई जाती है जिससे पारदर्शिता में वृद्धि होती है। सरकार के कामकाज और लोगों के लिए आरटीआई के माध्यम से इस तरह की जानकारी प्राप्त करना अनावश्यक बनाना। हालाँकि, इस उप-खंड में सूचीबद्ध सूचनाओं की किस्मों का दायरा और परिमाण ऐसा है कि सार्वजनिक प्राधिकरण, भले ही खुलासा करने के इच्छुक हों, रिकॉर्ड रखने की खराब गुणवत्ता को देखते हुए ऐसा करना कठिन होगा। उदाहरण के लिए, कई सार्वजनिक प्राधिकरणों में यह हमेशा इतना स्पष्ट नहीं होता है कि निर्णय वास्तव में कैसे लिए जाते हैं या किसी निर्णय पर पहुंचने के लिए किन प्रक्रियाओं या प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, विशेष रूप से नए स्थापित विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या संगठनों में। सरकार के स्थापित मंत्रालयों और विभागों में भी, कई नई प्रथाओं, विषयों और विचारों को लिया जाता है या कभी-कभी अंतरराष्ट्रीय संस्थानों से उधार लिया जाता है और इनके लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं होती है। कई सार्वजनिक प्राधिकरणों में, कई गतिविधियों के लिए कोई मानदंड तय नहीं किया गया है। ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरणों से ऐसी जानकारी की अवधारणा और खुलासा करने की अपेक्षा करना व्यावहारिक नहीं है।

4(c) महत्वपूर्ण नीतियां तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें;

टिप्पणी: यह सरकारी विभागों पर लोगों को नीतिगत निर्णयों के बारे में प्रासंगिक तथ्यों को सूचित करने की जिम्मेदारी देता है।

4(d) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध-न्यायिक निर्णयों के कारण प्रदान करें।

टिप्पणी: लोगों को तथ्यों से अवगत कराने के बाद लिए गए विशेष निर्णयों के तर्क प्रदर्शित किए जाने चाहिए। इससे मनमानी और भ्रष्ट निर्णय लेने पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। इससे नागरिकों में अपनी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ेगा।

4(2) प्रत्येक लोक प्राधिकरण का यह निरंतर प्रयास होगा कि वह उप-धारा (1) के खंड (बी) की आवश्यकताओं के अनुसार नियमित अंतराल पर जनता को स्वप्रेरणा से विभिन्न माध्यमों के माध्यम से अधिक से अधिक जानकारी प्रदान करे। संचार, जिसमें इंटरनेट भी शामिल है, ताकि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम के उपयोग का कम से कम सहारा मिल सके।

टिप्पणी: किसी अनुरोध का जवाब देने की तुलना में जानकारी प्रकाशित करना अधिक कुशल है। यहां तक कि जब कोई नागरिक किसी वेबसाइट तक पहुंचने में असमर्थ होता है, तब भी पीआईओ वेबसाइट का उपयोग करके आसानी से जानकारी देने में सक्षम होंगे।

RAAG के एक अध्ययन के अनुसार, 54% RTI आवेदन सूचना मांग रहे हैं जिसे धारा 4 के अंतर्गत सक्रिय रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए था।

4(3) उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक सूचना को व्यापक रूप से और ऐसे रूप और तरीके से प्रसारित किया जाएगा जो जनता के लिए आसानी से सुलभ हो।

4(4) सभी सामग्रियों का प्रसार लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस स्थानीय क्षेत्र में संचार की सबसे प्रभावी विधि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा और सूचना को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के साथ इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में यथासंभव आसानी से सुलभ होना चाहिए या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, मुफ्त या माध्यम की ऐसी कीमत या प्रिंट लागत मूल्य पर उपलब्ध हो सकता है जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

स्पष्टीकरण.—उप-धारा (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए, “प्रसारित” का अर्थ है सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, सार्वजनिक घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से जनता को जानकारी देना या संप्रेषित करना, जिसमें किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यालयों का निरीक्षण शामिल है।

टिप्पणी: उप-वर्गों (3) और (4) के प्रयोजनों के लिए, “प्रसारित” का अर्थ है नोटिस बोर्ड, समाचार पत्रों, सार्वजनिक घोषणाओं, मीडिया प्रसारण, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से जनता को जानकारी देना या संप्रेषित करना, जिसमें शामिल हैं किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यालयों का निरीक्षण।

धारा 4 सुशासन सुनिश्चित करने के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल और मार्गदर्शक ढांचा है। यदि सार्वजनिक प्राधिकरण इसे लगन से लागू करते हैं, तो यह न केवल सूचना के अधिकार के प्रश्नों को कम करेगा बल्कि उनके प्रदर्शन में भी नाटकीय रूप से सुधार करेगा। धारा 4 की आवश्यकताएं लगभग आईएसओ प्रमाणन के समान ही हैं, जहां संपूर्ण लोक प्राधिकरण प्रक्रियाओं और प्रथाओं को दर्ज किया जाना है।

ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा में यह जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है और कुछ गांवों में सरकारी भवनों की दीवारों पर चित्रित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को कानूनी दायित्व के रूप में अधिकांश जानकारी प्रकाशित करने का आदेश देता है। नागरिकों को यह निगरानी करनी चाहिए कि क्या सार्वजनिक प्राधिकरण इस स्वतः प्रकटीकरण के अंतर्गत अपनी घोषणाओं/प्रतिबद्धताओं के अनुसार प्रदर्शन कर रहा है।

मुख्य रूप से, ऊपर निर्दिष्ट सभी जानकारी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा स्वतः उपलब्ध कराई जानी चाहिए, और इसे एक्सेस करने के लिए सूचना का अधिकार आवेदन या शुल्क की आवश्यकता नहीं है। कुछ नागरिकों ने इस महत्वपूर्ण प्रावधान के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए लोक प्राधिकरण के कार्यालयों का दरवाजा खटखटाकर और उनके धारा 4 अनुपालन के निरीक्षण की मांग की है। अधिकांश सामान्य और सार्वजनिक डोमेन जानकारी, जिसे नागरिक एक्सेस करना चाहते हैं, धारा 4 के अंतर्गत शामिल हैं और इसलिए, नागरिक धारा 4 के अंतर्गत किए गए सक्रिय खुलासे के निरीक्षण की मांग कर सकते हैं।

यदि धारा 4 का अनुपालन अनुचित है, तो इसके साथ शिकायत दर्ज की जा सकती है:

a) सूचना आयोग।

b) लोक प्राधिकरण के प्रमुख – मंत्री, सचिव।

यह स्पष्ट है कि धारा 4(1)(b) के अनुसार स्वतः संज्ञान लेने के लिए आवश्यक किसी भी जानकारी के लिए कोई छूट का दावा नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है।

टोबी मेंडल, (व्यक्तिगत संचार, जुलाई 31, 2016) का विचार है कि सक्रिय प्रकाशन निर्देश अपवादों के अधीन प्रभावी होते हैं। इस प्रकार, यदि किसी महत्वपूर्ण नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा संवेदनशील सामग्री जैसे तीसरे देशों के बारे में जानकारी एकत्र करने की नीति शामिल है, तो इसे गोपनीय रखा जा सकता है।

संसद ने विशेष रूप से धारा 8 और 9 में सूचना की कुछ श्रेणियों का उल्लेख किया है।

धारा 4(1)(a) में अच्छी रिकॉर्ड प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिसमें आम तौर पर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को स्थानांतरित करना शामिल होगा। सरकारी कार्यालयों में हार्ड डेटा से संबंधित कई समस्याएं हैं।

यह सर्वविदित है कि सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह दावा करके होता है कि कुछ फाइलें उपलब्ध नहीं हैं। उन्हें प्रकट/गायब करने के लिए रिश्वत दी जाती है, और रिकॉर्ड बदल दिए जाते हैं/हटाए जाते हैं/प्रतिस्थापित किए जाते हैं। इनके अलावा फाइलों के गुम होने, चोरी हो जाने या गुम हो जाने की समस्या भी है। यदि कागजी फाइलों को हटा दिया जाए और सभी सरकारी कार्य केवल कंप्यूटर पर किए जाएं और डिजिटल रूप से स्थानांतरित किए जाएं, तो भ्रष्टाचार और अक्षमता पर बहुत अंकुश लगेगा। इसके अलावा, इससे बहुत सारे पेड़ और कागज और फाइलों के भंडारण के लिए खर्च किए गए लाखों रुपये की बचत होगी। यदि डिफॉल्ट मोड में दैनिक आधार पर स्वचालित रूप से प्रासंगिक जानकारी अपलोड करना शामिल है, तो सरकारी कामकाज वास्तव में पारदर्शी हो जाएगा और अधिकारियों पर सूचना देने का बोझ काफी कम हो जाएगा।

यह तथ्य कि अधिकांश कामकाज नागरिकों को दिखाई देता है, पारदर्शिता को प्रोत्साहित करेगा और भ्रष्टाचार के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करेगा। इससे अतिरिक्त कार्य के बिना खुले डोमेन में अधिक विश्वसनीय डेटा उपलब्ध होगा। यह किसी भी अधिकारी के काम की निगरानी को आसान बना देगा। ई-गवर्नेंस और बहुत खराब जवाबदेही या प्रभाव के साथ डिजिटल इंडिया बनाने पर भारी मात्रा में खर्च किया गया है।

सक्रिय प्रकटीकरण का प्रसार

धारा 4 के अंतर्गत स्वतः प्रकटीकरण का उद्देश्य दोतरफा है। सबसे पहले, सभी प्रासंगिक सूचनाओं को सार्वजनिक डोमेन में सक्रिय आधार पर रखने से सार्वजनिक प्राधिकरणों का पारदर्शी कामकाज सुनिश्चित होगा। दूसरे, व्यक्तिगत सूचना का अधिकार आवेदन दाखिल करने की आवश्यकता में भारी कमी आएगी जिससे अधिकारियों पर बोझ कम होगा।

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(4) में कहा गया है कि 'उस स्थानीय क्षेत्र में संचार का सबसे प्रभावी तरीका और सूचना आसानी से सुलभ होनी चाहिए' को ध्यान में रखते हुए सूचना का प्रसार किया जाना चाहिए। भारत में इंटरनेट की सीमित पहुंच और पहुंच को देखते हुए, यह अनुशंसा की जाती है कि ग्राम/ब्लॉक स्तर पर, प्रासंगिक जानकारी दीवारों पर चित्रित की जानी चाहिए और प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर स्थानीय भाषा में बोर्डों पर उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

(सीआईसी निर्णय)

सीआईसी/एसजी/सी/2010/001291/11403 सहायक,

सीआईसी/एसजी/ए/2010/002152/9403 और

सीआईसी/एसजी/सी/2009/001619; 001621; 001622/6047 सहायक0

जनता के लिए उपलब्ध साधन, तरीके या सुविधा जिसे सूचना के प्रसार के लिए अपनाया जाना चाहिए वह हो सकता है:

- सूचना पट्ट
- कार्यालय पुस्तकालय
- कार्यालय परिसर में या वेब पोर्टल के माध्यम से कियोस्क
- समाचार पत्रों, पत्रक, ब्रोशर, पुस्तिकाओं के माध्यम से,
- कार्यालयों में अभिलेखों का निरीक्षण
- दस्तावेजों की फोटोकॉपी जारी करने की प्रणाली
- मुद्रित मैनुअल उपलब्ध कराया जाएगा
- इलेक्ट्रॉनिक भंडारण उपकरण
- लोक प्राधिकरण की वेबसाइट, ई-बुक्स, सीडी, डीवीडी, ओपन सोर्स फाइल्स, वेब ड्राइव्स
- ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कुछ स्थानों पर भवनों की दीवारों पर चित्रकारी की जा रही है।
- सामाजिक मीडिया
- नाटक और शो
- प्रदर्शनी
- विज्ञापन के अन्य साधन

5. लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम—(1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधिनियमित होने के एक सौ दिनों के भीतर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के रूप में उतने अधिकारी पदाभिहित करेगा, इसके अंतर्गत सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों में इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को जानकारी प्रदान करने के लिए आवश्यक हो सकता है।

टिप्पणी: लोक सूचना अधिकारियों (पीआईओ) को नामित करने के लिए लोक प्राधिकरण के प्रमुख की जिम्मेदारी है। सार्वजनिक प्राधिकरण या कार्यालय में पीआईओ की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है।

5(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकरण, इस अधिनियम के लागू होने के एक सौ दिनों के भीतर, प्रत्येक उप-मंडल स्तर या अन्य उप-जिला स्तर पर एक केंद्रीय सहायक के रूप में एक अधिकारी को नामित करेगा। लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना या अपील के लिए आवेदन प्राप्त करने के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल अग्रेषित करने के लिए। धारा 19 की उप-धारा (1) या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो:

बशर्ते कि जहां सूचना या अपील के लिए आवेदन केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को दिया जाता है, वहां उप-के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रतिक्रिया की अवधि की गणना में पांच दिनों की अवधि जोड़ दी जाएगी। धारा 7 की धारा (1)।

टिप्पणी: यह समझ में आता है कि मंत्रालय, विभाग आदि लोक प्राधिकरण हैं, प्रत्येक प्रशासनिक कार्यालय नहीं। हालाँकि, इसके सभी कार्यालयों में जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) होने चाहिए और उनके पास मौजूद जानकारी प्रदान करनी चाहिए। उपरोक्त दो उपखंडों का एक संयुक्त पठन यह स्पष्ट करता है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण के सभी स्थानों – सभी प्रशासनिक इकाइयों या कार्यालयों – में एक जन सूचना अधिकारी (पीआईओ) या एक सहायक लोक सूचना अधिकारी (एपीआईओ) उप-मंडल या उप-मंडल में होना चाहिए। जिला स्तर; यानी एक बहुत छोटी इकाई।

नागरिक को पीआईओ या एपीआईओ का नाम या पदनाम जानने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय उसे केवल लोक प्राधिकरण के स्थान का पता जानने की जरूरत है। उसे ध्यान से सोचना चाहिए कि किस कार्यालय में सूचना रखने की संभावना है और उसे उस कार्यालय के पीआईओ को संबोधित करना चाहिए। यदि वह उनके पास जाती है या अपना आरटीआई आवेदन वहां पोस्ट करती है, तो एक पीआईओ या एपीआईओ को आवेदन प्राप्त करना होगा और इसे संसाधित करना होगा। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

मंडल, टोबी (व्यक्तिगत संचार, 31 जुलाई, 2016) का विचार है कि यह काफी अक्षम लगता है। निश्चित रूप से ज्यादातर मामलों में ऐसा करने में 5 दिन नहीं लगेंगे (शायद अगर इसे मेल करना पड़ता)।

अधिनियम में सभी जिम्मेदारियां और देनदारियां पीआईओ के पास हैं। यदि किसी लोक प्राधिकरण के किसी स्थान पर कोई पीआईओ या एपीआईओ नहीं है,

तो यह कानून का उल्लंघन है और सूचना आयोग को इस तरह की चूक के खिलाफ उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यदि इसे कार्यालय द्वारा वापस किया जाता है, तो आवेदक को लिफाफा अपने पास रखना चाहिए और शिकायत दर्ज करनी चाहिए। लिफाफे की एक फोटोकॉपी (जिसमें डाकिया की टिप्पणी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए) डिलीवरी लेने से इनकार करने के बारे में संलग्न किया जाना चाहिए और इस पते पर भेजा जाना चाहिए:

a) सूचना आयोग, अधिनियम की धारा 18 के अंतर्गत।

b) लोक प्राधिकरण के प्रमुख – मंत्री या सचिव।

पीआईओ की नियुक्ति की जिम्मेदारी लोक प्राधिकरण के प्रमुख के पास होती है। यदि किसी लोक प्राधिकरण का कोई कार्यालय सूचना का अधिकार आवेदन लेने से इंकार करता है क्योंकि उसके पास कोई पीआईओ नहीं है, तो आवेदक को धारा 19(8)(b) के अनुसार सूचना आयोग से मुआवजा देने के लिए कहने का अधिकार होगा।

5(3) प्रत्येक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना मांगने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी जानकारी चाहने वाले व्यक्तियों को उचित सहायता प्रदान करेगा।

टिप्पणी: यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो सूचना के अधिकार के आवेदनों से निपटने के लिए पीआईओ पर जिम्मेदारी तय करता है। यह सूचना प्राप्त करने में नागरिक की सहायता करने का दायित्व भी पीआईओ पर डालता है। दुर्भाग्य से, बहुत कम पीआईओ इस पर ध्यान देते हैं।

5(4) केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए किसी अन्य अधिकारी की सहायता ले सकता है, जैसा कि वह आवश्यक समझता है।

टिप्पणी: यह स्पष्ट है कि किसी भी पीआईओ के पास सारी जानकारी नहीं हो सकती है। कानून अनिवार्य करता है कि वह उन अन्य लोगों की सहायता का लाभ उठा सकता है जिनके पास जानकारी है।

5(5) कोई भी अधिकारी, जिसकी उप-धारा (4) के अंतर्गत सहायता मांगी गई है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उसकी सहायता के लिए और उद्देश्यों के लिए सभी सहायता प्रदान करेगा। इस अधिनियम के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के मामले में, ऐसे अन्य अधिकारी को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, माना जाएगा।

टिप्पणी: जैसे ही वह संबंधित अधिकारियों से जानकारी मांगता है, पीआईओ अधिनियम के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के संदर्भ में अपनी जिम्मेदारी और दायित्व का निपटान करता है। पीआईओ को एक आरटीआई आवेदन के लिए

आवश्यक जानकारी के लिए एक उपयुक्त अधिकारी को एक लिखित नोट या ईमेल भेजना चाहिए, जिसके पास प्रासंगिक जानकारी हो। पीआईओ यह संदेश किसी वरिष्ठ अधिकारी को भी भेज सकता है। यह आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के एक या दो दिनों के भीतर किया जाना चाहिए। उस मामले में, किसी भी विफलता या दंडात्मक प्रावधानों को अन्य अधिकारी द्वारा आकर्षित किया जाएगा, जिसे अक्सर 'डीमड पीआईओ' कहा जाता है। कार्यालय के प्रमुख के लिए यह सलाह दी जाएगी कि आंतरिक आदेश द्वारा विभिन्न श्रेणियों की जानकारी रखने वाले डीमड पीआईओ की पहचान करें। इससे पीआईओ के लिए प्रश्नों को सही व्यक्ति तक पहुंचाना और अस्पष्टता को खत्म करना आसान हो जाएगा। इस प्रावधान में यह परिकल्पना की गई है कि न केवल जन सूचना अधिकारी बल्कि सूचना रखने वाले किसी भी व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्रदान करे। यह एक महत्वपूर्ण प्रावधान है जो संपूर्ण लोक प्राधिकरण और उसके सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी को रेखांकित करता है कि नागरिक तक सूचना तक पहुंच को सुगम बनाया जाए। यदि लोक प्राधिकरण धारा 4 के प्रावधानों का ठीक से पालन करते हैं, तो लोक सूचना अधिकारी के लिए सूचना प्रदान करना आसान होगा।

6. सूचना प्राप्त करने के लिए अनुरोध—(1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना प्राप्त करना चाहता है, लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंग्रेजी या हिंदी में या उस क्षेत्र की राजभाषा में अनुरोध करेगा जहां आवेदन ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए, बनाया जा रहा है—

(a) संबंधित लोक प्राधिकरण के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो;

(b) केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उसके द्वारा मांगी गई जानकारी का विवरण निर्दिष्ट करते हुए;

बशर्ते कि जहां ऐसा अनुरोध लिखित रूप में नहीं किया जा सकता है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, लिखित रूप में अनुरोध को कम करने के लिए मौखिक रूप से अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी उचित सहायता प्रदान करेगा।

टिप्पणी: लिखित आवेदन, उचित नियमों द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ पीआईओ या एपीआईओ को भेजा जाना है। निरक्षरता या अक्षमता के कारण लिखने में असमर्थ आवेदक की सहायता के लिए जन सूचना अधिकारी की आवश्यकता होती है। यह सहायता तब भी लागू होनी चाहिए जब यह स्पष्ट हो कि आवेदक क्या जानकारी चाहता है, लेकिन इसे लिखित रूप में कम करने में असमर्थ है। यह भी कहा गया है कि सूचना का अधिकार आवेदन अंग्रेजी, हिंदी या

राज्य की आधिकारिक भाषा (राज्य पीआईओ को संबोधित आवेदनों के लिए) में हो सकता है।

6(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक को सूचना का अनुरोध करने के लिए कोई कारण या कोई अन्य व्यक्तिगत विवरण देने की आवश्यकता नहीं होगी, सिवाय उन लोगों के जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।

टिप्पणी: चूंकि सूचना का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार है, इसलिए इसका प्रयोग करने के लिए कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है।

कई अधिकारियों और प्रतिष्ठित लोगों का मानना है कि यह एक ऐसा प्रावधान है जिसमें आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। यह महसूस किया जाता है कि नागरिकों को सूचना प्राप्त करने के लिए कारण बताना चाहिए। उस मामले में, यह तर्क दिया जाएगा कि उन्हें बोलने का एक कारण भी देना होगा। ऐसी स्थिति हमारे संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगी।

कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण नागरिक से संपर्क करने के लिए आवश्यक डाक पते के अलावा कोई अन्य विवरण नहीं मांग सकता है।

कई पीआईओ कहते हैं कि उनके लिए एक से अधिक अधिकारियों को आवेदन भेजना संभव नहीं है। यदि सार्वजनिक प्राधिकरण एक नेटवर्क कम्प्यूटरीकृत प्रणाली पर काम करता है, तो यह कोई चुनौती नहीं होगी।

कुछ सक्षम प्राधिकारियों के नियम और प्रारूप इस प्रावधान द्वारा अनुमत की तुलना में आवेदक से अधिक जानकारी मांगते हैं जो कि कानून का उल्लंघन है।

6(3) जहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को आवेदन किया जाता है, —

(i) जो किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है; या

(ii) जिसकी विषय वस्तु किसी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के कार्यों से अधिक निकटता से जुड़ी हुई है, सार्वजनिक प्राधिकरण, जिसे ऐसा आवेदन किया गया है, आवेदन या उसके ऐसे हिस्से को स्थानांतरित कर देगा जो उस अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण को उपयुक्त हो सकता है और ऐसे स्थानांतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचित करें:

बशर्ते कि इस उप-धारा के अनुसार किसी आवेदन का स्थानांतरण यथाशीघ्र किया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में आवेदन प्राप्त होने की तारीख से पांच दिनों के भीतर नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी: यदि नागरिक गलत लोक प्राधिकरण को आवेदन भेजता है, तो यह पीआईओ की जिम्मेदारी है कि वह इसे पांच दिनों की अवधि के भीतर संबंधित लोक प्राधिकरण को भेज दे। हालांकि, नागरिक को उचित सार्वजनिक प्राधिकरण

खोजने के लिए ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अगर आवेदन गलती से दूसरे पीआईओ के पास पहुंच जाता है, तो वह पीआईओ इसे सही लोक प्राधिकरण में स्थानांतरित करने के लिए जिम्मेदार है। कोई भी पीआईओ सूचना का अधिकार आवेदन वापस करने के लिए अधिकृत नहीं है, यह कहते हुए कि आवेदक को किसी अन्य विभाग या सार्वजनिक प्राधिकरण से संपर्क करना चाहिए जो सूचना रखता है। यह प्रावधान इस बात का और सबूत है कि यह अधिनियम नागरिकों की सुविधा के लिए किस हद तक बनाया गया है।

यदि सूचना एक ही लोक प्राधिकरण में उपलब्ध है, तो यह स्पष्ट रूप से लोक सूचना अधिकारी का कार्य है कि वह धारा 5(4) में परिकल्पित सहायता प्राप्त करके इकाइयों या विभिन्न कार्यालयों से सूचना एकत्र कर आवेदक को दे। यदि सूचना विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास उपलब्ध है, तो लोक सूचना अधिकारी को इसे उन्हें हस्तांतरित करना चाहिए। सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 13 निर्माण के एक सामान्य नियम को अधिनियमित करती है कि एकवचन में शब्दों में बहुवचन और इसके विपरीत शामिल होगा यदि कानून के विषय या संदर्भ में इस तरह के निर्माण के लिए कुछ भी प्रतिकूल नहीं है, जिसका अर्थ लगाया जाना है। अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि संसद का इरादा था कि स्थानांतरण केवल एक सार्वजनिक प्राधिकरण को होना चाहिए।

कानून के इस सिद्धांत को विभिन्न अधिकारियों द्वारा अच्छी तरह से स्थापित और लागू किया गया है। इसलिए, यदि सूचना का अधिकार अनुरोध कई सार्वजनिक प्राधिकरणों को हस्तांतरित किया जाना है, या एक ही सार्वजनिक प्राधिकरण के विभिन्न अधिकारियों से सहायता मांगी गई है, तो पीआईओ को ऐसा करने के लिए कानून द्वारा अनिवार्य किया गया है।

7. अनुरोध का निपटान.—(1) धारा 5 की उप-धारा (2) के परंतुक के अधीन या धारा 6 की उप-धारा (3) के परंतुक के अधीन, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा कि मामला हो सकता है, धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध प्राप्त होने पर, यथासंभव शीघ्रता से, और किसी भी मामले में अनुरोध प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर, या तो ऐसे शुल्क के भुगतान पर जानकारी प्रदान करें जो निर्धारित किया जा सकता है या अस्वीकार कर सकता है धारा 8 और 9 में निर्दिष्ट कारणों में से किसी के लिए अनुरोध:

बशर्ते कि जहां मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो, वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर प्रदान की जाएगी।

टिप्पणी: कानून की परिकल्पना है कि पीआईओ को यथासंभव शीघ्रता से उत्तर देना चाहिए। अनुमत अधिकतम समय 30 दिन है। पीआईओ को ज्यादातर मामलों में 10 दिनों के भीतर जवाब देना चाहिए। यह या तो आवश्यक जानकारी प्रदान कर सकता है या अधिनियम की धारा 8 या 9 के अंतर्गत छूट के कारणों का हवाला देते हुए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है। धारा 5(2) और 6(3) के साथ इसे समझने का मतलब है कि जब आवेदन का हस्तांतरण होता है, तो

आवेदक को 35 दिनों के भीतर जानकारी प्राप्त करनी होगी। जब सूचना किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित हो तो 48 घंटे के भीतर सूचना देने का भी प्रावधान है। यह लागू होगा यदि किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है, यदि वह जा रही है, या पहले से ही कैद है और जानकारी का खुलासा उस स्थिति को बदल सकता है। यदि सूचना के प्रकटीकरण से खतरा टल जाता है, तो इस पर धारा 7(1) के परंतुक के अंतर्गत विचार किया जा सकता है। आसन्न खतरे को वास्तविक रूप से वास्तविक होना चाहिए। यह खंड यह भी बताता है कि अस्वीकृति का कारण केवल धारा 8 या 9 के अनुसार होगा।

यदि पीआईओ सूचना नहीं देता है, या आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उचित आधार पर अस्वीकृति देता है, तो यह माना जाने वाला इनकार माना जाएगा। निहितार्थ यह है कि यह बिना किसी उचित कारण के इनकार माना जाता है। ऐसी स्थिति में, सूचना का अधिकार आवेदक को प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, द्वारा लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करते हुए प्रथम अपील दायर करनी चाहिए।

7(2) यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के अनुरोध पर निर्णय देने में विफल रहता है, तो केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य जनता सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को अनुरोध को अस्वीकार करने वाला माना जाएगा।

7(3) जहां सूचना प्रदान करने की लागत का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी और शुल्क के भुगतान पर जानकारी प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, व्यक्ति को एक सूचना भेजेगा अनुरोध करना, देना—

टिप्पणी: प्रदान की जा रही जानकारी के लिए कुछ अतिरिक्त शुल्क वसूलने का प्रावधान है जिसे नियमों में निर्दिष्ट किया जाना है। केंद्र सरकार और ज्यादातर राज्यों के लिए यह दो रुपये प्रति ए4 साइज पेज या एक सीडी के लिए 50 रुपये है। हालांकि, कुछ सक्षम अधिकारियों ने अलग-अलग शुल्क निर्दिष्ट किए हैं। सूचना देने के लिए 30 दिन की अवधि में पीआईओ द्वारा पैसे का भुगतान करने की तारीख से लेकर पैसे के भुगतान की तारीख तक के दिनों को शामिल नहीं किया जाता है। इसमें यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि पीआईओ को वह गणना प्रदान करनी चाहिए जिसके द्वारा कुल राशि निकाली गई है। अतिरिक्त शुल्क सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार होना चाहिए।

(a) उसके द्वारा निर्धारित की गई जानकारी प्रदान करने की लागत का प्रतिनिधित्व करने वाली आगे की फीस का विवरण, उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्धारित शुल्क के अनुसार राशि पर पहुंचने के लिए की गई गणना के साथ, उस शुल्क को जमा करने का अनुरोध करते हुए, और उक्त सूचना के प्रेषण और शुल्क के भुगतान के

बीच की अवधि को उस उप-अनुभाग में निर्दिष्ट तीस दिनों की अवधि की गणना के उद्देश्य से बाहर रखा जाएगा;

टिप्पणी: शुल्क की सूचना के समय, लोक सूचना अधिकारी को अपीलीय प्राधिकारी के विवरण और आवेदक द्वारा प्रथम अपील दायर करने की समय सीमा (30 दिन) भी अवश्य सूचित करनी चाहिए। यह आवेदक को अपील दायर करने का अवसर देता है यदि उसे लगता है कि पीआईओ का निर्णय कानून के अनुसार शुल्क, सूचना से इनकार, या अनिवार्य समय में जानकारी नहीं देने के मामले में है।

(b) अपीलीय प्राधिकारी के विवरण, समय सीमा, प्रक्रिया और किसी भी अन्य रूपों सहित शुल्क की राशि या प्रदान की गई पहुंच के रूप में निर्णय की समीक्षा के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित जानकारी।

7(4) जहां इस अधिनियम के अंतर्गत रिकॉर्ड या उसके एक हिस्से तक पहुंच प्रदान करना आवश्यक है और जिस व्यक्ति तक पहुंच प्रदान की जानी है, वह संवेदी रूप से अक्षम है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो।, सूचना तक पहुंच को सक्षम करने के लिए सहायता प्रदान करेगा, जिसमें ऐसी सहायता प्रदान करना शामिल है जो निरीक्षण के लिए उपयुक्त हो।

टिप्पणी: यह प्रावधान विकलांग व्यक्तियों को सूचना प्राप्त करने में मदद करने की जिम्मेदारी पीआईओ पर डालता है। यह सभी को सुनिश्चित करना होगा।

7(5) जहां सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रदान की जानी है, आवेदक, उप-धारा (6) के प्रावधानों के अधीन, ऐसे शुल्क का भुगतान करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है: बशर्ते कि इसके अंतर्गत निर्धारित शुल्क धारा 6 की उप-धारा (1) और धारा 7 की उप-धारा (1) और (5) उचित होगी और गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्तियों से ऐसा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा जैसा कि उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। .

टिप्पणी: यह निर्दिष्ट किया गया है कि रिकॉर्ड या डिजिटल जानकारी की प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा देय अतिरिक्त शुल्क उचित होगा। इसलिए, रुपये का मामूली आवेदन शुल्क। 10 रुपये और शुल्क। 2 प्रति पृष्ठ सूचना प्रदान करने के लिए सर्वाधिक सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट किया गया है। कोई भी सार्वजनिक प्राधिकरण कोई भी शुल्क नहीं मांग सकता है जो नियमों में निर्दिष्ट नहीं है।

यह खंड यह भी निर्दिष्ट करता है कि गरीबी रेखा से नीचे के आवेदकों के लिए, कोई आवेदन शुल्क या 'आगे शुल्क' नहीं लिया जाएगा।

गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को एक कार्ड जारी किया जाता है जो इसे प्रमाणित करता है। इस कार्ड की फोटोकॉपी आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

सत्यानंद मिश्रा, (व्यक्तिगत संचार, 18 मई, 2016) कहते हैं कि संबंधित अधिकारियों द्वारा परिभाषित गरीबी रेखा से नीचे एक सूचना साधक को वांछित जानकारी के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, भले ही ऐसी जानकारी की मात्रा कुछ भी हो।

7(6) उप-धारा (5) में निहित किसी भी बात के होते हुए भी, सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचना मुफ्त प्रदान की जाएगी जहां एक सार्वजनिक प्राधिकरण उप-धारा (1) में निर्दिष्ट समय सीमा का पालन करने में विफल रहता है।

टिप्पणी: यदि किसी कारण से 30 दिन की अवधि (35 दिन जब आवेदन का स्थानांतरण होता है) के बाद जानकारी प्रदान की जाती है, तो जानकारी के लिए कोई 'आगे शुल्क' का भुगतान नहीं करना पड़ता है।

7(7) उप-धारा (1) के अंतर्गत कोई भी निर्णय लेने से पहले, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, धारा 11 के अंतर्गत तीसरे पक्ष द्वारा किए गए अभ्यावेदन पर विचार करेगा।

टिप्पणी: यहां, पीआईओ द्वारा तीसरे पक्ष के प्रतिनिधित्व पर विचार किया जाना है; तीसरे पक्ष को सूचना देने के बारे में वीटो नहीं दिया गया है।

इस अध्याय के अंत में खंड 11 पर टिप्पणियों में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है।

7(8) जहां उप-धारा (1) के अंतर्गत अनुरोध को अस्वीकार कर दिया गया है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सूचित करेगा,—

(i) कारणों के लिए ऐसी अस्वीकृति;

(ii) वह अवधि जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के खिलाफ अपील की जा सकती है; और

(iii) अपीलीय प्राधिकारी का विवरण

टिप्पणी: जब पीआईओ सूचना से इनकार करता है, तो उसके लिए कारण बताना आवश्यक है। इसमें प्रासंगिक छूट खंड और विशिष्ट तर्क देना होगा कि छूट खंड कैसे लागू होता है। पीआईओ के लिए बिना कोई कारण बताए केवल धारा 8(1) के उपखंडों को उद्धृत करना पर्याप्त नहीं है। दूसरी ओर, यदि अभिलेख में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है, तो उसे यह बताना चाहिए कि मांगी गई सूचना का कोई अभिलेख नहीं है।

पीआईओ अपीलीय प्राधिकारी के विवरण और अपील दायर करने की अवधि, अर्थात् 30 दिन। प्रावधान 7(3)(b) के साथ, इसका मतलब है कि सभी

मामलों में, पीआईओ को आवेदक को अपीलीय प्राधिकारी के विवरण को सूचित करना होगा।

7(9) एक सूचना सामान्यतया उसी रूप में प्रदान की जाएगी जिसमें इसे मांगा गया है जब तक कि यह सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों को असमान रूप से विचलित न करे या संबंधित रिकॉर्ड की सुरक्षा या संरक्षण के लिए हानिकारक न हो।

टिप्पणी: जिस प्रपत्र में जानकारी मांगी गई है वह आवेदक के पास है। सीडी या हार्ड कॉपी पर सूचना मांगी जा सकती है। हालांकि, यह इस शर्त के अधीन है कि इसे पूरा करने के लिए जनशक्ति या उपकरणों के एक बहुत बड़े संसाधन के मोड़ की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

अस्वीकृति के आधार:

केवल तीन संभावित आधार हैं जिन पर सूचना से इनकार किया जा सकता है:

a) संगठन एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है — जैसे। एक सहकारी समिति, या एक निजी कॉर्पोरेट या संस्थान, जो सरकार द्वारा पर्याप्त रूप से वित्तपोषित या नियंत्रित नहीं है।

b) अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित 'सूचना नहीं' के लिए क्या कहा जाता है: सूचना मौजूद होनी चाहिए। कानून की व्याख्या या निर्णय जो अस्तित्व में नहीं हैं, या निर्णय के कारण जो अस्तित्व में नहीं हैं, उन्हें 'सूचना' की परिभाषा के अंतर्गत कवर नहीं किया जाएगा।

उपरोक्त को समझाने के लिए कुछ उदाहरण:

(i) 'मुझे राशन कार्ड क्यों नहीं मिला है?' जानकारी नहीं मांग रहा है; लेकिन 'मैं राशन कार्ड के लिए मेरे आवेदन से संबंधित अपनी फाइल की प्रगति चाहता हूँ' जानकारी मांग रहा है।

(ii) 'मुझे प्रवेश क्यों नहीं मिला?' जानकारी नहीं मांग रहा है, जबकि 'मुझे कट-ऑफ अंक चाहिए जिस पर प्रवेश दिया गया था' जानकारी मांग रहा है।

हालांकि, धारा 5(3) की भावना का पालन करते हुए, पीआईओ को ऐसे प्रश्नों को फिर से तैयार करने में मदद करनी चाहिए।

c) मांगी गई जानकारी धारा 8(1) की छूट या धारा 9 के अंतर्गत लागू होती है। निजी पार्टी कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाली जानकारी देने वाली धारा 9 बार।

अभिलेखों से उद्धरण प्रदान करना धारा 2(j)(ii) के अनुसार किया जाना आवश्यक है जब तक कि इसमें बहुत अधिक समय की आवश्यकता न हो। यदि

सूचना देने के लिए लोक प्राधिकरण के संसाधनों की बहुत अधिक आवश्यकता होगी, तो वह सूचना देने से इंकार नहीं कर सकता। यदि आवेदक ने जिस प्रपत्र में जानकारी मांगी है, उसके लिए लोक प्राधिकरण के बहुत अधिक समय की आवश्यकता होगी, तो वह इसे किसी अन्य प्रारूप में प्रस्तुत कर सकता है। पीआईओ द्वारा अपनाई जाने वाली एक सामान्य प्रथा जब किसी विशेष प्रारूप में जानकारी एकत्र करने या मिलान करने के लिए अत्यधिक समय की आवश्यकता होती है, आवेदक को फाइलों के निरीक्षण की पेशकश करना है।

धारा 7(9) सूचना को अस्वीकार करने का आधार नहीं हो सकती, जो अभिलेखों में उपलब्ध है। इनकार को केवल अधिनियम की धारा 8 और 9 के आधार पर ही उचित ठहराया जा सकता है। इसका एकमात्र अपवाद यह है कि यदि कोई सूचना देने से संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन होता है, तो उस स्थिति में सूचना के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है। ऐसे कुछ दुर्लभ उदाहरण हो सकते हैं जिनमें आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने से सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा काम रुक सकता है। ऐसे मामले में, सूचना को अस्वीकार करने के लिए धारा 7(9) का उपयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने पचास कार्यालयों में फैली हुई जानकारी मांगी है जो एक संकलित रूप में उपलब्ध नहीं है, तो एक पीआईओ कह सकता है कि यहां तक कि एक निरीक्षण प्रदान करने से सार्वजनिक प्राधिकरण के संसाधनों का अनुपातिक रूप से विचलन हो सकता है। दूसरी ओर, यदि सूचना का मिलान कुछ घंटों में किया जा सकता है, तो पीआईओ को ऐसा करना चाहिए। हालांकि, जो पहले से ही रिकॉर्ड में है, उससे मिलान या उद्धरण प्रदान करने से इनकार करना गलत होगा। धारा 7(9) केवल तभी लागू की जानी चाहिए जब जानकारी को एकत्रित करने या निकालने में बहुत अधिक समय लगने वाला हो। ऐसी स्थिति में, पीआईओ पूरे रिकॉर्ड की फोटोकॉपी पेश कर सकता है या निरीक्षण की अनुमति दे सकता है। विकल्प आवेदक के पास होना चाहिए।

8. सूचना के प्रकटीकरण से छूट—(1) इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी नागरिक को देने की कोई बाध्यता नहीं होगी,—

टिप्पणी: यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि नागरिकों को जानकारी देना नियम होना चाहिए; और इसे एक अपवाद से इनकार करते हैं। इसका संवैधानिक आधार यह है कि सूचना के अधिकार को अनुच्छेद 19(1)(a) में निहित माना गया है। इसलिए, खंडन भी अनुच्छेद 19(2) द्वारा निर्धारित सीमा के अनुसार होना चाहिए जिसमें कहा गया है:

(2) खंड (1) के उप खंड (a) में कुछ भी किसी मौजूदा कानून के संचालन को प्रभावित नहीं करेगा, या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगा, जहां तक कि ऐसा कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार के प्रयोग पर उचित प्रतिबंध लगाता है भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध,

सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता या नैतिकता के हित में या अदालत की अवमानना, मानहानि या किसी अपराध के लिए उकसाने के संबंध में उक्त उप खंड”

टिप्पणी: इनकार कुछ हितों को नुकसान से बचाने के विचार पर आधारित है, लेकिन छूट को संकीर्ण और सावधानी से समझा जाना चाहिए। अनुच्छेद 19(2) का भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। यह कानून सूचना के अधिकार के लिए है, सूचना देने से इनकार करने के लिए नहीं।

8(1)(a) जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से भारत की संप्रभुता और अखंडता, राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या किसी अपराध को बढ़ावा मिलेगा;

टिप्पणी: पीआईओ को यह बताना चाहिए कि सूचना के प्रकटीकरण से 'भारत की संप्रभुता और अखंडता, या राज्य की सुरक्षा, रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों, विदेशी राज्य के साथ संबंध या किसी अपराध को बढ़ावा देने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। . यदि इनकार को सही ठहराने के लिए कोई विशिष्ट तर्क नहीं दिया गया है, तो जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि कानून 'गोपनीय' लेबल वाली फाइलों या सूचनाओं को छूट के रूप में छूट नहीं देता है। 'गोपनीय' के रूप में वर्गीकरण एक आंतरिक प्रक्रिया है और इसका उपयोग सूचना को अस्वीकार करने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आरटीआई अधिनियम ने इस श्रेणी को छूट नहीं दी है।

मिश्रा, सत्यानंद (व्यक्तिगत संचार, 02 जून, 2016) यहां के रुख से सहमत हैं। वह बताते हैं कि आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत कुछ भी गोपनीय नहीं है; या तो ऐसी जानकारी है जिसे धारा 8 के अंतर्गत छूट दी गई है या जानकारी का खुलासा किया जाना है। सिर्फ इसलिए कि किसी ने किसी फाइल या कागज़ को गोपनीय के रूप में चिह्नित किया है, यह स्वचालित रूप से छूट नहीं है। हालाँकि, सूचना के धारक के निर्णय पर कि क्या इसके प्रकटीकरण से किसी मित्र देश के साथ भारत के संबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या भारत के रणनीतिक, वैज्ञानिक या आर्थिक हितों का सामान्य रूप से सम्मान किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के निर्णय के पीछे के कारणों की व्याख्या करना अक्सर संभव नहीं होता है। वास्तव में अधिकांश जानकारी का खुलासा करना है।

8(1)(b) जानकारी जिसे किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्रकाशित करने के लिए स्पष्ट रूप से मना किया गया है या जिसके प्रकटीकरण से न्यायालय की अवमानना हो सकती है;

टिप्पणी: छूट केवल तभी लागू होगी जब किसी मामले को विशेष रूप से और स्पष्ट रूप से किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा सार्वजनिक करने के लिए मना किया गया हो। यदि कोई मामला विचाराधीन है, तो भी जानकारी देनी होगी। यह छूट केवल तभी लागू होगी जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल का एक विशिष्ट आदेश कहता है कि विशेष जानकारी को प्रकटीकरण से प्रतिबंधित कर दिया गया

है। इस तरह का खुलासा अदालत की अवमानना होगी और इसलिए इसे प्रतिबंधित किया गया है।

8(1)(c) सूचना, जिसके प्रकटीकरण से संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार का हनन होगा;

टिप्पणी: यह प्राथमिक रूप से लागू होगा जहां कुछ जानकारी जैसे संसद या विधानमंडल को एक रिपोर्ट पेश करने के लिए एक कानूनी शर्त है। यह प्रावधान तब भी लागू होगा जब विधायिका द्वारा कुछ जानकारी को सार्वजनिक डोमेन में प्रकट करने से बचने या संसद या विधानमंडल की कुछ कार्यवाही को सार्वजनिक करने से रोकने के लिए एक विशिष्ट आदेश दिया गया हो।

सरकारों द्वारा जांच आयोगों की नियुक्ति करने और अक्सर रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं करने की एक आम प्रथा है। चूंकि रिपोर्ट संसद के समक्ष नहीं रखी गई है, क्या इसे आरटीआई आवेदन के जवाब में दिया जा सकता है?

जांच आयोग अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार, "उपयुक्त सरकार संसद के प्रत्येक सदन या, जैसा भी मामला हो, राज्य के विधानमंडल के समक्ष आयोग की रिपोर्ट, यदि कोई हो, रखी जाएगी। आयोग द्वारा उप-धारा (1) के अंतर्गत की गई जांच के साथ-साथ उस पर की गई कार्रवाई के एक ज्ञापन के साथ, आयोग द्वारा उपयुक्त सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करने के छह महीने की अवधि के भीतर।

यदि इसे संसद या राज्य विधानमंडल के समक्ष छह महीने के भीतर नहीं रखा गया है, तो विशेषाधिकार का उल्लंघन पहले ही हो चुका है क्योंकि सरकार ने जांच आयोग अधिनियम के प्रावधान का पालन नहीं किया है। तब यह दावा नहीं किया जा सकता है कि आवेदक को रिपोर्ट देने से विशेषाधिकार का हनन होगा, क्योंकि रिपोर्ट धारक द्वारा पहले ही इसका उल्लंघन किया जा चुका है।

एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए वह यह है कि यदि विधानमंडल को कुछ जानकारी देने से इनकार किया जाता है, तो यह छूट यह नहीं कहती है कि इसे किसी नागरिक को नहीं दिया जाना चाहिए। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

सत्यानंद मिश्रा, (व्यक्तिगत संचार, 02 जून, 2016) का तर्क है कि किसी भी जांच आयोग की रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के छह महीने के भीतर संबंधित विधायिका में पेश नहीं की गई रिपोर्ट का खुलासा स्वचालित नहीं हो सकता है। चूंकि विधायिका को रिपोर्ट प्राप्त करने और देखने का पहला अधिकार है, इसलिए पीआईओ को संबंधित विधायिका से एनओसी लेनी चाहिए। इसके अलावा, कई बार, अत्यधिक संवेदनशील मुद्दों, जैसे, सांप्रदायिक दंगों आदि पर जांच आयोग की रिपोर्ट की सामग्री का खुलासा होने पर सार्वजनिक व्यवस्था का उल्लंघन हो सकता है। पीआईओ इससे बेखबर नहीं हो सकता।

8(1)(d) वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा सहित जानकारी, जिसके प्रकटीकरण से किसी तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को वारंट करता है;

टिप्पणी: इस छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि यह 'वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार रहस्य या बौद्धिक संपदा' है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यह दिखाया जाना चाहिए कि प्रकटीकरण 'तीसरे पक्ष की प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचाएगा'। इसका मतलब यह होगा कि यदि 'तीसरे पक्ष' द्वारा विशेष जानकारी दी जाती है जिसे एक व्यापार रहस्य या वाणिज्यिक विश्वास के रूप में पहचाना जा सकता है और इसके प्रकटीकरण से इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान होगा, तो आवेदक को ऐसी जानकारी से इनकार किया जा सकता है। यह खंड सार्वजनिक प्राधिकरणों को बोलीदाताओं द्वारा दी गई निविदा बोलियों, विशिष्टताओं या गारंटियों जैसी सूचनाओं को अस्वीकार करने की परिकल्पना नहीं करता है। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

मेंडल, टोबी (व्यक्तिगत संचार, मई 13, 2016) का मानना है कि इस जानकारी को सक्रिय रूप से प्रकट करना एक अच्छा अभ्यास होगा।

पीआईओ को जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या जानकारी अस्वीकृत करने से तीसरे पक्ष को होने वाली क्षति के इस परीक्षण के योग्य है, जो प्रकटीकरण के कारण होने की संभावना है।

एक उदाहरण के रूप में, यदि कोई कंपनी कुछ अन्य ग्राहकों के साथ कुछ आदेशों के लिए बातचीत कर रही है और सार्वजनिक प्राधिकरण को इसका खुलासा करती है, तो यह दावा किया जा सकता है कि यह व्यावसायिक विश्वास में दी गई जानकारी है और इस जानकारी का खुलासा करने से इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान हो सकता है। इसी तरह, अगर किसी कंपनी द्वारा फॉर्मूला/फॉर्मूलेशन का खुलासा किया जाता है, तो इसके प्रकटीकरण को छूट दी जा सकती है क्योंकि प्रकटीकरण इसकी प्रतिस्पर्धी स्थिति को नुकसान पहुंचा सकता है। यदि प्रतिस्पर्धा की कोई संभावना नहीं है, तो इस खंड के अंतर्गत छूट का दावा नहीं किया जा सकता है।

8(1)(e) किसी व्यक्ति को उसके प्रत्ययी संबंध में उपलब्ध जानकारी, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि व्यापक सार्वजनिक हित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को वारंट करता है;

टिप्पणी: प्रत्ययी संबंध को "एक ऐसे रिश्ते के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति रिश्ते के दायरे में मामलों पर दूसरे के लाभ के लिए कार्य करने के लिए कर्तव्य के अधीन होता है।" "न्यायिक संबंध आमतौर पर चार स्थितियों में से एक में उत्पन्न होता है:

(1) जब एक व्यक्ति दूसरे की वफादार अखंडता पर भरोसा करता है, जिसके परिणामस्वरूप पहले पर श्रेष्ठता या प्रभाव प्राप्त होता है,

(2) जब एक व्यक्ति नियंत्रण और जिम्मेदारी ग्रहण करता है दूसरा,

(3) जब एक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह रिश्ते के दायरे में आने वाले मामलों पर कार्य करें या दूसरे को सलाह दें, या

(4) जब कोई विशिष्ट संबंध हो जिसे पारंपरिक रूप से प्रत्ययी कर्तव्यों को शामिल करने के रूप में मान्यता दी गई हो, जैसे कि वकील और मुवक्किल, या शेयर दलाल और ग्राहक।” (द एडवांस्ड लॉ लेक्सिकन, तीसरा संस्करण, 2005)

एक प्रत्ययी की पारंपरिक परिभाषा एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी और के संबंध में विश्वास की स्थिति रखता है, इसलिए उसे उस रिश्ते के दायरे में बाद के लाभ के लिए कार्य करने की आवश्यकता होती है। व्यवसाय या कानून में, इसका आम तौर पर मतलब किसी ऐसे व्यक्ति से होता है जिसके पास विशिष्ट कर्तव्य होते हैं, जैसे कि वे जो किसी विशेष पेशे या भूमिका में भाग लेते हैं, उदाहरण डॉक्टर, वकील, बैंकर, वित्तीय विश्लेषक या ट्रस्टी।

इस तरह के रिश्ते की एक और विशेषता यह है कि जानकारी धारक द्वारा पसंद से बाहर जानकारी दी जाती है। जब कोई वादी किसी विशेष वकील के पास जाता है, तो ग्राहक किसी विशेष बैंक को चुनता है, या रोगी किसी विशेष चिकित्सक के पास जाता है, उसके पास यह विकल्प होता है कि वह जानकारी देना चाहता है या नहीं। संबंध के लिए एक प्रत्ययी संबंध के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए एक समान रूप से महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सूचना प्रदाता अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करने के लिए जानकारी देता है। यह सच है कि ऐसा रिश्ता भरोसे पर टिका होता है। कोई व्यक्ति डॉक्टर, वकील, बैंकर या ट्रस्टी का चयन तब तक नहीं करेगा जब तक कि उसमें विश्वास न हो। सभी रिश्तों में आमतौर पर विश्वास का एक तत्व होता है, लेकिन उन सभी को प्रत्ययी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वैधानिक आवश्यकता के निर्वहन में, या नौकरी पाने के लिए, या लाइसेंस या पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए प्रदान की गई जानकारी को एक प्रत्ययी संबंध में नहीं माना जा सकता है। ऐसे में यह दावा नहीं किया जा सकता है कि जानकारी फिड्यूसियरी रिलेशनशिप में दी गई है।

एक अन्य पहलू को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि लाभार्थी द्वारा एक प्रत्ययी को प्रदान की गई जानकारी को ट्रस्ट में रखा जाता है और इसे किसी के साथ साझा नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसका उल्टा सच नहीं है। एक डॉक्टर रोगी की सहमति के बिना रोगी की जानकारी पर चर्चा करने के लिए स्वतंत्र नहीं है, लेकिन रोगी पर डॉक्टर की सलाह या दवा साझा करने के लिए ऐसा कोई बंधन नहीं है।

8(1)(f) विदेशी सरकार से गोपनीय रूप से प्राप्त सूचना;

टिप्पणी: यह संभावना है कि इस प्रावधान का उपयोग किसी विदेशी सरकार द्वारा प्रदान की गई अधिकांश सूचनाओं को अस्वीकार करने के लिए किया जा सकता है, जब तक कि इसे सार्वजनिक डोमेन में जारी नहीं किया गया हो। प्रभावी रूप से, इसका अर्थ है कि किसी विदेशी सरकार से प्राप्त अधिकांश जानकारी दिए जाने की संभावना नहीं है। यह एकमात्र प्रावधान है जहां विश्वास में प्राप्त जानकारी के मात्र दावे को इस कानून में छूट दी गई है।

8(1)(g) सूचना, जिसके प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरा होगा या कानून प्रवर्तन या सुरक्षा उद्देश्यों के लिए विश्वास में दी गई जानकारी या सहायता के स्रोत की पहचान होगी;

टिप्पणी: जीवन या शारीरिक सुरक्षा के लिए खतरा एक उचित संभावना होनी चाहिए, न कि केवल कल्पना। यह खंड तब लागू किया जाएगा जब किसी ने गलत काम के बारे में जानकारी दी हो या विसलब्लोअर के रूप में काम किया हो, और अपनी पहचान का खुलासा करने से उसे खतरा हो। हालांकि, इसमें ऐसी स्थिति होनी चाहिए जहां स्रोत के लिए कुछ खतरा उचित संभावना होनी चाहिए। इसका उपयोग परीक्षकों के बारे में जानकारी, चयनकर्ताओं या साक्षात्कारकर्ताओं के नाम, या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा उनके कनिष्ठों के खिलाफ टिप्पणी से इनकार करने के लिए नहीं किया जा सकता है। यह वास्तविक खतरे के बजाय अतिसक्रिय आशंका का परिणाम होगा। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

सत्यानंद मिश्रा, (व्यक्तिगत संचार, 02 जून, 2016: किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थियों के विवरण का खुलासा असंतुष्ट उम्मीदवारों से उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है और परीक्षा प्रणाली की अखंडता से भी समझौता कर सकता है।

8(1)(h) जानकारी जो जांच या अपराधियों की गिरफ्तारी या अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करेगी;

टिप्पणी: इस प्रावधान के अंतर्गत, निम्नलिखित शर्तों में से कोई एक संतुष्ट होने पर जानकारी से इनकार किया जा सकता है:

a) जांच पूरी नहीं हुई है, और यह दिखाया जा सकता है कि जानकारी जारी करने से जांच की प्रक्रिया में बाधा आ सकती है। यह प्रावधान यह नहीं कहता है कि जब कोई जांच चल रही हो तो उसके बारे में जानकारी नहीं दी जानी चाहिए। इसलिए, पीआईओ को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या जानकारी प्रदान करने पर जांच में बाधा डालने की उचित संभावना है। इसी तरह, जब एक जांच रिपोर्ट पहले ही जमा कर दी जाती है, तो यह दावा नहीं किया जा सकता है कि जांच की प्रक्रिया बाधित होगी। इसके बाद ही यदि किसी के पकड़े जाने या मुकदमा चलाने की कोई संभावना हो तो ही यह स्थापित करना होगा कि गिरफ्तारी या अभियोजन को बाधित किया जाएगा।

b) यदि यह दिखाया और स्थापित किया जाता है कि सूचना जारी करने से ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी जो आरोपित व्यक्तियों को पकड़ने में बाधा उत्पन्न करेगी।

c) हालांकि जांच और अपराधियों की आशंका समाप्त हो सकती है, सूचना जारी करने से अपराधियों पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया बाधित होगी। यदि जांच समाप्त हो गई है और किसी अपराधी के पकड़े जाने या उस पर मुकदमा चलाने की संभावना नहीं है, तो जानकारी को छुपाया नहीं जा सकता है।

टोबी मेंडल, (व्यक्तिगत संचार, मई 13, 2016) टिप्पणी करते हैं कि यदि जानकारी से उन खोजी तकनीकों का पता चलता है जिन्हें फिर से उपयोग करने की आवश्यकता है और जहां उन्हें उजागर करने से उनकी प्रभावशीलता कम हो जाएगी, तो जानकारी को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

इसके अलावा, केवल तथ्य यह है कि रिकॉर्ड से कुछ जानकारी जारी करने से अभियोजन पक्ष कमजोर हो सकता है, सूचना को अस्वीकार करने के कारण के रूप में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसका मतलब यह होगा कि रिकॉर्ड पर सच्चाई का खुलासा नहीं किया जा रहा है।

8(1)(i) मंत्रिपरिषद, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार-विमर्श के रिकॉर्ड सहित कैबिनेट कागजात:

बशर्ते कि मंत्रिपरिषद के निर्णय, उसके कारण, और जिस सामग्री के आधार पर निर्णय लिए गए थे, उसे निर्णय लेने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा, और मामला पूरा हो गया है, या खत्म हो गया है:

बशर्ते कि वे मामले जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे

बशर्ते कि मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय, उसके कारण, और जिस सामग्री के आधार पर निर्णय लिए गए थे, उसे निर्णय लेने के बाद सार्वजनिक किया जाएगा, और मामला पूरा हो गया है, या खत्म हो गया है:

बशर्ते कि वे मामले जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूट के अंतर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

टिप्पणी: इस प्रावधान को अक्सर कैबिनेट कागजात और कैबिनेट विचार-विमर्श के बारे में सूचना के अधिकार के अंतर्गत सूचना प्रदान करने पर पूर्ण रोक के रूप में गलत समझा जाता है। एक बार जब कोई निर्णय लिया जाता है और मामला पूरा या समाप्त हो जाता है, तो यह सरकार पर यह दायित्व डालता है कि वह उस सामग्री को सार्वजनिक करे जिसके आधार पर निर्णय लिया गया है। इसका मतलब है कि सरकार को निर्णय लेने का आधार खुद सार्वजनिक करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक बार जब कोई विधेयक संसद या विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है, तो विचार-विमर्श के उद्देश्य और कैबिनेट से

संबंधित फाइल नोटिंग से संबंधित मामला स्पष्ट रूप से पूर्ण और समाप्त हो जाता है।

इस प्रावधान के लिए आवश्यक है कि सरकार कानून या नीति बनाने का निर्णय लेने के लिए अपने विचार-विमर्श और तर्क लोगों के सामने रखे। यह प्रावधान धारा 4(1) के प्रावधानों को दोहराता है:

(c) महत्वपूर्ण नीतियां तैयार करते समय या जनता को प्रभावित करने वाले निर्णयों की घोषणा करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकाशित करें;

(d) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध न्यायिक निर्णयों के कारण प्रदान करें।

टिप्पणी: यह सुनिश्चित करता है कि कैबिनेट को दी गई सलाह और उसके विचार-विमर्श का खुलासा नहीं किया जाएगा जब चर्चा की जा रही हो। हालाँकि, एक बार कानून या नीति बनाने का निर्णय लेने के बाद, कारण और रिकॉर्ड जनता के सामने रखे जाने चाहिए। यह नागरिकों का सच्चा सशक्तिकरण है और एक सहभागी लोकतंत्र और जवाबदेही लाने का प्रयास है। यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 8(1) में यही एकमात्र प्रावधान है, जो कुछ सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट देते हुए निर्णय लेने के बाद इसे सार्वजनिक करने की जिम्मेदारी सरकार पर डालता है। इस समय एक अतिरिक्त टिप्पणी है।

सत्यानंद मिश्रा, (व्यक्तिगत संचार, 02 जून, 2016) से पता चलता है कि बहुत बार, सरकार ने संबंधित कैबिनेट के फैसले को पूरी तरह से लागू करने के बाद कैबिनेट के कागजात के प्रकटीकरण को रोकने के लिए इस प्रावधान का इस्तेमाल किया है। यहां तक कि सरकार में अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में भी अहानिकर सूचना को नियमित रूप से नकार दिया जाता है।

8(1)(j) जानकारी जो व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित है, जिसके प्रकटीकरण का किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है, या जो व्यक्ति की प्राइवसी (स्वकीयता)*** पर अवांछित आक्रमण का कारण बनता है, जब तक कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकरण, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि व्यापक जनहित ऐसी जानकारी के प्रकटीकरण को सही ठहराता है:

बशर्ते कि जिस जानकारी को संसद या राज्य विधानमंडल को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, उसे किसी भी व्यक्ति को अस्वीकार नहीं किया जाएगा।

*** 'प्राइवसी (स्वकीयता)' की एक निश्चित कानूनी परिभाषा उपलब्ध नहीं है। प्राइवसी (स्वकीयता) को उस संदर्भ में भिन्नता के कारण परिभाषित करना मुश्किल है। गोपनीयता और प्राइवसी (स्वकीयता) ऐसे दो शब्द हैं जिन पर अक्सर लोगों द्वारा चर्चा की जाती रही है और प्राइवसी (स्वकीयता) से संबंधित कानूनों के लिए लोगों को भ्रमित किया जाता है। गोपनीयता एक ऐसी स्थिति को संदर्भित

करती है जब किसी से जानकारी को गुप्त रखने का इरादा या अपेक्षा की जाती है। गोपनीयता शब्द 'विश्वास' शब्द से निकला है जिसका अर्थ है 'विश्वास'। "स्वकीयता (प्राइव्सी)" के लिए निकटतम हिंदी शब्द "स्वाकियता" है और गोपनीय के लिए "गुप्त" है।

निर्णयों में प्रयुक्त शब्द "प्राइव्सी" ने वास्तव में बहुत सारे विवाद पैदा किए हैं क्योंकि इस शब्द को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है और अक्सर "गोपनीय" शब्द के साथ भ्रमित होता है। जब हम अंग्रेजी या हिंदी पर्यायवाची खोजने की कोशिश करते हैं तो गलतफहमी और भ्रम बढ़ जाता है। लगभग सभी शब्दकोशों में "प्राइव्सी" और "गोपनीय या गोपनीयता" का अर्थ एक ही है, जबकि दोनों काफी हद तक भिन्न हैं। "प्राइव्सी" के लिए निकटतम हिंदी शब्द "स्वाकियता" है और गोपनीय के लिए "गुप्त" है।

इसलिए हम पूरे पाठ में निकटवर्ती हिंदी शब्द का उपयोग कर रहे हैं ताकि गोपनीय और गोपनीयता के बीच के अंतर को सही परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके।

टिप्पणी: इस छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, यह व्यक्तिगत जानकारी होनी चाहिए। आम भाषा में, हम विशेषण 'व्यक्तिगत' को एक विशेषता के रूप में परिभाषित करेंगे जो किसी व्यक्ति पर लागू होती है न कि किसी संस्था या कॉर्पोरेट के लिए। इसलिए, यह सुझाव देता है कि 'व्यक्तिगत' संस्थानों, संगठनों या कॉर्पोरेट्स से संबंधित नहीं हो सकता है। इसलिए सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8(1)(j) को तब लागू नहीं किया जा सकता जब सूचना संस्थानों, संगठनों या कॉर्पोरेट्स से संबंधित हो।

अनुरोध की गई जानकारी को निम्नलिखित दो परिस्थितियों में धारा 8(1)(j) के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है –

a) जहां मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है और मांगी गई जानकारी की प्रकृति ऐसी है कि इसका किसी सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है; या

b) जहां मांगी गई जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है, और उक्त जानकारी के प्रकटीकरण से व्यक्ति की 'प्राइव्सी (स्वकीयता)' पर अवांछित आक्रमण होगा।

यदि जानकारी व्यक्तिगत जानकारी है, तो यह देखा जाना चाहिए कि क्या जानकारी सार्वजनिक प्राधिकरण के पास सार्वजनिक गतिविधि के परिणामस्वरूप आई थी। आम तौर पर, सार्वजनिक रिकॉर्ड में अधिकांश जानकारी सार्वजनिक गतिविधि से उत्पन्न होती है। नौकरी के लिए आवेदन करना, राशन कार्ड या पासपोर्ट सार्वजनिक गतिविधि के उदाहरण हैं। हालाँकि, कुछ व्यक्तिगत जानकारी हो सकती है जो सार्वजनिक प्राधिकरणों के पास हो सकती है जो किसी

सार्वजनिक गतिविधि का परिणाम नहीं है, उदाहरण के लिए। मेडिकल रिकॉर्ड, या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के साथ लेनदेन। इसी तरह, एक सार्वजनिक प्राधिकरण छापे या जब्ती के दौरान कुछ जानकारी के कब्जे में आ सकता है जिसका किसी सार्वजनिक गतिविधि से कोई संबंध नहीं हो सकता है।

भले ही जानकारी किसी सार्वजनिक गतिविधि से उत्पन्न हुई हो, फिर भी इसे छूट दी जा सकती है यदि इसे प्रकट करना किसी व्यक्ति की 'प्राइवैसी (स्वकीयता)' पर एक अनुचित आक्रमण होगा। 'प्राइवैसी (स्वकीयता)' एक घर, एक व्यक्ति के शरीर, यौन वरीयताओं आदि के मामलों से संबंधित है। यह अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप है जिसमें 'शिष्टता या नैतिकता' के हित में अनुच्छेद 19(1)(a) पर प्रतिबंध लगाने का उल्लेख है। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है। यदि, हालांकि, यह महसूस किया जाता है कि जानकारी किसी सार्वजनिक गतिविधि का परिणाम नहीं है, या इसे प्रकट करना किसी व्यक्ति की 'प्राइवैसी (स्वकीयता)' पर एक अनुचित आक्रमण होगा, तो सूचना को अस्वीकार करने से पहले इसे परंतुक के एसिड परीक्षण के अधीन किया जाना चाहिए: बशर्ते कि जिस सूचना को संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, उसे किसी भी व्यक्ति को देने से इनकार नहीं किया जाएगा।

परंतुक का मतलब एक परीक्षण के रूप में है जिसे धारा 8(1)(i) के अंतर्गत छूट का दावा करने वाली जानकारी को अस्वीकार करने से पहले लागू किया जाना चाहिए। लोक सेवकों को संसद और विधानमंडल में उठाए गए सवालियों के जवाब देने की आदत हो गई है। उनके लिए नागरिकों से जानकारी की मांग का जवाब देने का रवैया विकसित करना मुश्किल है। इसलिए, जब उन्हें कोई संदेह होता है, तो उनके लिए पहले यह विचार करना सार्थक होता है कि क्या वे यह जानकारी चुने हुए प्रतिनिधियों को देंगे। उन्हें पहले व्यक्तिपरक निष्कर्ष पर आना चाहिए कि वे सांसदों और विधायकों को जानकारी प्रदान नहीं करेंगे, और नागरिकों को जानकारी से इनकार करते समय इसे रिकॉर्ड करेंगे। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

मिश्रा, सत्यानंद (व्यक्तिगत संचार, 02 जून, 2016) बताते हैं कि इस प्रावधान में कहा गया है कि किसी भी जानकारी को संसद या राज्य विधानमंडल को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, किसी भी व्यक्ति को इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन दुर्भाग्य से, कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश या अनुसूची या सूचना की सूची कहीं भी उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर पीआईओ यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि वांछित सूचना को विधायिका, संसद या राज्य विधानसभा को अस्वीकार किया जा सकता है या नहीं। इसलिए, पीआईओ को यह तय करना बहुत मुश्किल लगता है कि कौन सी व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं।

एक अन्य दृष्टिकोण यह है कि नागरिकों को इस अनुमान के आधार पर जानकारी से वंचित किया जाना चाहिए कि प्रकटीकरण से किसी व्यक्ति के कुछ

हितों को नुकसान होगा। हालांकि, अगर सूचना विधायिका को दी जा सकती है तो इसका मतलब है कि संभावित नुकसान बहुत अधिक नहीं है क्योंकि विधायिका को जो दिया जाता है वह सार्वजनिक डोमेन में होगा। इसलिए, यह आवश्यक है कि जब धारा 8(1)(j) के प्रावधान के आधार पर जानकारी से इनकार किया जाता है, तो जानकारी से इनकार करने वाले व्यक्ति को अपना व्यक्तिपरक मूल्यांकन देना चाहिए कि ऐसी जानकारी संसद या राज्य विधानमंडल को मांगी गई है। इसे निर्णय में दर्ज किया जाना चाहिए।

यह ध्यान देने योग्य है कि गोपनीयता 'प्राइवसी (स्वकीयता)' विधेयक 2014 में, यह प्रस्तावित किया गया था कि संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा को व्यक्तिगत डेटा के रूप में परिभाषित किया जाना चाहिए: "(ए) चिकित्सा इतिहास सहित शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य,

(बी) बायोमेट्रिक, शारीरिक या आनुवंशिक जानकारी,

(सी) आपराधिक सजा

(डी) पासवर्ड,

(ई) बैंकिंग क्रेडिट और वित्तीय डेटा

(एफ) नार्को विश्लेषण या पॉलीग्राफ टेस्ट डेटा, (जी) यौन अभिविन्यास।

यह संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अनुरूप है।

8(2) आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और न ही उप-धारा (1) के अनुसार अनुमेय छूट में से किसी के होते हुए भी, एक सार्वजनिक प्राधिकरण सूचना तक पहुंच की अनुमति दे सकता है, यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित नुकसान से अधिक है संरक्षित हितों के लिए है।

टिप्पणी: यह खंड व्यापक जनहित के सर्वोपरि होने के सिद्धांत को दोहराता है। राज्य के पास जानकारी नागरिकों के स्वामित्व में है। धारा 8(1) के अंतर्गत कुछ सूचनाओं को अस्वीकार करने का एकमात्र कारण यह विश्वास है कि ऐसी जानकारी देने से कुछ हितों को नुकसान होगा, और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 19(2) के जनादेश के अनुसार इनकार किया जा सकता है। हालांकि, यह माना जाता है कि कुछ ऐसे उदाहरण होंगे जहां प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित संरक्षित किए जाने वाले हित के संभावित नुकसान से अधिक है। यह स्पष्ट है कि यह प्रावधान धारा 8 में सूचीबद्ध सभी छूटों पर लागू होता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित को केवल तभी स्थापित किया जाना चाहिए जब यह दिखाया जाए कि धारा 8(1) की छूटों में से एक लागू है।

संसद में विधेयक पेश करते समय, मंत्री सुरेश पचौरी ने कहा था, "प्रकटीकरण से छूट प्राप्त सूचनाओं की श्रेणियां न्यूनतम हैं। यहां तक कि ये छूट भी पूर्ण नहीं हैं और सार्वजनिक हित में उन तक पहुंच की अनुमति दी जा सकती है यदि सूचना का खुलासा सार्वजनिक अधिकारियों को नुकसान से अधिक है। इस

तरह के खुलासे की अनुमति दी गई है, भले ही यह आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम 1923 के प्रावधानों के विपरीत हो।”

यदि कोई छूट लागू नहीं है, तो कोई जनहित दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

8(3) उप-धारा (1) के खंड (a), (c) और (i) के प्रावधानों के अधीन, किसी भी घटना, घटना या मामले से संबंधित कोई भी जानकारी जो बीस साल पहले हुई, हुई या हुई हो जिस तारीख को धारा 6 के अंतर्गत कोई अनुरोध किया जाता है, उस धारा के अंतर्गत अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को प्रदान किया जाएगा: बशर्ते कि जिस तारीख से बीस साल की उक्त अवधि की गणना की जानी है, उसके बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो निर्णय इस अधिनियम में प्रदान की जाने वाली सामान्य अपीलों के अधीन, केंद्र सरकार अंतिम होगी।

टिप्पणी: आदर्श रूप से, सभी जानकारी नागरिकों के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। कुछ जानकारी जो प्रकट होने पर कुछ हितों को नुकसान पहुंचाएगी, छूट दी गई है। यह सर्वविदित है कि कुछ वर्षों के बाद ऐसा नुकसान नहीं होगा या नगण्य होगा। इसके अनुरूप, बीस वर्षों की अवधि के बाद, सूचना को अस्वीकार करने के लिए केवल तीन छूट खंड लागू किए जा सकते हैं। पहले बीस वर्षों के लिए, सभी दस छूट खंड – (a) से (j) – लागू होंगे।

20 वर्षों के बाद, केवल तीन खंड – (a), (c) और (i) – लागू होंगे। इसका मतलब यह है कि खंड (b), (d), (e), (f), (g), (h), और (j) 20 साल खत्म होने पर लागू नहीं होते हैं।

एक उदाहरण देने के लिए, यदि किसी अदालत ने कुछ सूचनाओं के प्रकटीकरण को मना किया है, तो बीस साल बाद इस जानकारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं अगर किसी स्पीकर ने कुछ जानकारी को सार्वजनिक न करने का आदेश दिया है तो 20 साल बाद भी उसे उजागर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा, सूचना को बीस साल बाद इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि यह ‘प्राइवैसी (स्वकीयता)’ पर आक्रमण करेगा या एक भरोसेमंद क्षमता में आयोजित किया जाएगा।

इसका मतलब यह नहीं है कि एक सार्वजनिक प्राधिकरण को सभी सूचनाओं को बीस साल तक रखना चाहिए। एक सार्वजनिक प्राधिकरण अपने रिकॉर्ड प्रतिधारण कार्यक्रम के अनुसार रिकॉर्ड को नष्ट कर देगा। लेकिन अगर सूचना 20 साल से अधिक समय से सार्वजनिक प्राधिकरण के पास है, तो यह खंड (b), (d), (e), (f), (g), (h), और (j) के अंतर्गत छूट के आधार पर इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है।

निष्कर्ष निकालने के लिए, हम धारा 8 की छूटों को छूट के लिए इस तीन-भाग परीक्षण के अधीन करके सारांशित कर सकते हैं:

- 1) जानकारी अनुभाग में सूचीबद्ध वैध हित से संबंधित होनी चाहिए;
- 2) प्रकटीकरण से उस हित को पर्याप्त नुकसान होने का खतरा होना चाहिए;
- 3) जानकारी का खुलासा करने में संरक्षित हित को नुकसान सार्वजनिक हित से अधिक होना चाहिए।

9. कतिपय मामलों में पहुंच की अस्वीकृति के लिए आधार—धारा 8 के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है, जहां ऐसा अनुरोध पहुंच प्रदान करने में राज्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति में मौजूद कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल होगा।

टिप्पणी: यदि कोई आवेदक किसी पुस्तकालय में किसी पुस्तक की प्रतियां, या कला का एक काम, या एक फिल्म की प्रतियां मांगता है, जिसका कॉपीराइट किसी के पास है, तो उसे नहीं दिया जाएगा। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

टोबी मेंडल, (व्यक्तिगत संचार, मई 13, 2016) की राय है कि यदि सूचना (निजी तौर पर आयोजित) कॉपीराइट के अपवाद में आती है तो सूचना जारी करना बेहतर होगा।

हालाँकि, निहितार्थ से, यदि कॉपीराइट राज्य का है, तो उसे सूचना के अधिकार के अंतर्गत देना होगा। राज्य के मूल्य प्रकाशनों की प्रतियां मांगने वाले नागरिकों की समस्या को दूर करने के लिए, कुछ राज्य नियमों ने कहा है कि मूल्य प्रकाशनों के लिए भुगतान किया जाने वाला शुल्क प्रकाशन का बिक्री मूल्य होगा। हालांकि, इस आधार पर किसी भी जानकारी से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कॉपीराइट राज्य के पास है।

टोबी मेंडल, (व्यक्तिगत संचार, जून 28, 2016) का मानना है कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है यदि सावधानी से और ठीक से उपयोग किया जाए। चूंकि यह लगभग असंभव है कि एक लंबे दस्तावेज़ की संपूर्णता को छूट दी जाएगी, सावधानी से अलग करने से लगभग हमेशा गैर-छूट वाली सामग्री जारी हो जाएगी। इसलिए, ज्यादातर मामलों में, पूछने के लिए उचित प्रश्न यह नहीं है कि कोई दस्तावेज़ छूट प्राप्त है या नहीं, लेकिन क्या दस्तावेज़ में कुछ सामग्री छूट है।

10. पृथक्करणीयता—(1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि यह जानकारी के संबंध में है, जिसे प्रकटीकरण से छूट दी गई है, तो इस अधिनियम में किसी भी चीज के होते हुए भी, उस हिस्से तक पहुंच प्रदान की जा सकती है रिकॉर्ड जिसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो

इस अधिनियम के अंतर्गत प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है और जिसे छूट वाली जानकारी वाले किसी भी हिस्से से उचित रूप से अलग किया जा सकता है।

टिप्पणी: सूचना से इनकार करने से पहले एक पीआईओ द्वारा 'सेवरेबिलिटी' के महत्वपूर्ण पहलू पर विचार किया जाना चाहिए। यदि किसी आवेदक द्वारा मांगी गई जानकारी के किसी भाग को छूट दी गई है, तो छूट वाले भाग को हटाकर शेष जानकारी प्रदान की जानी चाहिए। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

10(2) जहां उप-धारा (1) के अंतर्गत रिकॉर्ड के एक हिस्से तक पहुंच प्रदान की जाती है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, आवेदक को एक नोटिस देगा, यह सूचित करते हुए—

(a) अनुरोध किए गए रिकॉर्ड का केवल एक हिस्सा, जानकारी वाले रिकॉर्ड को अलग करने के बाद, जो प्रकटीकरण से छूट प्राप्त है, प्रदान किया जा रहा है;

(b) निर्णय के कारण, तथ्य के किसी भी भौतिक प्रश्न पर किसी भी निष्कर्ष सहित, उस सामग्री का जिक्र करते हुए जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे;

(c) निर्णय देने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(d) उसके द्वारा गणना की गई फीस का विवरण और शुल्क की राशि जिसे आवेदक को जमा करना आवश्यक है; तथा

(e) उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी के विवरण सहित, सूचना के हिस्से का खुलासा न करने के संबंध में निर्णय की समीक्षा के संबंध में, शुल्क की राशि या प्रदान की गई पहुंच के रूप में उसके अधिकार धारा 19 या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, समय सीमा, प्रक्रिया और किसी भी अन्य प्रकार की पहुंच।

टिप्पणी: यदि सूचना का एक भाग धारा 10(1) के अनुसार अलग किया जाता है, तो लोक सूचना अधिकारी को:

a) आवेदक को सूचित करें कि जानकारी का एक हिस्सा अलग किया जा रहा है क्योंकि यह छूट प्राप्त है।

b) कुछ सूचनाओं को अस्वीकार करने के कारण:

धारा 8(1) और तर्क कि धारा कैसे लागू होती है।

c) कुछ सूचनाओं को छूट देने का निर्णय देने वाले अधिकारी का नाम और पदनाम।

d) गणना दिखाते हुए आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस का विवरण।

e) नाम, पदनाम और पते सहित प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का विवरण, और वह समय जिसके भीतर पहली अपील की जानी चाहिए, अर्थात् 30 दिन।

11. तीसरे पक्ष की जानकारी—(1) जहां एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के अंतर्गत किए गए अनुरोध पर किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड, या उसके हिस्से का खुलासा करना चाहता है, जो संबंधित है को या किसी तीसरे पक्ष द्वारा आपूर्ति की गई है और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय माना गया है, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, अनुरोध प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर, अनुरोध के ऐसे तीसरे पक्ष को एक लिखित नोटिस और तथ्य यह है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, सूचना या रिकॉर्ड, या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है, और तीसरे पक्ष को आमंत्रित करता है जानकारी का खुलासा किया जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में लिखित या मौखिक रूप से प्रस्तुत करें, और तीसरे पक्ष के इस तरह के प्रस्तुतिकरण को जानकारी के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय ध्यान में रखा जाएगा:

बशर्ते कि कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले को छोड़कर, प्रकटीकरण की अनुमति दी जा सकती है यदि प्रकटीकरण में सार्वजनिक हित ऐसे तीसरे पक्ष के हितों को किसी भी संभावित नुकसान या चोट से अधिक महत्व देता है।

टिप्पणी: यह समझना महत्वपूर्ण है कि धारा 11 एक प्रक्रिया है न कि छूट। जानकारी प्रदान करने की छूट केवल धारा 8 और 9 में है जैसा कि धारा 7(1) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। इस प्रावधान के शब्दों में किसी भी सूचना के अधिकार के आवेदन को धारा 11 के आधार पर खारिज किए जाने पर विचार नहीं किया गया है। धारा 11 एक प्रक्रिया है जिससे प्रभावित तीसरे पक्ष को सूचना जारी करने पर अपनी आपत्तियां व्यक्त करने की अनुमति मिलती है जिससे उसके हितों को नुकसान हो सकता है।

पीआईओ से धारा 11 की प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा की जाती है जब वह "किसी भी जानकारी या रिकॉर्ड का खुलासा करने का इरादा रखता है"। इसका मतलब यह है कि पीआईओ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि सूचना आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्त नहीं है। यदि पीआईओ इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि तीसरे पक्ष की जानकारी धारा 8 या 9 के अनुसार छूट प्राप्त है, तो उसे आवेदन को अस्वीकार कर देना चाहिए और तदनुसार आवेदक को सूचित करना चाहिए।

यदि जानकारी 'किसी तीसरे पक्ष से संबंधित है या प्रदान की गई है और उस तीसरे पक्ष द्वारा गोपनीय मानी गई है' तो पीआईओ को तीसरे पक्ष को पांच दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वह 'सूचना या रिकॉर्ड, या उसके हिस्से का खुलासा करने का इरादा रखता है,' धारा 11(1) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि

‘सूचना के प्रकटीकरण के बारे में निर्णय लेते समय तीसरे पक्ष के प्रस्तुतीकरण को ध्यान में रखा जाएगा’। इस प्रकार, धारा 11 की प्रक्रिया तब प्रभावी होती है जब जानकारी मौजूद होती है और पीआईओ का विचार है कि छूट नहीं है, और तीसरे पक्ष ने इसे गोपनीय माना है। पीआईओ को आरटीआई आवेदन प्राप्त होने के 5 दिनों के भीतर तीसरे पक्ष को एक पत्र भेजना होगा जिसमें कहा गया है कि वह सूचना का खुलासा करने का इरादा रखता है। पीआईओ केवल जानकारी का खुलासा करने का इरादा कर सकता है यदि उसे लगता है कि यह छूट नहीं है। उसे तीसरे पक्ष को सूचना का खुलासा करने के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त करने का अवसर देना चाहिए। यदि तीसरे पक्ष को जानकारी के प्रकटीकरण पर आपत्ति है, तो पीआईओ इसे ध्यान में रखेगा और यह तय करेगा कि तीसरे पक्ष की आपत्तियां धारा 8(1) या 9 के अंतर्गत छूटों द्वारा उचित हैं या नहीं। धारा 8 या 9 की किसी भी छूट के लिए, वह तीसरे पक्ष को तदनुसार सूचित करेगा। यदि वह आश्वस्त हो जाता है तो वह संबंधित अनुभाग का हवाला देते हुए आवेदक को सूचना देने से इंकार कर देगा। धारा 8(2) के अनुरूप अधिनियम फिर से दोहराता है कि यदि प्रकटीकरण में एक बड़ा सार्वजनिक हित स्थापित होता है, तो संभावित नुकसान से अधिक होने पर जानकारी दी जा सकती है। हालांकि, बड़े सार्वजनिक हित ओवरराइड में एक अपवाद है।

यदि कोई तीसरा पक्ष आपत्ति करता है और पीआईओ इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जानकारी धारा 8(1)(d) (व्यापार या वाणिज्यिक रहस्य) द्वारा कवर की गई है जो तीसरे पक्ष के प्रतिस्पर्धी हित को नुकसान पहुंचा सकती है, तो जानकारी नहीं दी जाएगी, भले ही एक बड़ा सार्वजनिक हित स्थापित हो। यह एकमात्र अपवाद है जिसे एक पूर्व कानून के लिए तैयार किया गया है। कानून द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक रहस्यों के मामले में, आरटीआई अधिनियम पहले के कानून पर हावी नहीं होता है। निहितार्थ और विशेष रूप से धारा 22 में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह अधिनियम किसी भी अन्य कानून में इसके साथ असंगत होने के बावजूद प्रभावी होगा।

जब पीआईओ तीसरे पक्ष के संदर्भ को गति देता है, तो उसका विचार है कि जानकारी छूट नहीं है, और तीसरे पक्ष को किसी भी आपत्ति को आवाज देने का मौका दे रहा है जो अधिनियम के अंतर्गत छूट पर आधारित हो सकता है। केवल अगर तीसरे पक्ष की आपत्ति के अंतर्गत छूट में से एक के अनुरूप है

धारा 8(1) या धारा 9, पीआईओ इस मुद्दे की फिर से जांच करेगा। अगर वह आश्वस्त है कि छूट लागू होती है, तो उसे खुलासा करने के लिए अपनी पहले की स्थिति को बदलना होगा। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि छूट स्थापित होने पर ही एक मंद जनहित के मुद्दे को लागू करने की आवश्यकता है। अन्यथा, प्रकटीकरण में कोई सार्वजनिक हित स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यह भी स्पष्ट है कि अगर तीसरे पक्ष से कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, तो

जानकारी का खुलासा करना होगा, क्योंकि पीआईओ इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जानकारी छूट नहीं है।

11(2) जहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा उप-धारा (1) के अंतर्गत किसी तीसरे पक्ष को किसी सूचना या रिकॉर्ड या उसके हिस्से के संबंध में नोटिस दिया जाता है, तीसरा पार्टी को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिनों के भीतर, प्रस्तावित प्रकटीकरण के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा।

टिप्पणी: इस खंड में तीसरे पक्ष को सूचना के प्रकटीकरण पर अपनी आपत्ति व्यक्त करने के लिए दस दिनों की अवधि दिए जाने की परिकल्पना की गई है। यदि तृतीय पक्ष आपत्ति करता है, तो पीआईओ को यह निर्धारित करना होगा कि जानकारी छूट है या नहीं और अपीलकर्ता और तीसरे पक्ष को अपने निर्णय के बारे में सूचित करना है। यदि तीसरा पक्ष पीआईओ के निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो वह धारा 11(4) के प्रावधान के अनुसार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अपील दायर कर सकता है। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

सत्यानंद मिश्रा, (व्यक्तिगत संचार, 20 जून, 2016) का तर्क है कि यह प्रावधान, अर्थात्, उस तीसरे पक्ष को अनुमति देता है जिससे वांछित जानकारी संबंधित है, पीआईओ द्वारा इच्छित प्रकटीकरण के बारे में अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करता है, सख्ती से लाइन में है प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के साथ। चूंकि उक्त सूचना को विशेष रूप से गोपनीय चिह्नित तृतीय पक्ष द्वारा संबंधित लोक प्राधिकरण को प्रदान किया गया था, इसलिए उसे सूचना के प्रकटीकरण पर आपत्तियों सहित अपने विचार व्यक्त करने के लिए पीआईओ के समक्ष एक अवसर दिया जाना चाहिए। इस प्रावधान का स्पष्ट अर्थ है कि यदि पीआईओ उक्त तीसरे पक्ष द्वारा आपत्तियों, यदि कोई हो, को खारिज करने का निर्णय लेता है, तो उसे एक बोलनेवाला आदेश पारित करना होगा।

11(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, धारा 6 के अंतर्गत अनुरोध प्राप्त होने के चालीस दिनों के भीतर, यदि तीसरे पक्ष को अवसर दिया गया है उप-धारा (2) के अंतर्गत प्रतिनिधित्व करने के लिए, जानकारी या रिकॉर्ड या उसके हिस्से का खुलासा करने या न करने के बारे में निर्णय लें और तीसरे पक्ष को अपने निर्णय की लिखित सूचना दें।

टिप्पणी: धारा 7(1) में कहा गया है कि आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर पीआईओ द्वारा जानकारी दी जानी चाहिए। हालांकि, जब किसी तीसरे पक्ष का प्रतिनिधित्व मांगा जाता है, तो कानून सूचना देने के लिए समय को चालीस दिनों तक बढ़ा देता है, क्योंकि यह तीसरे पक्ष की प्रतिक्रिया के लिए दस दिनों का भत्ता देता है।

11(4) उप-धारा (3) के अंतर्गत दिए गए नोटिस में एक बयान शामिल होगा कि जिस तीसरे पक्ष को नोटिस दिया गया है, वह धारा 19 के अंतर्गत अपील करने का हकदार है।

टिप्पणी: यदि पीआईओ का निर्णय सूचना देना है, तो तीसरे पक्ष की आपत्ति के बावजूद, तीसरे पक्ष के पास इस तरह के निर्णय के खिलाफ अपील दायर करने का अवसर होता है। यदि तीसरा पक्ष पीआईओ के निर्णय के खिलाफ अपील करना चाहता है, तो वह धारा 11(4) के प्रावधान के अनुसार अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अपील दायर कर सकता है। यदि तृतीय पक्ष प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से सहमत नहीं है तो वह सूचना आयोग में द्वितीय अपील भी कर सकता है। धारा 11 के सभी उपखंडों को एक साथ पढ़ना, यह स्पष्ट है कि धारा 11 एक छूट नहीं है, बल्कि केवल एक प्रक्रिया है जो किसी तीसरे पक्ष को यह स्थापित करके सूचना जारी करने पर आपत्ति करने का उचित मौका देती है कि यह छूट है। यदि तीसरे पक्ष को वीटो दिया जाना था, तो तीसरे पक्ष द्वारा अपील करने का कोई कारण नहीं होगा। यह सुझाव देने के लिए कुछ सबूत भी होने चाहिए कि सूचना सार्वजनिक प्राधिकरण को 'विश्वास में' प्रदान की गई थी।

अध्याय III केंद्रीय सूचना आयोग

12. केंद्रीय सूचना आयोग का गठन—(1) केंद्र सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निकाय का गठन करेगी जिसे केंद्रीय सूचना आयोग के रूप में जाना जाएगा, जो प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, और सौंपे गए कार्यों को करेगा, यह इस अधिनियम के अंतर्गत।

12(2) केंद्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(a) मुख्य सूचना आयुक्त; तथा

(b) केंद्रीय सूचना आयुक्तों की संख्या, दस से अधिक नहीं, जितनी आवश्यक समझी जा सकती है।

टिप्पणी: कानून मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा सूचना आयुक्तों की कुल संख्या को दस तक सीमित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्यारह आयुक्तों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अधिनियम केवल एक ऊपरी सीमा निर्धारित करता है।

12(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें—

(i) प्रधान मंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे;

(ii) लोकसभा में विपक्ष के नेता; तथा

(iii) प्रधान मंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री।

स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को मान्यता नहीं दी गई है, वहां सरकार के विपक्ष में सबसे बड़े समूह के नेता को सदन में जनता को विपक्ष का नेता माना जाएगा।

टिप्पणी: सूचना आयुक्तों के चयन की प्रक्रिया में कुछ निष्पक्षता लाने के लिए विपक्ष के नेता को शामिल किया गया है। दुर्भाग्य से, ज्यादातर मामलों में, विपक्ष के नेताओं ने निष्पक्ष और स्वतंत्र आयुक्तों की नियुक्ति सुनिश्चित करने में कोई प्रभावी भूमिका नहीं निभाई है। अधिकांश सूचना आयुक्तों को उनकी उपयुक्तता के संबंध में राजनीतिक संरक्षण के परिणाम के रूप में चुना जाता है।

सेकंड अपील के निपटान की कोई समय सीमा नहीं है। इस बिल के पहले मसौदे में सूचना आयोगों द्वारा दूसरी अपीलों के निपटारे के लिए पैतालीस दिनों का प्रावधान था, जिसे अंतिम मसौदे में हटा दिया गया था। यदि आयोग लगभग 60 से 90 दिनों के उचित समय के भीतर वितरित नहीं करता है, तो कानून अपना महत्व खो देगा।

12(4) केंद्रीय सूचना आयोग के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसे सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे सभी कार्य और चीजें कर सकता है जिनका प्रयोग किया जा सकता है। या केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्देशों के अधीन किए बिना स्वायत्तता से किया गया है।

टिप्पणी: सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता प्राप्त मुख्य सूचना आयुक्त सभी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। आयोग एक स्वायत्त निकाय है और इसे किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता है।

12(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

12(6) मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो, संसद का सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, या लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा नहीं होगा या कोई व्यवसाय करना या कोई पेशा करना।

टिप्पणी: यह हितों के टकराव से बचने के लिए है।

12(7) केंद्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय दिल्ली में होगा और केंद्रीय सूचना आयोग, केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

टिप्पणी: कानून में देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यालय स्थापित करने का प्रावधान है। फिलहाल ऐसा नहीं किया गया है। सुनवाई के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सफल शुरुआत के साथ, विभिन्न स्थानों पर कार्यालय स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है।

13. पद की अवधि और सेवा की शर्तें—(डाला गया, प्रतिस्थापित किया गया; और राजपत्र अधिसूचना संख्या 43 द्वारा संशोधित; नई दिल्ली, गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 / श्रवण 10, 1941 (शक), सूचना के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 नंबर 24। (9 अगस्त 2019। (सम्मिलित, प्रतिस्थापित; और गजट अधिसूचना संख्या 43, नई दिल्ली, गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 / श्रावण 10, 1941 (शक), सूचना के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 सं 24 ऑफ 2019 द्वारा संशोधित। 24 ऑफ 2019 (1 अगस्त, 2019।)।

(1) मुख्य सूचना आयुक्त "ऐसे पद के लिए पद धारण करेगा जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है" (प्रतिस्थापित; द्वारा और गजट अधिसूचना संख्या 43, नई दिल्ली, गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 / श्रावण 10, 1941 (शक) द्वारा संशोधित, सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 सं। 24 ऑफ 2019 (1

अगस्त, 2019) और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा:

परन्तु यह है कोई भी मुख्य सूचना आयुक्त पद धारण नहीं करेगा, क्योंकि वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है।

टिप्पणी: सरकार ने सूचना अधिकारियों के कार्यकाल का निर्धारण को अपने हाथ में ले लिया है। पहले मुख्य सूचना आयुक्तों के साथ दूसरे सूचना आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल निर्धारित होता था। अब इसे बदल दिया गया है। सूचना आयुक्तों के कार्यकाल का निर्धारण अब सरकार करेगी।

केंद्र में मुख्य चुनाव आयुक्त (CIC) की तरह राज्य में भी मुख्य चुनाव आयुक्त (SCIC) होते हैं। केंद्र के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अगुआई में तीन सदस्यीय पैनल करता है। इसमें प्रधानमंत्री के साथ लोकसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता और पीएम द्वारा नॉमिनेटेड कोई कैबिनेट मंत्री होता है।

इसी तरह से राज्यों में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री की अगुआई में तीन सदस्यीय पैनल होता है। इसमें मुख्यमंत्री के साथ विधानसभा में विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी का नेता और सीएम द्वारा नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री होता है।

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त उस पद से पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा, जिस तिथि को वह अपने कार्यालय में प्रवेश करता है या जब तक वह पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो, और इस तरह पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। सूचना आयुक्त: बशर्ते कि प्रत्येक सूचना आयुक्त इस उप-धारा के तहत अपने कार्यालय को खाली करने पर, मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में उप-धारा (3) की धारा 12 में निर्दिष्ट तरीके से नियुक्ति के लिए पात्र होंगे:

परन्तु यह है कि जहां सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है, सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में उनका पद पांच साल से अधिक नहीं होगा।

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या एक सूचना आयुक्त अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति या उस व्यक्ति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति की सदस्यता ले लेगा और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ या पुष्टि करेगा।

13(4) मुख्य सूचना आयुक्त या एक सूचना आयुक्त, किसी भी समय राष्ट्रपति को संबोधित अपने हाथ से लिखकर अपना पद त्याग सकेगा:

परन्तु यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को धारा 14 के तहत निर्दिष्ट तरीके से हटाया जा सकता है।

13(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें—

(a) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं;

(b) सूचना आयुक्त की वहीं होंगी जो निर्वाचन आयुक्त की हैं:

(c) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की सेवा के अन्य नियमों और शर्तों के लिए देय वेतन और भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे:

परन्तु यह है कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों की सेवा के वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए अलग नहीं होंगी:

आगे जानकारी दी गई कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 के प्रारंभ होने से पहले नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त इस अधिनियम के प्रावधानों और इसके तहत बनाए गए नियमों को जारी रखेंगे, जैसे कि सूचना का अधिकार (संशोधन)) अधिनियम, 2019 लागू नहीं हुआ।" (डाला गया, प्रतिस्थापित किया गया; और राजपत्र अधिसूचना संख्या 43 द्वारा संशोधित; नई दिल्ली, गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 / श्रवण 10, 1941 (शक), सूचना के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 नंबर 24। (1 अगस्त 2019। (सम्मिलित, प्रतिस्थापित; और गजट अधिसूचना संख्या 43, नई दिल्ली, गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 / श्रावण 10, 1941 (शक), सूचना के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 सं 24 ऑफ 2019 द्वारा संशोधित। 24 ऑफ 2019 (1 अगस्त, 2019।)

टिप्पणी: अब तक सूचना आयुक्त का वेतन तय होता था। अब मुख्य सूचना आयुक्त के साथ दूसरे आयुक्तों के वेतन का निर्धारण सरकार करेगी। इसके पहले मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों का वेतन मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के बराबर होता था और इन सबका वेतन सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होता था।

नए विधेयक के तहत केंद्र और राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते तथा अन्य रोजगार की शर्तें भी केंद्र सरकार द्वारा ही तय की जाएंगी।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 यह प्रावधान करता है कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त पद पर नियुक्त होते समय उम्मीदवार किसी अन्य सरकारी नौकरी की पेंशन या अन्य सेवानिवृत्ति लाभ प्राप्त करता है तो उस लाभ के बराबर राशि को उसके वेतन से घटा दिया जाएगा, लेकिन इस नए संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।

13(6) केंद्र सरकार ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त उपलब्ध कराएगी जो इस अधिनियम के तहत अपने कार्यों के कुशल प्रदर्शन के लिए आवश्यक हो सकते हैं, और सेवा के नियमों और शर्तों के लिए देय वेतन और भत्ते इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारी और अन्य कर्मचारी ऐसे होंगे जिन्हें निर्धारित किया जा सकता है।

टिप्पणी: यह अनिवार्य किया गया है कि उन्हें पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराए जाएं।

14. मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को हटाना—(1) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को केवल राष्ट्रपति के आदेश से ही उनके पद से इस आधार पर हटाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा राष्ट्रपति द्वारा किए गए एक संदर्भ पर, साबित कदाचार या अक्षमता के मामले में, जांच पर, रिपोर्ट किया गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त या किसी भी सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो, को ऐसे आधार पर हटा दिया जाना चाहिए।

टिप्पणी: सूचना आयुक्तों के पद को बहुत सुरक्षित बनाया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके।

14(2) राष्ट्रपति पद से निलंबित कर सकते हैं, और यदि आवश्यक समझे तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, जिनके संबंध में उप-धारा (1) के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया गया है, को जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी रोक सकते हैं। जब तक राष्ट्रपति इस तरह के संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित नहीं करता है।

14(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राष्ट्रपति आदेश द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को पद से हटा सकते हैं यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो, —

- (a) एक दिवालिया घोषित किया गया है; या
- (b) एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में नैतिक अधमता शामिल है; या
- (c) अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान रोजगार में संलग्न है; या
- (d) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या
- (e) ने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

14(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त किसी भी तरह से, भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध या समझौते से संबंधित या रुचि रखते हैं या किसी भी तरह से उसके लाभ में या किसी भी लाभ या प्राप्त होने वाले लाभ में भाग लेते हैं वहाँ से अन्यथा एक सदस्य के रूप में और एक निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ आम तौर पर, वह, उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, दुर्व्यवहार का दोषी माना जाएगा।

अध्याय IV

राज्य सूचना आयोग

15. राज्य सूचना आयोग का गठन—(1) प्रत्येक राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक निकाय का गठन करेगी जिसे (राज्य का नाम) सूचना आयोग के रूप में जाना जाएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करना और उसे सौंपे गए कार्यों का पालन करना।

15(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(a) राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त, और

(b) राज्य सूचना आयुक्तों की संख्या, दस से अधिक नहीं, जितनी आवश्यक समझी जा सकती है।

टिप्पणी: कानून मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा सूचना आयुक्तों की कुल संख्या को दस तक सीमित करता है। इसका मतलब यह नहीं है कि ग्यारह आयुक्त स्वीकृत हैं और उन्हें नियुक्त किया जाना चाहिए। अधिनियम केवल एक ऊपरी सीमा निर्धारित करता है। कई छोटे राज्यों के लिए केवल एक मुख्य सूचना आयुक्त होना ही समझदारी होगी।

15(3) राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें—

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति के अध्यक्ष होंगे;

(ii) विधान सभा में विपक्ष के नेता; तथा

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री।

स्पष्टीकरण.—शंकाओं को दूर करने के उद्देश्य से यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्ष के नेता को इस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विरोध में सबसे बड़े समूह का नेता होगा। विपक्ष के नेता माने जाते हैं।

15(4) राज्य सूचना आयोग के मामलों का सामान्य अधीक्षण, निर्देशन और प्रबंधन राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसे राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है और ऐसे सभी कार्य और चीजें कर सकता है जो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा निर्देशों के अधीन किए बिना राज्य सूचना आयोग द्वारा स्वायत्त रूप से प्रयोग या किया जाना चाहिए।

15(5) राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त कानून, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, मास मीडिया या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव के साथ सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

15(6) राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो, संसद का सदस्य या किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, या लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक से जुड़ा नहीं होगा। पार्टी करना या कोई व्यवसाय करना या कोई पेशा करना।

15(7) राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकता है।

16. पद की अवधि और सेवा की शर्तें—(1) राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त ऐसे पद के लिए पद धारण करेंगे जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है (डाला गया, प्रतिस्थापित किया गया; और राजपत्र अधिसूचना संख्या 43 द्वारा संशोधित; नई दिल्ली, गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 / श्रवण 10, 1941 (शक), सूचना के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 नंबर 24। (9 अगस्त 2019। (सम्मिलित, प्रतिस्थापित; और गजट अधिसूचना संख्या 43, नई दिल्ली, गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 / श्रावण 10, 1941 (शक), सूचना के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 सं 24 ऑफ 2019 द्वारा संशोधित। 24 ऑफ 2019 (1 अगस्त, 2019।)) और पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा:

16(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह पद ग्रहण करता है, ऐसे पद के लिए पद धारण करेंगे जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाये या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इसमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर धारा 15 की उपधारा

16(3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि जहाँ राज्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पणी: अब नियुक्ति के सारे अधिकार केंद्र सरकार ने अपने हाथ में ले लिए हैं। नियुक्ति और सेवा शर्तों का निर्धारण अब केंद्र सरकार करेगी. केंद्र के साथ राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी केंद्र सरकार ही करेगी. इसे लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं. कहा जा रहा है कि एक्ट में इस बदलाव की वजह से मुख्य चुनाव आयुक्त केंद्र के हाथ की कठपुतली बन जाएंगे. क्योंकि उनकी नियुक्ति से लेकर उनकी सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्र के हाथ में होगा. वो

जनता के पक्षधर की बजाए अपनी नौकरी बचाए रखने के लिए केंद्र सरकार के पक्षधर बन जाएंगे।

फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल या अधिकतम 65 साल की आयुसेवा निर्धारित है। केंद्र और राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे आयुक्तों के लिए यही सेवा शर्तें हैं। इसमें अगर कोई आयुक्त प्रमोशन पाकर मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाता है तो भी उनका कुल कार्यकाल (चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त दोनों का मिलाकर) 5 साल का ही होगा।

एक्ट में बदलाव के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे आयुक्तों के कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार के हाथ में चला गया है। इसका मतलब है कि सूचना आयुक्त को 5 साल के कार्यकाल से पहले भी हटाया जा सकता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं चलने वाले सूचना आयुक्तों के पर कतर सकती है।

एक्ट में बदलाव के बाद मुख्य सूचना आयुक्त से लेकर सूचना आयुक्तों की नियुक्ति से लेकर उन्हें हटाने का अधिकार भी केंद्र सरकार के पास चला गया है। ओरिजनल बिल में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त को हटाने का अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास था। राष्ट्रपति भी उन्हें तभी हटा सकते थे, जब सुप्रीम कोर्ट की जांच में कोई आयुक्त दोषी पाया जाता हो। राज्यों के मामले में मुख्य सूचना आयुक्त के साथ दूसरे आयुक्तों को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास था। अब ये सब बदल गया है।

16(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा।

16(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा:

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा।

16(5) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा के लिए देय और अन्य नियम और शर्तें, जैसे कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा सकती हैं: बशर्ते कि वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की सेवा उनकी नियुक्ति के बाद उनके नुकसान के लिए विविध नहीं होगी:

बशर्ते कि सूचना के अधिकार (संशोधन) अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए जाएं। इस

अधिनियम के प्रावधानों और उसके द्वारा बनाए गए नियमों के शासित होना जारी रहेगा, जैसे कि सूचना का अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 लागू नहीं हुआ था। " (डाला गया, प्रतिस्थापित किया गया; और राजपत्र अधिसूचना संख्या 43 द्वारा संशोधित; नई दिल्ली, गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 / श्रवण 10, 1941 (शक), सूचना के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 नंबर 24। (9 अगस्त 2019। (सम्मिलित, प्रतिस्थापित; और गजट अधिसूचना संख्या 43, नई दिल्ली, गुरुवार, 1 अगस्त, 2019 / श्रावण 10, 1941 (शक), सूचना के अधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2019 सं 24 ऑफ 2019 द्वारा संशोधित। 24 ऑफ 2019 (1 अगस्त, 2019।)

टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट के जज को ढाई लाख महीना, 34 हजार महीने के भत्ते के साथ दूसरी सुविधाएं जैसे— किरायामुक्त आवास और हर महीने 200 लीटर का ईंधन खर्च मिलता है। सूचना के अधिकार कानून में बदलाव के बाद सरकार नए सिरे से वेतन का निर्धारण कर सकती है. सरकार सूचना आयुक्तों का वेतन कम भी कर सकती है. लेकिन मौजूदा सूचना आयुक्तों का वेतन वही रहेगा, जो अभी उन्हें मिल रहा है।

16(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएँ।

17. राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को हटाया जाना—(1) उप-धारा (3) के प्रावधानों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उनके पद से केवल निम्नलिखित के आदेश से ही हटाया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के बाद साबित कदाचार या अक्षमता के आधार पर राज्यपाल ने, राज्यपाल द्वारा इसे दिए गए एक संदर्भ पर, जांच पर रिपोर्ट किया है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो, इस तरह के मामले में होना चाहिए। जमीन को हटाया जाए।

17(2) राज्यपाल पद से निलंबित कर सकता है, और यदि आवश्यक समझे तो जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी रोक सकता है, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या एक राज्य सूचना आयुक्त जिसके संबंध में उप-धारा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को एक संदर्भ दिया गया है (1) जब तक राज्यपाल इस तरह के संदर्भ पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आदेश पारित नहीं करता है।

टिप्पणी: दो राज्य सूचना आयुक्तों—श्री. महाराष्ट्र में रामानंद तिवारी और केरल में श्री के नटराजन को निलंबित कर दिया गया है। श्री दीपक देशपांडे, महाराष्ट्र आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें निलंबित

किया जा रहा है। कर्नाटक में डॉ एच एन कृष्णा ने भी इस्तीफा दे दिया जब राज्य सीआईडी ने उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी।

17(3) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्यपाल आदेश द्वारा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटा सकता है, यदि कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, जैसा भी मामला हो, –

(a) एक दिवालिया घोषित किया गया है; या

(b) एक ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता शामिल है;

या

(c) अपने पद के कार्यकाल के दौरान अपने कार्यालय के कर्तव्यों के बाहर किसी भी भुगतान रोजगार में संलग्न है; या

(d) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शरीर की दुर्बलता के कारण पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है; या (e) ने ऐसा वित्तीय या अन्य हित अर्जित किया है जिससे राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है।

17(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त किसी भी तरह से, संबंधित या राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से किए गए किसी अनुबंध या समझौते में रुचि रखते हैं या किसी भी तरह से उसके लाभ या किसी लाभ में भाग लेते हैं या एक सदस्य के रूप में और एक निगमित कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ आम तौर पर उससे उत्पन्न होने वाली परिलब्धियां, उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए, दुर्यवहार का दोषी माना जाएगा।

अध्याय V

सूचना आयोगों, अपील और दंड की शक्तियां और कार्य

18. सूचना आयोगों की शक्तियाँ और कार्य—(1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी शिकायत को प्राप्त करे और उसकी जांच करे। किसी भी व्यक्ति,—

(a) जो एक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है, या तो इस अधिनियम के अंतर्गत ऐसा कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है, या केंद्रीय सहायक सार्वजनिक सूचना के कारण अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ने इस अधिनियम के अंतर्गत सूचना या अपील के लिए अपने आवेदन को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या उप में निर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी को अग्रेषित करने के लिए स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। धारा 19 की धारा (1) या केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो;

(b) जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत अनुरोध की गई किसी भी जानकारी तक पहुंच से इनकार कर दिया गया है;

(c) जिसे इस अधिनियम के अंतर्गत निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सूचना या सूचना तक पहुंच के अनुरोध का जवाब नहीं दिया गया है;

(d) जिसे शुल्क की राशि का भुगतान करने की आवश्यकता है जिसे वह अनुचित मानता है;

(e) जो मानता है कि उसे इस अधिनियम के अंतर्गत अधूरी, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई है; तथा

(f) इस अधिनियम के अंतर्गत अभिलेखों तक पहुंच का अनुरोध करने या प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य मामले के संबंध में।

टिप्पणी: धारा 18(1) निम्नलिखित परिस्थितियों में सूचना आयोग को शिकायत करने का प्रावधान करती है:

a) जब कोई पीआईओ या एपीआईओ नियुक्त नहीं होने के कारण कोई अपीलकर्ता अपना आरटीआई आवेदन जमा करने में असमर्थ है, या वे आरटीआई आवेदन लेने से इनकार करते हैं।

b) जब पीआईओ द्वारा सूचना से इनकार किया जाता है।

c) जब प्रदान की गई समय सीमा में जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

d) जहां नियमों में निर्दिष्ट शुल्क से अधिक शुल्क लिया जा रहा है।

e) जब किसी अपीलकर्ता को अधूरी, भ्रामक या झूठी जानकारी दी गई हो।

f) कोई अन्य मामला जैसे धारा 4 का अनुपालन न करना।

b) और **c)** के लिए पहली अपील के लिए एक प्रावधान भी धारा 19 के अनुसार है। ये मामले एस के अंतर्गत पहली अपील पर लागू होते हैं। 19 क्योंकि यह गैर-निर्णयों और पीआईओ के किसी भी निर्णय दोनों पर लागू होता है। पहली अपील किए जाने तक अधिकांश आयोग इन मामलों में अपील पर विचार नहीं करते हैं। इसलिए, अपीलकर्ताओं के लिए यह एक अच्छा अभ्यास होगा कि वे **a)**, **d)**, **e)** और **f)** के अंतर्गत आने वाले मामलों के लिए आयोग को शिकायत दर्ज करें और **b)** और **c)** के लिए पहली अपील दायर करें।

18(2) जहां केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, संतुष्ट है कि मामले की जांच करने के लिए उचित आधार हैं, वह उसके संबंध में जांच शुरू कर सकता है।

18(3) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, इस धारा के अंतर्गत किसी भी मामले की जांच करते समय, नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 (1908 का 5), के अंतर्गत एक मुकदमे की सुनवाई करते समय एक सिविल कोर्ट में निहित अधिकार होंगे। निम्नलिखित मामलों के संबंध में, अर्थात्: –

(a) व्यक्तियों की उपस्थिति को बुलाना और लागू करना और उन्हें शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने और दस्तावेजों या चीजों को पेश करने के लिए मजबूर करना;

(b) दस्तावेजों की खोज और निरीक्षण की आवश्यकता;

(c) हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त करना;

(d) किसी अदालत या कार्यालय से किसी सार्वजनिक रिकॉर्ड या उसकी प्रतियों की मांग करना;

(e) गवाहों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना; तथा

(f) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जा सकता है।

टिप्पणी: यह आयोग को पर्याप्त शक्तियां देने वाला एक मजबूत प्रावधान है, क्योंकि यह किसी मामले की जांच करते समय इसे एक दीवानी अदालत की शक्तियां देता है। आयोग किसी व्यक्ति को अपने सामने आने के लिए बुला सकता है और शपथ पर सबूत मांग सकता है, या कुछ दस्तावेज पेश कर सकता है। इसका प्रभावी ढंग से उपयोग तब भी किया जा सकता है जब किसी आयोग को

उसके आदेशों का पालन न करने का सामना करना पड़ता है। जब भी उसके आदेश का पालन न करने के लिए कोई शिकायत प्राप्त होती है तो वह जांच शुरू करने के बाद अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकता है:

(i) सूचना के साथ पीआईओ को समन करना और उसे अपने कब्जे में लेना।

(ii) यह अपीलकर्ता को दिया जा सकता है।

(iii) सूचना प्रदान नहीं करने के लिए पीआईओ को दंडित करना।

(iv) यदि पीआईओ समन का पालन नहीं करता है, तो उसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है।

18(4) संसद या राज्य विधानमंडल के किसी अन्य अधिनियम, जैसा भी मामला हो, में असंगत किसी भी बात के होते हुए भी, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी भी शिकायत की जांच के दौरान हो सकता है।, किसी भी रिकॉर्ड की जांच करें जिस पर यह अधिनियम लागू होता है जो सार्वजनिक प्राधिकरण के नियंत्रण में है, और किसी भी आधार पर ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रोका जा सकता है।

टिप्पणी: यह स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है कि आयोग को किसी भी रिकॉर्ड से इनकार नहीं किया जा सकता है।

19. अपील—(1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 7 की उप-धारा (3) के उप-धारा (1) या खंड (ए) में निर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं करता है या किसी निर्णय से व्यथित है केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, ऐसी अवधि की समाप्ति से तीस दिनों के भीतर या इस तरह के निर्णय की प्राप्ति से ऐसे अधिकारी को अपील कर सकता है जो केंद्रीय से रैंक में वरिष्ठ हो। लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक लोक प्राधिकरण में:

बशर्ते कि ऐसा अधिकारी तीस दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

टिप्पणी: जब पीआईओ 30 दिनों की समयावधि के भीतर जवाब नहीं देता है, या आवेदक किसी ऐसे निर्णय से व्यथित होता है जो अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत प्रतीत होता है, तो 30 दिनों के भीतर एक वरिष्ठ अधिकारी को पहली अपील दायर की जा सकती है। पीआईओ जिसे प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है। यदि 30 दिनों में पीआईओ से कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो इसे इनकार माना जाता है। इसलिए, पहली अपील मना करने के

30 दिनों के भीतर की जानी चाहिए, जिसका अर्थ है कि आवेदन के 60 दिनों के भीतर। यदि, हालांकि, पहली अपील दायर नहीं की जाती है, तो सूचना आयोग के साथ दूसरी अपील में इस मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। प्रथम अपील में प्रथम अपील दायर करने के आधारों का उल्लेख होना चाहिए। आम तौर पर, ये हो सकते हैं:

a) पीआईओ से कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं करना।

b) मांगी गई पूरी जानकारी प्राप्त नहीं करना।

c) सूचना से इनकार करना जो कानून के अनुरूप नहीं है।

d) कोई अन्य स्थिति जहां अनुरोधकर्ता को लगता है कि पीआईओ का निर्णय कानूनी आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं था।

19(2) जहां केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा तीसरे पक्ष की जानकारी का खुलासा करने के लिए धारा 11 के अंतर्गत किए गए आदेश के खिलाफ अपील की जाती है, संबंधित तीसरे पक्ष द्वारा अपील की जाएगी आदेश की तारीख से तीस दिनों के भीतर।

टिप्पणी: यदि किसी तीसरे पक्ष ने धारा 11 के अंतर्गत पूछे जाने पर सूचना जारी करने पर आपत्ति जताई है और पीआईओ तीसरे पक्ष को सूचित करता है कि वह सूचना जारी करेगा क्योंकि आपत्ति सूचना के अधिकार अधिनियम में छूट के अंतर्गत नहीं आती है, तो तीसरा पक्ष कर सकता है 30 दिनों के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दायर करें।

19(3) उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्णय के खिलाफ दूसरी अपील उस तारीख से नब्बे दिनों के भीतर होगी, जिस दिन केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग के पास निर्णय होना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त हुआ था:

बशर्ते कि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, नब्बे दिनों की अवधि की समाप्ति के बाद अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट है कि अपीलकर्ता को समय पर अपील दायर करने से पर्याप्त कारणों से रोका गया था।

टिप्पणी: यदि अपीलकर्ता प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, तो उसे असंतोषजनक निर्णय के 90 दिनों के भीतर सूचना आयोग को दूसरी अपील दायर करनी चाहिए। हालांकि, यदि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी 30 दिनों की अवधि के भीतर कोई आदेश पारित नहीं करता है, तो यह 'डीमड इनकार' है, और अपीलकर्ता को 90 दिनों के भीतर, यानी पहली अपील दायर करने के 120 दिनों के भीतर दूसरी अपील दायर करनी चाहिए।

19(4) यदि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, का निर्णय, जिसके खिलाफ अपील की जाती है, किसी तीसरे पक्ष,

केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, की जानकारी से संबंधित है। हो सकता है, उस तीसरे पक्ष को सुनवाई का उचित अवसर देगा।

टिप्पणी: यदि कोई अपीलकर्ता दूसरी अपील में आयोग के समक्ष तीसरे पक्ष की जानकारी जारी करने के पीआईओ के निष्कर्ष का विरोध कर रहा है, तो आयोग को तीसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देना चाहिए ताकि तीसरा पक्ष यह स्थापित करने के लिए अपनी आपत्तियां उठा सके कि सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम की छूट के अंतर्गत आता है।

19(5) किसी भी अपील की कार्यवाही में, यह साबित करने का दायित्व कि अनुरोध को अस्वीकार करना उचित था, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, पर होगा, जिसने अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

टिप्पणी: अधिनियम एक नागरिक के मौलिक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए है। इसलिए, अपील की कार्यवाही के दौरान लोक प्राधिकारी द्वारा धारित सूचना प्रदान करने से किसी भी इनकार को पीआईओ द्वारा कारणों के साथ उचित ठहराया जाना चाहिए। अपीलकर्ता के लिए यह एक अच्छा अभ्यास है कि अपीलकर्ता को व्यथित क्यों किया गया है, यह स्पष्ट करते हुए दायर अपील में उचित कारण बताएं। आमतौर पर, प्रथम अपीलीय प्राधिकारी और आयोग द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई दी जाती है। अपीलकर्ता चाहे तो इन सुनवाई में उपस्थित होने का विकल्प चुन सकती है। हालांकि, अपीलों को अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष तर्कों के गुण-दोष के आधार पर, मौखिक रूप से या अपील में लिखित रूप से तय किया जाना है, और इस तरह की सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता की उपस्थिति या अनुपस्थिति का परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, यदि निर्णायक निकाय यदि न्यायनिर्णायक निकाय निष्पक्ष रूप से अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है।

19(6) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अंतर्गत एक अपील का निपटारा अपील की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर किया जाएगा जो कि तारीख से कुल पैंतालीस दिनों से अधिक न हो। लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए इसे दाखिल करना, जैसा भी मामला हो।

टिप्पणी: प्रथम अपील का आदेश अपील प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर पारित किया जाना है। हालांकि प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अपीलकर्ता को लिखित में कारण बताते हुए इस अवधि को 45 दिनों तक बढ़ा सकते हैं। दुर्भाग्य से, सूचना आयोग के पास दूसरी अपीलों के निपटारे के लिए कोई निर्दिष्ट समय नहीं है।

मेक्सिको को 60 दिनों के भीतर मामलों को निपटाने के लिए सूचना आयोगों की आवश्यकता है। भारत में आरटीआई बिल के पहले मसौदे में भी प्रावधान था कि सूचना आयोगों को 45 दिनों के भीतर फैसला करना होगा।

19(7) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, का निर्णय बाध्यकारी होगा। (8) अपने निर्णय में, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, के पास यह शक्ति है कि—

टिप्पणी: आयोगों के निर्णय केवल अनुशासनात्मक नहीं हैं बल्कि कानून के अनुसार पालन किए जाने हैं और वैधानिक बल प्राप्त हैं।

19(8) अपने निर्णय में, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, के पास यह शक्ति है कि—

(a) सार्वजनिक प्राधिकरण को इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कोई भी कदम उठाने की आवश्यकता है, जिसमें शामिल हैं—

(i) सूचना तक पहुंच प्रदान करके, यदि ऐसा अनुरोध किया गया है, एक विशेष रूप में;

टिप्पणी: आयोग के पास किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण को किसी विशेष रूप में जानकारी प्रदान करने के लिए कदम उठाने के लिए निर्देश देने की वैधानिक शक्ति है, जब एक पीआईओ ने यह दावा करते हुए एक अनुचित स्थिति ली है कि यह अपने संसाधनों का अनुपातहीन रूप से उपयोग करेगा। यह प्रावधान आयोग को 'अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन को सुरक्षित' करने की शक्ति देता है जिसमें धारा 4 का गैर-कार्यान्वयन शामिल हो सकता है। आयोग के पास रिकॉर्ड के रखरखाव को इस तरह से निर्देशित करने की शक्ति भी है जिससे पारदर्शिता की आवश्यकता सुनिश्चित हो सके।

(ii) केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, की नियुक्ति करके;

(iii) कुछ जानकारी या सूचना की श्रेणियों को प्रकाशित करके;

टिप्पणी: यह यह भी निर्देश दे सकता है कि एक पीआईओ को नियुक्त किया जाना चाहिए या कुछ श्रेणियों की जानकारी को स्वतः प्रकाशित किया जाना चाहिए। आयोग लोक प्राधिकारियों को वेबसाइट या डिस्प्ले बोर्ड पर किसी विशेष रूप में विशिष्ट जानकारी डालने के आदेश भी जारी कर सकता है।

(iv) अभिलेखों के रखरखाव, प्रबंधन और विनाश के संबंध में अपनी प्रथाओं में आवश्यक परिवर्तन करके;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार पर प्रशिक्षण के प्रावधान को बढ़ाकर;

टिप्पणी: आयोग एक सार्वजनिक प्राधिकरण को उन प्रथाओं का पालन करने के लिए निर्देश दे सकता है जिससे अभिलेखों के रखरखाव में सुधार होगा।

यह निर्देश भी दे सकता है कि अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम को लागू करने के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए।

(vi) इसे धारा 4 की उपधारा (1) के खंड (बी) के अनुपालन में एक वार्षिक रिपोर्ट प्रदान करके;

टिप्पणी: आयोग को दी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति एक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त करना है कि सार्वजनिक प्राधिकरण धारा 4(1)(b) के अंतर्गत आवश्यक सूचना को प्रकाशित करने के अपने दायित्व को पूरा कर रहा है।

(b) किसी भी नुकसान या अन्य नुकसान के लिए शिकायतकर्ता को मुआवजा देने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरण की आवश्यकता होती है;

टिप्पणी इनके अलावा आयोग किसी सार्वजनिक प्राधिकरण को सूचना का प्रावधान न करने के कारण हुए किसी भी नुकसान या नुकसान के लिए अपीलकर्ता को क्षतिपूर्ति करने का निर्देश दे सकता है। आयोग को निश्चित रूप से शिकायतकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश देना चाहिए जहां उसके आदेशों का पालन नहीं किया गया है या आरटीआई अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है।

(c) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदान किए गए किसी भी दंड को लागू करें;

टिप्पणी कानून को लागू करने की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति धारा 20 के प्रावधान के अनुसार चूककर्ता पीआईओ को दंडित करने की शक्ति है।

(d) आवेदन को अस्वीकार करें।

टिप्पणी आयोग आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, अगर यह निष्कर्ष निकलता है कि मांगी गई जानकारी सूचना नहीं है या निकाय एक सार्वजनिक प्राधिकरण नहीं है या जानकारी धारा 8(1) की छूटों के अंतर्गत आती है, तो कोई बड़ा जनहित नहीं है। यह एक अपील को भी खारिज कर सकता है यदि उसे पता चलता है कि पीआईओ द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर जानकारी प्रदान की गई है।

19(9) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकरण को अपील के किसी भी अधिकार सहित अपने निर्णय की सूचना देगा।

19(10) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, अपील का निर्णय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है।

20. शास्ति—(1) जहां केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, किसी शिकायत या अपील पर निर्णय लेते समय यह राय है कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, बिना किसी उचित कारण के, सूचना के लिए एक आवेदन प्राप्त करने से

इनकार कर दिया है या धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर जानकारी प्रस्तुत नहीं की है या जानकारी के अनुरोध को जानबूझकर अस्वीकार कर दिया है या जानबूझकर दिया गया है गलत, अधूरी या भ्रामक जानकारी या नष्ट की गई जानकारी जो अनुरोध का विषय थी या सूचना प्रस्तुत करने में किसी भी तरह से बाधित थी, आवेदन प्राप्त होने या जानकारी प्रस्तुत किए जाने तक प्रत्येक दिन दो सौ पचास रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा,

बशर्ते कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को उस पर कोई जुर्माना लगाने से पहले सुनवाई का उचित अवसर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त और लगन से कार्य किया, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, पर होगा।

टिप्पणी: यह प्रावधान अधिनियम को शक्ति प्रदान करता है, और आरटीआई अधिनियम के कार्यान्वयन और प्रभावशीलता के लिए जिम्मेदार है। यदि पीआईओ बिना उचित कारण के:

- 1) सूचना का अधिकार आवेदन लेने से इंकार कर दिया
- 2) अधिनियम द्वारा आवश्यक अवधि में जानकारी प्रदान नहीं की
- 3) दुर्भावनापूर्ण इरादे से जानकारी देने से इनकार किया
- 4) जानबूझकर झूठी, आंशिक या भ्रामक जानकारी दी
- 5) मांगी गई जानकारी को नष्ट कर दिया, या उसे प्रदान करने में बाधा डाली

आयोग को रुपये का जुर्माना लगाना चाहिए। 250 प्रति दिन की देरी, अधिकतम पच्चीस हजार रुपये के अधीन। दंड लगाने का अधिकार केवल आयोग के पास है। यह पीआईओ को अपने कार्यों का बचाव करने के लिए सुनवाई का अवसर देने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद किया जाना चाहिए कि उनके कार्यों को उचित ठहराने का कोई उचित कारण नहीं था। यह साबित करने की जिम्मेदारी पीआईओ पर है कि उसने उचित और जिम्मेदार तरीके से काम किया था।

यह एक अनूठा प्रावधान है जो पीआईओ/डीम्ड पीआईओ को सीधे उनके वेतन से दंडित किए जाने की धमकी के साथ सीधे जवाबदेह बनाने के लिए जिम्मेदार है। तथ्य यह है कि एक नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने के लिए एक लोक सेवक अपने वेतन से दंड का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, व्यक्तिगत नागरिक की महिमा को स्थापित करता है।

शायद हमारे कानूनों में कोई अन्य प्रावधान नहीं है जो सीधे और स्पष्ट रूप से एक व्यक्तिगत लोक सेवक पर जिम्मेदारी तय करता है। तथ्य यह है कि किसी व्यक्ति के अधिकारों की अवहेलना के लिए व्यक्तिगत दंड लगाया जा सकता है, इसने लोक सेवकों को व्यक्तिगत नागरिक का सम्मान करने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रावधान के अंतर्गत हजारों पीआईओ को दंडित किया गया है।

20(2) जहां केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, किसी शिकायत या अपील पर निर्णय लेते समय यह राय है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, बिना किसी उचित कारण के और लगातार, सूचना के लिए एक आवेदन प्राप्त करने में विफल रहा है या धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के भीतर जानकारी प्रस्तुत नहीं की है या जानकारी के अनुरोध को दुर्भावनापूर्ण रूप से अस्वीकार कर दिया है या जानबूझकर गलत, अधूरा दिया है या भ्रामक जानकारी या नष्ट की गई जानकारी जो अनुरोध का विषय थी या सूचना प्रस्तुत करने में किसी भी तरह से बाधित थी, यह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करेगा। उस पर लागू सेवा नियम।

टिप्पणी: यदि किसी पीआईओ द्वारा लगातार चूक होती है, तो आयोग के पास चूककर्ता अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की शक्ति है। हालाँकि, चूंकि यह एक अनुशासनात्मक शक्ति है, इसलिए कार्रवाई करना सार्वजनिक प्राधिकरण पर निर्भर है।

अध्याय VI

विविध

21. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण—इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी।

22. अधिनियम का अधिभावी प्रभाव होना— इस अधिनियम के प्रावधान आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 (1923 का 19) में निहित किसी भी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे, और कोई अन्य कानून जो उस समय लागू हो या किसी भी उपकरण में हो। इस अधिनियम के अलावा किसी अन्य कानून के आधार पर प्रभाव।

टिप्पणी: यह प्रावधान स्पष्ट रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए संसद की मंशा की घोषणा करता है कि यह कानून आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम सहित पहले के सभी कानूनों को खत्म कर देगा। यह भी स्पष्ट करता है कि यदि इस अधिनियम के प्रावधानों और पहले के अधिनियमों के बीच कोई विरोध है, तो इस अधिनियम के प्रावधानों को वरीयता दी जाएगी। कानून के शब्दों में, जहां आरटीआई अधिनियम के साथ सूचना प्रस्तुत करने के संबंध में कानून में कोई विसंगति है, ऐसे कानून को सूचना का अधिकार अधिनियम द्वारा अधिक्रमित किया जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 में एक गैर-बाधा खंड को सम्मिलित करना, सूचना से इनकार करने के लिए सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपनाए गए अन्य कानूनों और नियमों की जटिल व्याख्याओं से नागरिकों के सूचना के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए संसद का एक सचेत विकल्प था। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 22 की उपस्थिति नागरिकों के साथ-साथ पीआईओ दोनों के लिए सूचना के अधिकार को लागू करने की प्रक्रिया को सरल बनाती है; नागरिक सूचना के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके सूचना के अपने मौलिक अधिकार को लागू करने की मांग कर सकते हैं।

उपरोक्त को देखते हुए, तीन परिदृश्यों की परिकल्पना की जा सकती है:

1. एक पूर्व कानून/नियम जिसके प्रावधान सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित हैं, आरटीआई अधिनियम के अनुरूप हैं: चूंकि कानून/नियम और आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के बीच कोई असंगति नहीं है, इसलिए नागरिक यह चुनने के लिए स्वतंत्र है कि वह मांग करेगी या नहीं उक्त कानून/नियम के अनुसार या सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना। यदि पीआईओ को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत सूचना के लिए अनुरोध प्राप्त हुआ है, तो सूचना आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नागरिक को प्रदान की जाएगी और इसका कोई भी इनकार केवल आरटीआई अधिनियम की धारा 8 और 9 के अनुसार होना चाहिए। केवल; या

2. पहले के कानून/नियम के प्रावधान आरटीआई अधिनियम के साथ असंगत हैं: जहां सूचना तक पहुंच के मामले में कानून/नियम और आरटीआई अधिनियम के बीच असंगतता है, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 22 उक्त कानून/नियम और पीआईओ को केवल आरटीआई आवेदन के लिए आरटीआई अधिनियम के अनुसार सूचना प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी।

3. जहां एक और कानून आरटीआई कानून में अपवाद पर इस तरह से विस्तार करता है जो आरटीआई कानून के साथ असंगत नहीं है बल्कि अधिक विस्तृत है। इस प्रकार, कई देशों में प्राइवसी (स्वकीयता) या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हैं जो ऐसा करते हैं। साथ ही, यह स्पष्ट है कि कोई भी कार्यपालक सूचना का अधिकार अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध नहीं जा सकता।

यदि कुछ सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियम हैं या सूचना प्रदान करने के लिए विशिष्ट कानून हैं, तो यह नागरिक को निर्धारित करना है कि वह सूचना प्राप्त करने के लिए कौन सा मार्ग पसंद करेगी। सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत नागरिकों को उपलब्ध सूचना के अधिकार से किसी अन्य कानून या नियम के आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है।

यह तय करना नागरिक का विशेषाधिकार है कि वह किस तंत्र के अंतर्गत यानी सार्वजनिक प्राधिकरण या आरटीआई अधिनियम द्वारा निर्धारित विधि के अंतर्गत जानकारी प्राप्त करना चाहेगी। इस प्रावधान को देखते हुए एक जन सूचना अधिकारी किसी अन्य कानून, नियम या नियमावली के आधार पर किसी नागरिक द्वारा आरटीआई में मांगी गई जानकारी से इनकार नहीं कर सकता है।

23. न्यायालयों की अधिकारिता का निषेध—कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में किसी वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा और इस अधिनियम के अधीन अपील के माध्यम से अन्यथा ऐसे किसी आदेश को प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

यह स्पष्ट रूप से किसी भी अदालत को आयोग द्वारा जारी सूचना के अधिकार के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करने से रोकता है। आरटीआई में अंतिम अपीलीय प्राधिकारी आयोग है। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालयों को अपीलीय क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से रोक दिया गया है। हालांकि उच्च न्यायालय के पास रिट क्षेत्राधिकार है। चूंकि संसद ने विशेष रूप से अधिनियम के अलावा अपीलों पर रोक लगा दी है, यह एक अच्छा अभ्यास होगा यदि उच्च न्यायालय यह उचित ठहराते हैं कि आयोग के आदेश को चुनौती उसके रिट अधिकार क्षेत्र में कैसे आती है। रिट पांच प्रकार की होती हैं और सूचना आयोग के आदेशों के खिलाफ केवल एक ही रिट लागू की जा सकती है, वह है सर्टिफिकेट ऑफ रिट। हरि विष्णु कामथ बनाम अहमद इशाक मामले में, सर्वोच्च न्यायालय की ग्यारह सदस्यीय पीठ ने निम्नलिखित चार प्रस्ताव रखे:

(1) अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को ठीक करने के लिए प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा;

(2) जब कोर्ट या ट्रिब्यूनल अपने निस्संदेह अधिकार क्षेत्र के प्रयोग में अवैध रूप से कार्य करता है, तब भी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा, जब वह पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिए बिना निर्णय लेता है, या प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है;

(3) न्यायालय पर्यवेक्षी न कि अपीलीय क्षेत्राधिकार के प्रयोग में प्रमाणिक कृत्यों की रिट जारी करता है। इसका एक परिणाम यह है कि न्यायालय अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण द्वारा प्राप्त तथ्यों के निष्कर्षों की समीक्षा नहीं करेगा, भले ही वे गलत हों।

(4) निर्णय या निर्धारण में त्रुटि स्वयं भी प्रमाण पत्र के लिए उत्तरदायी हो सकती है यदि यह कार्यवाही के चेहरे पर स्पष्ट त्रुटि है, उदाहरण के लिए, जब यह स्पष्ट अज्ञानता या कानून के प्रावधानों की अवहेलना पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, यह एक पेटेंट त्रुटि है जिसे सर्टिओरीरी द्वारा ठीक किया जा सकता है लेकिन केवल गलत निर्णय नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत क्रमशः सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों द्वारा रिट क्षेत्राधिकार लिया जाता है।

मारिया एलेना पेरेज़ जेन (पूर्व सूचना आयुक्त) व्यक्तिगत संचार 25 अगस्त 2016 आम तौर पर एक रिट नागरिकों के लिए राज्य द्वारा उनके मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक उपाय है। मेक्सिको में, अदालतें राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामले को छोड़कर, केवल आरटीआई मामलों में आवेदकों की रिटों पर विचार करती हैं, सार्वजनिक प्राधिकरणों से नहीं।

दुर्भाग्य से सार्वजनिक प्राधिकरणों की अदालतों द्वारा कई रिटों पर विचार किया जाता है जो स्पष्ट रूप से अपील हैं। चूंकि संसद ने आयोगों से परे सूचना के अधिकार में अपील के लिए प्रावधान नहीं किया है, जब कोई अदालत आयोग के आदेश को चुनौती देती है तो उसे यह बताना चाहिए कि मामला उसके रिट अधिकार क्षेत्र में कैसे आता है। इस मौके पर एक और नजारा देखने को मिलता है।

सत्यानंद मिश्रा, (व्यक्तिगत संचार, 20 जून, 2016) का विचार है कि सूचना आयोग (आयोगों) के आदेश पर उच्च न्यायालयों द्वारा दी गई रोक और लंबे समय तक मामलों का फैसला नहीं करना भी इस नागरिकों का सूचना का अधिकार के लिए गंभीर बाधा साबित हो रहा है।

24. कुछ संगठनों में अधिनियम का लागू नहीं होना—(1) इस अधिनियम में निहित कुछ भी दूसरी अनुसूची में निर्दिष्ट खुफिया और सुरक्षा संगठनों पर लागू नहीं होगा, जो केंद्र सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार

को दी गई कोई भी जानकारी है। : बशर्ते कि भ्रष्टाचार के आरोपों और मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित जानकारी को इस उप-धारा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा:

बशर्ते आगे कि मांगी गई सूचना के मामले में मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में, सूचना केवल केंद्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद प्रदान की जाएगी, और धारा 7 में निहित कुछ भी होने के बावजूद, ऐसी जानकारी प्रदान की जाएगी अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन।

टिप्पणी: यह प्रावधान दूसरी अनुसूची में नामित खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को सूचना के अधिकार में सूचना प्रदान करने से छूट देता है। हालांकि अगर भ्रष्टाचार का कोई आरोप है तो जानकारी का खुलासा किया जा सकता है। यदि मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप है तो केवल आयोग ही ऐसी सूचना को जारी करने के लिए अधिकृत कर सकता है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि एक एजेंसी को छूट दी जानी चाहिए, यह एक खुफिया और सुरक्षा एजेंसी होनी चाहिए और दूसरी अनुसूची में इसका उल्लेख किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए नागरिकों को आरटीआई का उपयोग करने के लिए संसद का उद्देश्य इस तथ्य से स्पष्ट है कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों को भी भ्रष्टाचार के आरोप के मामले में जानकारी प्रदान करनी होती है।

24(2) केंद्र सरकार, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य खुफिया या सुरक्षा संगठन को शामिल करके या उसमें पहले से निर्दिष्ट किसी भी संगठन को छोड़कर अनुसूची में संशोधन कर सकती है और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर, ऐसा संगठन जैसा भी मामला हो, अनुसूची में शामिल या हटा दिया गया समझा जाएगा।

टिप्पणी: यह प्रावधान सरकार को अनुसूची में अधिक खुफिया एजेंसियों को कम करने या जोड़ने के लिए अधिकृत करता है। दुर्भाग्य से, सूची केवल बढ़ गई है। सरकारों द्वारा इस सूची में उन एजेंसियों को जोड़कर इस प्रावधान का कुछ दुरुपयोग किया गया है जो 'खुफिया या सुरक्षा' एजेंसियों के रूप में योग्य नहीं हैं।

उदाहरण के लिए, इस सूची में केंद्रीय जांच ब्यूरो को जोड़ने का एक ऐसा अवैध जोड़ रहा है, हालांकि यह न तो एक खुफिया एजेंसी है और न ही एक सुरक्षा संगठन है। (सीआईसी/एसएम/सी/2011/000129/एसजी/13251)

ऐसी एजेंसियों को जोड़ना कानून के अनुरूप नहीं है।

24(3) उप-धारा (2) के अंतर्गत जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

24(4) इस अधिनियम में निहित कुछ भी ऐसे खुफिया और सुरक्षा संगठन पर लागू नहीं होगा जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन हैं, जैसा कि सरकार, समय-समय पर, आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है:

बशर्ते कि संबंधित जानकारी भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों को इस उप-धारा के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाएगा:

बशर्ते आगे कि मांगी गई सूचना के मामले में मानव अधिकारों के उल्लंघन के आरोपों के संबंध में, सूचना केवल राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के बाद प्रदान की जाएगी और धारा 7 में निहित किसी भी चीज के होते हुए भी ऐसी जानकारी प्रदान की जाएगी अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से पैंतालीस दिन।

24(5) उप-धारा (4) के अंतर्गत जारी प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधानमंडल के समक्ष रखी जाएगी।

टिप्पणी: धारा 24(4) राज्यों में 'खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों' को छूट देने की समान शक्ति प्रदान करती है। कुछ राज्यों ने उन एजेंसियों को भी छूट दी है जो 'खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों' के रूप में योग्य नहीं हैं जो कानून में खराब है।

करिरा सीजे, व्यक्तिगत संचार, ईमेल 13 सितंबर, 2016 कुछ उदाहरण:

1. केरल ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (VACB) को छूट दी है
2. यूपी सरकार ने लोकायुक्त को छूट दी है
3. तमिलनाडु ने सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय को छूट दी है
4. ओडिशा ने सतर्कता विभाग को छूट दी है

25. निगरानी और रिपोर्टिंग.—(1) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक वर्ष के अंत के बाद जितनी जल्दी हो सके, इस अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उस वर्ष के दौरान और उसकी एक प्रति उपयुक्त सरकार को अग्रेषित करें।

25(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को इस धारा के अंतर्गत रिपोर्ट तैयार करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करेगा और प्रदान करेगा। और इस खंड के प्रयोजनों के लिए उस जानकारी को प्रस्तुत करने और रिकॉर्ड रखने से संबंधित आवश्यकताओं का अनुपालन करें।

25(3) प्रत्येक रिपोर्ट उस वर्ष के संबंध में बताएगी जिससे रिपोर्ट संबंधित है, —

(a) प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण को किए गए अनुरोधों की संख्या;

(b) उन निर्णयों की संख्या जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसार दस्तावेजों तक पहुंच के हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के प्रावधान जिसके अंतर्गत ये निर्णय किए गए थे और इस तरह के प्रावधानों को कितनी बार लागू किया गया था;

(c) समीक्षा के लिए केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को संदर्भित अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के परिणाम;

(d) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी भी अधिकारी के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई का विवरण;

(e) इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा एकत्र किए गए शुल्क की राशि;

(f) कोई भी तथ्य जो इस अधिनियम की भावना और मंशा को प्रशासित करने और लागू करने के लिए सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा किए गए प्रयास को दर्शाता है;

(g) इस अधिनियम या अन्य कानून या सामान्य कानून के विकास, सुधार, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशेष सार्वजनिक प्राधिकरणों के संबंध में सिफारिशों सहित सुधार के लिए सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार के संचालन के लिए प्रासंगिक कोई अन्य मामला।

25(4) केंद्र सरकार या राज्य सरकार, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक वर्ष के अंत के बाद जितनी जल्दी हो सके, केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति, जैसा भी मामला हो, का कारण हो सकता है। उप-धारा (1) में निर्दिष्ट किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जा सकता है, जहां दो सदन हैं, और जहां एक सदन है उस सदन के समक्ष राज्य विधानमंडल।

(5) यदि केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, जैसा भी मामला हो, को यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के अभ्यास के संबंध में एक सार्वजनिक प्राधिकरण का अभ्यास इसके प्रावधानों या भावना के अनुरूप नहीं है अधिनियम, यह प्राधिकरण को ऐसी अनुरूपता को बढ़ावा देने के लिए उठाए जाने वाले कदमों को निर्दिष्ट करने के लिए एक सिफारिश दे सकता है।

26. उपयुक्त सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार करना—(1) समुचित सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक,—

(a) इस अधिनियम के अंतर्गत विचार किए गए अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए, इस बारे में जनता, विशेष रूप से वंचित समुदायों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों का विकास और आयोजन;

(b) सार्वजनिक प्राधिकरणों को खंड (ए) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों के विकास और संगठन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों को स्वयं करने के लिए प्रोत्साहित करें;

(c) सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा उनकी गतिविधियों के बारे में सटीक जानकारी के समय पर और प्रभावी प्रसार को बढ़ावा देना; तथा

(d) लोक प्राधिकरणों के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य लोक सूचना अधिकारियों को, जैसा भी मामला हो, प्रशिक्षित करेगा और स्वयं लोक प्राधिकरणों द्वारा उपयोग के लिए प्रासंगिक प्रशिक्षण सामग्री का उत्पादन करेगा।

(2) उपयुक्त सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह महीने के भीतर, अपनी राजभाषा में एक गाइड का संकलन करेगी, जिसमें ऐसी जानकारी शामिल होगी, जो आसानी से समझ में आने योग्य रूप और तरीके से हो, जो उस व्यक्ति द्वारा उचित रूप से आवश्यक हो जो किसी भी प्रकार का प्रयोग करना चाहता है। इस अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकार।

(3) उपयुक्त सरकार, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतराल पर उप-धारा (2) में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिसमें विशेष रूप से और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, शामिल होंगे—

(a) इस अधिनियम के उद्देश्य;

(b) उप-धारा के अंतर्गत नियुक्त प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरण का डाक और सड़क का पता, फोन और फैक्स नंबर और, यदि उपलब्ध हो, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, का इलेक्ट्रॉनिक मेल पता (1) धारा 5 का;

(c) वह तरीका और रूप जिसमें किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध किसी केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, से किया जाएगा;

(d) इस अधिनियम के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, जैसा भी मामला हो, से उपलब्ध सहायता और कर्तव्य;

(e) केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता, जैसा भी मामला हो;

(f) आयोग को अपील दायर करने के तरीके सहित इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या लगाए गए अधिकार या कर्तव्य के संबंध में किसी अधिनियम या कार्य में विफलता के संबंध में उपलब्ध कानून में सभी उपचार;

(g) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों की श्रेणियों के स्वैच्छिक प्रकटीकरण के प्रावधान;

(h) सूचना तक पहुंच के अनुरोधों के संबंध में भुगतान की जाने वाली फीस के संबंध में नोटिस; और

(i) इस अधिनियम के अनुसार किसी जानकारी तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त नियम या परिपत्र।

(4) उपयुक्त सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतराल पर दिशानिर्देशों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए।

टिप्पणी: यह प्रावधान प्राथमिक रूप से उपयुक्त सरकारों पर जागरूकता को बढ़ावा देने और आरटीआई अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी को अनिवार्य करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारों द्वारा इस धारा का बहुत कम अनुपालन किया गया है। हालाँकि, गैर-सरकारी संगठन और व्यक्तिगत नागरिक इस भूमिका को सहायनीय तरीके से निभा रहे हैं, लोगों को शिक्षित और आरटीआई आवेदन दाखिल करने में मदद कर रहे हैं। धारा 26 की उप-धारा (1) से (4) में निर्धारित सभी कदम उठाकर, उपयुक्त सरकारों के पास सूचना तक पहुंच की सुविधा के लिए सुधारात्मक तंत्र प्रदान करने और उनका पालन करके पारदर्शिता और जवाबदेही के स्वभाव को बढ़ावा देने का अवसर है। यह एक सहभागी लोकतंत्र और सरकार में अधिक विश्वास और विश्वास का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

27. समुचित सरकार द्वारा नियम बनाने की शक्ति—(1) समुचित सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

(a) धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रसारित की जाने वाली सामग्री के माध्यम या प्रिंट लागत मूल्य की लागत;

(b) धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत देय शुल्क;

(c) धारा 7 की उप-धाराओं (1) और (5) के अंतर्गत देय शुल्क;

(ca) (अन्तर्निविष्ट 2019 के अधिनियम 24 द्वारा, एस। 4, (24-10-2019 से प्रभावी)) धारा 13 की उप-धारा (1) और (2) के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के कार्यालय की अवधि और राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के अधीन उप-धारा 16 की धारा (1) और (2);

(cb) धारा 13 की उप-धारा (5) के अंतर्गत मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य नियम और शर्तें और उप-धारा (5) के अंतर्गत राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त) धारा 16 का;

(d) धारा 13 की उप-धारा (6) और धारा 16 की उप-धारा (6) के अंतर्गत अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को देय वेतन और भत्ते और सेवा के नियम और शर्तें;

(e) धारा 19 की उप-धारा (10) के अंतर्गत अपीलों का निर्णय करने में केंद्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, जैसा भी मामला हो; तथा

(f) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना आवश्यक है, या निर्धारित किया जा सकता है।

28. सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियम बनाने की शक्ति—(1) सक्षम प्राधिकारी, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकता है।

(2) विशेष रूप से, और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकते हैं, अर्थात्:—

(i) धारा 4 की उप-धारा (4) के अंतर्गत प्रसारित की जाने वाली सामग्री के माध्यम या प्रिंट लागत मूल्य की लागत;

(ii) धारा 6 की उप-धारा (1) के अंतर्गत देय शुल्क;

(iii) धारा 7 की उप-धारा (1) के अंतर्गत देय शुल्क; और

(iv) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना आवश्यक है, या हो सकता है।

टिप्पणी: यह प्रावधान केवल सक्षम अधिकारियों को नियम बनाने का अधिकार देता है। मुख्य रूप से, नियम आवेदन शुल्क, सूचना प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शुल्क, आरटीआई आवेदनों और अपीलों के लिए प्रारूप प्रदान कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इस शक्ति का प्रयोग केवल सक्षम अधिकारियों द्वारा किया जा सकता है, न कि सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा।

29. नियमों का रखा जाना—(1) इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए प्रत्येक नियम को, इसके बनने के बाद, जितनी जल्दी हो सके, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल अवधि के लिए रखा जाएगा। तीस दिनों की अवधि जो एक सत्र में या दो या दो से अधिक लगातार सत्रों में शामिल हो सकती है, और यदि, सत्र की समाप्ति से पहले सत्र के तुरंत बाद या उपरोक्त क्रमिक सत्रों में, दोनों सदन नियम या दोनों सदनों में कोई संशोधन करने के लिए सहमत हैं सहमत हैं कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए, उसके बाद नियम केवल ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा या कोई प्रभाव नहीं होगा, जैसा भी मामला हो; इसलिए, हालांकि, ऐसा कोई भी संशोधन या विलोपन उस नियम के अंतर्गत पहले की गई किसी भी चीज़ की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा।

(2) राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए प्रत्येक नियम को अधिसूचित होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा।

टिप्पणी: यह देखा गया है कि विभिन्न उपयुक्त सरकारों/सक्षम प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित शुल्क बहुत भिन्न है। उच्च न्यायालयों और विधानसभाओं द्वारा बनाए गए नियम अक्सर आरटीआई अधिनियम के अनुसार नहीं होते हैं। छूट से संबंधित नियम, नागरिक को सूचना मांगने के कारणों का खुलासा करने के लिए मजबूर करना, आईडी प्रूफ देना या जुर्माना कम करना आरटीआई अधिनियम के प्रावधानों से परे है और अधीनस्थ कानून की क्षमता से भी परे है अर्थात् धारा 28 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्तियाँ। इनबिल्ट प्रतीत होता है जहां तक सक्षम प्राधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों का संबंध है, जानबूझकर विधायी निरीक्षण क्योंकि ऐसे नियमों को विधायिका के पटल पर रखने का कोई प्रावधान नहीं है। यदि सभी सक्षम प्राधिकारी समान नियम बनाते हैं तो यह सुविधाजनक होगा।

30. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केंद्र सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इस अधिनियम के प्रावधानों से असंगत न हों। कठिनाई को दूर करने के लिए इसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है:

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा। (2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के बाद यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

31. निरसन—सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम, 2002 (2003 का 5) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

टिप्पणी: सूचना की स्वतंत्रता अधिनियम 2002 में पारित किया गया था। हालाँकि, इसे अधिसूचित नहीं किया गया था क्योंकि इसके नियम नहीं बनाए गए थे। वह अधिनियम निरस्त कर दिया गया है।

पहली अनुसूची देखें धारा 13(3) और 16(3)

मुख्य सूचना आयुक्त / सूचना आयुक्त / राज्य मुख्य सूचना आयुक्त / राज्य
सूचना आयुक्त द्वारा की जाने वाली शपथ या पुष्टि का रूप

“मैं,....., मुख्य सूचना आयुक्त/सूचना आयुक्त/राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त होने पर ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सत्यनिष्ठा और निष्ठा रखूंगा, कि मैं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखूंगा, कि मैं विधिवत और विश्वासपूर्वक और अपनी सर्वोत्तम क्षमता, ज्ञान और निर्णय के साथ कर्तव्यों का पालन करूंगा। बिना किसी डर या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के अपने पद से हट जाऊँगा और मैं संविधान और कानूनों का पालन करूँगा।”

दूसरी अनुसूची
(धारा 24 देखें)
खुफिया और सुरक्षा संगठन
केंद्र सरकार द्वारा स्थापित

1. इंटेलिजेंस ब्यूरो।
2. कैबिनेट सचिवालय का अनुसंधान और विश्लेषण विंग।
3. राजस्व खुफिया निदेशालय।
4. केंद्रीय आर्थिक खुफिया ब्यूरो।
5. प्रवर्तन निदेशालय।
6. नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो।
7. विमानन अनुसंधान केंद्र
8. स्पेशल फ्रंटियर फोर्स।
9. सीमा सुरक्षा बल।
10. केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल।
11. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस।
12. केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल।
13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड।
14. असम राइफल्स।
15. डीओपीटी अधिसूचना संख्या जीएसआर 347 दिनांक 28 सितंबर 2005 द्वारा सहस्त्र सीमा बल जोड़ा गया
16. आयकर महानिदेशालय (जांच)। डीओपीटी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर द्वारा जोड़ा गया। 235 (ई).-दिनांक 27 मार्च 2008
17. राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन। डीओपीटी अधिसूचना संख्या जी.एस.आर द्वारा जोड़ा गया। 235 (ई).-दिनांक 27 मार्च 2008
18. वित्तीय खुफिया इकाई, भारत क्वच्च अधिसूचना संख्या ७६.८ द्वारा जोड़ा गया। 235(अ).-दिनांक 27 मार्च 2008 क्रमांक 22 और मूल अनुसूची में उससे संबंधित प्रविष्टि को छोड़ दिया गया
19. डीओपीटी अधिसूचना संख्या जीएसआर 347 दिनांक 28 सितंबर 2005 द्वारा जोड़ा गया विशेष सुरक्षा समूह

20. रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन। डीओपीटी अधिसूचना संख्या जीएसआर 347 दिनांक 28 सितंबर 2005 द्वारा जोड़ा गया
21. सीमा सड़क विकास बोर्ड। डीओपीटी अधिसूचना संख्या जीएसआर 347 दिनांक 28 सितंबर 2005 द्वारा जोड़ा गया
22. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय डीओपीटी अधिसूचना संख्या जीएसआर 726 (ई) द्वारा जोड़ा गया – ८ दिनांक 27 मार्च 2008
23. केंद्रीय जांच ब्यूरो। डीओपीटी अधिसूचना संख्या जीएसआर 442 (ई)-एल दिनांक 9 जून 2011 द्वारा जोड़ा गया
24. राष्ट्रीय जांच एजेंसी। . डीओपीटी अधिसूचना संख्या जीएसआर 442 (ई)-एल दिनांक 9 जून 2011 द्वारा जोड़ा गया
25. नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड... डीओपीटी अधिसूचना संख्या जीएसआर 442 (ई)-एल दिनांक 9 जून 2011 द्वारा जोड़ा गया